"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 जून 2017 — ज्येष्ठ 24, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2017

क्रमांक 5488/डी. 114/21-अ/प्रारु./छ.ग./17.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-06-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 7 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

प्रशासन

3. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी ।
4. अधिकारियों की नियुक्ति ।
5. अधिकारियों की शक्तियां ।
6. कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण ।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

7. प्रदाय की परिधि ।
8. संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व ।
9. उद्ग्रहण और संग्रहण ।
10. प्रशमन उद्ग्रहण ।
11. कर से छूट देने की शक्ति ।

अध्याय 4

प्रदाय का समय और मूल्य

12. माल के प्रदाय का समय ।
13. सेवाओं के प्रदाय का समय ।
14. माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर की दर में परिवर्तन ।
15. कराधेय प्रदाय का मूल्य ।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

IndiaCode

खंड

16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्ते ।

17. प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन ।

18. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता ।

19. जॉब वर्क के लिए किए गए इनपुट और भेजे गए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना ।

20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति ।

21. आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति ।

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

22. रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ।

23. व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है ।

24. कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण ।

25 रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ।

26 रजिस्ट्रीकरण समझा जाना ।

27 नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध ।

28 रजिस्ट्रीकरण का संशोधन ।

29. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।

30. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण।

अध्याय 7

कर बीजक, प्रत्यय और विकलन टिप्पण

31. कर बीजक ।

32. कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध ।

33. कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित किये जाने वाले कर की रकम.।

34. जमा और नामे पत्र ।

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

35. लेखे और अन्य अभिलेख ।

36. लेखों के प्रतिधारण की अवधि ।

अध्याय 9

विवरणियां

37. जावक प्रदायों के ब्यौरे देना. ।

38. आवक प्रदायों के ब्यौरे देना.।

39. विवरणियां देना ।

40. प्रथम विवरणी ।

41. इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति ।

42. इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना ।

43. आउटपुट् कर दायित्व में मिलान, उलटाव और कटौतियों का प्रतिदाय ।

IndiaCode

खंड

44. वार्षिक विवरणी ।
45. अंतिम विवरणी ।
46. विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना ।
47. विलंब फीस का उद्ग्रहण ।
48. माल और सेवा कर व्यवसायी ।

अध्याय 10

कर संदाय

49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय ।
50. विलंबित कर संदाय पर ब्याज ।
51. स्रोत पर कर कटौती ।
52. स्रोत पर कर का संग्रहण ।
53. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण ।

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. कर प्रतिदाय ।
55. कतिपय मामलों में प्रतिदाय ।
56. विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज ।
57. उपभोक्ता कल्याण निधि ।
58. निधि का उपयोग ।

अध्याय 12

निर्धारण

59. स्व-निर्धारण ।
60. अनंतिम निर्धारण ।
61. विवरणियों की संवीक्षा ।
62. विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण ।
63. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण ।
64. कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण ।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

65. कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा ।
66. विशेष लेखापरीक्षा ।

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

67. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति ।
68. संचलन में मालों का निरीक्षण ।
69. गिरफ्तार करने की शक्ति ।

IndiaCode

खंड

70. व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति ।
71. कारबार परिसरों तक पहुंच ।
72. समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी ।

अध्याय 15

मांग और वसूली

73. कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के किसी कारण को छोड़कर असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रदाय या गलती से लिए गए या उपयोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण।
74. कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रदाय या गलती से लिए गए या उपयोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण ।
75. कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध ।
76. संग्रहीत किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर ।
77. गलती से संग्रहीत किया गया और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर ।
78. वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना ।
79. कर की वसूली ।
80. कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय ।
81. कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना ।
82. कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना ।
83. कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की ।
84. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण ।

अध्याय 16

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

85. कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व ।
86. अभिकर्ता और प्रधान का दायित्व ।
87. कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व ।
88. परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व ।
89. प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व ।
90. फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिए दायित्व ।
91. संरक्षकों, न्यासियों आदि का दायित्व ।
92. प्रतिपाल्य न्यायालय का दायित्व आदि ।
93. कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध ।
94. अन्य मामलों में दायित्व ।

अध्याय 17

अग्रिम विनिर्णय

95. परिभाषाएं ।
96. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन ।
97. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन ।
98. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया ।
99. अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण का गठन ।

खंड

100. अपील प्राधिकरण को अपील ।

101. अपील प्राधिकरण के आदेश ।

102. अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि ।

103. अग्रिम विनिर्णय का लागू होना ।

104. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना ।

105. प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां ।

106. प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया ।

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

107. अपीलीय प्राधिकारी को अपीलें ।

108. पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां ।

109. अपीलीय अधिकरण और उसकी न्यायपीठें ।

110. अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि ।

111. अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया ।

112. अपीलीय अधिकरण को अपील ।

113. अपीलीय अधिकरण के आदेश ।

114. राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां ।

115. अपील प्रस्तुत करने के लिए संदत्त रकम की वापसी पर ब्याज ।

116. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति ।

117. उच्च न्यायालय को अपील ।

118. उच्चतम न्यायालय को अपील ।

119. राशि जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त की जानी हैं।

120. कतिपय मामलों में अपील का फाइल नहीं किया जाना ।

121. अपील न किए जा सकने वाले विनिश्चय और आदेश ।

अध्याय 19

अपराध और शास्तियां

122. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति ।

123. सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति ।

124. आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना ।

125. साधारण शास्ति ।

126. शास्ति से संबंधित साधारण अनुशासन ।

127. कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

128. शास्ति या शुल्क या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति ।

129. अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण ।

130. माल एवं प्रवहन की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण।

131. जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेक नहीं करेगा ।

132. कतिपय अपराधों के लिए दंड ।

133. अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व ।

खंड

134. अपराधों का संज्ञान ।

135. आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान ।

136. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनो की सुसंगतता ।

137. कंपनियों द्वारा अपराध ।

138. अपराधों का प्रशमन ।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

139. विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन ।

140. इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं ।

141. जॉब वर्क के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध ।

142. प्रकीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध ।

अध्याय 21

प्रकीर्ण

143. जॉब वर्क की प्रक्रिया ।

144. कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा ।

145. माइक्रो फिल्मों, दस्तावेजों की प्रतिकृति प्रतियों और कंप्यूटर प्रिंट आउट की दस्तावेजों के रूप में और साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता ।

146. सामान्य पोर्टल ।

147. निर्यात समझा जाना ।

148. कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति ।

149. माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग ।

150. सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता ।

151. आंकड़े संग्रहण करने की शक्ति ।

152. सूचना के प्रकटन पर वर्जन ।

153. किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना ।

154. नमूने लेने की शक्ति ।

155. सबूत का भार ।

156. व्यक्ति जिन्हें लोक सेवक समझा जाएगा ।

157. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

158. लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना ।

159. कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन ।

160. कतिपय आधारों पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना ।

161. अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोधन ।

162. सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन ।

163. फीस उद्ग्रहण ।

164. नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति ।

165. विनियम बनाने की शक्ति ।

166. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

IndiaCode

खंड

167. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
168. अनुदेशों या निदेशों को जारी करना ।
169. कतिपय मामलों में नोटिस तामील करना ।
170. कर का पूर्णांकन आदि ।
171. मुनाफाखोरी निरोधी उपाय ।
172. कठिनाइयों को दूर करना ।
173. कतिपय अधिनियमों का संशोधन ।
174. निरसन और व्यावृत्ति ।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

अनुसूची 3

IndiaCode

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 7 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतःराज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं.

1882 का 4 (1) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में उसके लिए समनुदेशित है ;

(2) "परिदान का पता" से अभिप्रेत है माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है ;

(3) "अभिलेख पर पता" से अभिप्रेत है पाने वाले का वह पता, जो प्रदायकर्ता के अभिलेखों में उपलब्ध है ;

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, किंतु इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं है ;

(5) "अभिकर्ता" से अभिप्रेत है फेक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया,

प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(6) "संकलित आवर्त" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय आधार पर संगणित सामान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के सभी कराधेय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है) छूट प्राप्त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है ;

(7) "कृषक" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, जो,--

(क) स्वयं के श्रम द्वारा ; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा ; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है ;

(8) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत धारा 107 में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी ;

(9) "अपील अधिकरण" से अभिप्रेत है धारा 109 में निर्दिष्ट माल और सेवा कर अपील अधिकरण;

(10) "नियत तारीख" से अभिप्रेत है वह तारीख जिस पर इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

(11) "निर्धारण" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण और इसके अंतर्गत स्वतःनिर्धारण, पुनः निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी है ;

1961 का 43 (12) "सहयुक्त उद्यमों" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में उसके लिए समनुदेशित है ;

(13) "संपरीक्षा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा ;

IndiaCode

(14) "प्राधिकृत बैंक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा ;

(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि ;

1963 का 54 (16) "बोर्ड" से अभिप्रेत है केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ;

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी आर्थिक लाभ के लिए हो या न हो ;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिणाम, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो ;

(घ) कारबार के प्रारंभ होने या उसके बंद होने के संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं का प्रदाय या अर्जन ;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या ऐसे किसी निकाय द्वारा (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) उसके सदस्यों की सुविधाओं या फायदों के लिए कोई व्यवस्था ;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश ;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदाय की गई सेवाएं ;

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगमान के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में के बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति ; और

(झ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं ;

(18) "कारबार शीर्षका" से अभिप्रेत है किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है ;

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण

करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,--

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति ;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति ;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग ;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां ; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहाँ भी लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं ;

(19) "पूंजी माल" से अभिप्रेत है ऐसा माल, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ;

(20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जहां उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा-कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है ;

(21) "केंद्रीय कर" से अभिप्रेत है केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहीत केंद्रीय माल और सेवा कर ;

(22) "उपकर" का वही अर्थ हो, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित है ;

1949 का 38 (23) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से अभिप्रेत है चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट;

(24) "आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त;

(25) "बोर्ड का आयुक्त" से अभिप्रेत है केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त ;

(26) "सामान्य पोर्टल" से अभिप्रेत है धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल ;

(27) "सामान्य कार्य दिवस" से अभिप्रेत हैं लगातार ऐसे दिन, जिन्हें केंद्रीय सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजपत्रित छुट्टी घोषित नहीं किया गया है ;

1980 का 56 (28) "कंपनी सचिव" से अभिप्रेत है कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कंपनी सचिव ;

(29) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा

अधिसूचित किया जाए;

(30) "संयुक्त प्रदाय" से अभिप्रेत है किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसा प्रदाय, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांधा गया है और प्रदाय किया गया है, जिनमें से एक मुख्य प्रदाय है ;

दृष्टांत : जहां माल का पैक और परिवहन, बीमा के साथ किया जाता है, वहां माल, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा का संयुक्त प्रदाय होगा और माल का प्रदाय एक मुख्य प्रदाय होगा ।

(31) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है,--

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई अनुदान सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए, किसी कार्य या संयमित रहने का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई अनुदान सम्मिलित नहीं होगी :

परंतु माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसे प्रदाय के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे ;

(32) "माल का निरंतर प्रदाय" से अभिप्रेत है माल का ऐसा प्रदाय, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल, पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है ;

(33) "सेवाओं का निरंतर प्रदाय" से अभिप्रेत है सेवाओं का ऐसा प्रदाय, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत

ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है ;

(34) "प्रवहरण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है ;

1959 का 23 (35) "लागत लेखाकार" से अभिप्रेत है लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखाकार ;

(36) "परिषद्" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद्;

(37) "जमापत्र" से अभिप्रेत है धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज ;

(38) "नामे नोट" से अभिप्रेत है धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज;

(39) "समझा गया निर्यात" से अभिप्रेत है माल का ऐसा प्रदाय, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए ;

(40) "अभिहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

2000 का 21 (41) "दस्तावेज" के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी है ;

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "चुंगी वापसी" से अभिप्रेत है ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किसी घरेलू निवेशों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट;

(43) "इलैक्ट्रानिक नकद खाते" से अभिप्रेत है धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक नकद खाता;

(44) "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य" से अभिप्रेत है, डिजिटल या इलैक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय जिसके अंतर्गत डिजिटल उत्पाद भी हैं ;

(45) "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति, जो इलैक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो ;

(46) "इलैक्ट्रानिक जमा खाते" से अभिप्रेत है धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक जमा खाता ;

(47) "छूट प्राप्त प्रदाय" से अभिप्रेत है ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जिस पर कर की दर शून्य हो या जिसे धारा 11 या एकीकृत माल

और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकती है और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी शामिल है ;

(48) "विद्यमान विधि" से अभिप्रेत है माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली विधायिका या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा बनाया गया है या पारित किया गया है ;

(49) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,--

(i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बच्चे ; और

(ii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित है ;

(50) "नियत स्थापन" से अभिप्रेत है (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं का प्रदाय करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त डिग्री के स्थायित्व और मानव और तकनीकी संसाधनों के उपयुक्त संरचना की विशिष्टता से वर्णित है ;

(51) "निधि" से अभिप्रेत है धारा 57 के अधीन स्थापित ग्राहक कल्याण निधि;

(52) "माल" से अभिप्रेत है मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसका प्रदाय के पूर्व या प्रदाय की संविदा के अधीन पृथक् किए जाने का करार किया गया है ;

(53) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से अभिप्रेत है माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 ;

(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है ;

1976 का 80 (56) "भारत" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र ;

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से अभिप्रेत है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

(58) "एकीकृत कर" से अभिप्रेत है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर ;

(59) "इनपुट" से अभिप्रेत है कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल ;

(60) "इनपुट सेवा" से अभिप्रेत है कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा ;

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से अभिप्रेत है माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है ;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से अभिप्रेत हैं माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,--

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

किंतु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है ;

(63) "इनपुट कर प्रत्यय" से अभिप्रेत है इनपुट कर का प्रत्यय ;

(64) "माल का अंतरराज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसके लिए समनुदेशित है ;

(65) "सेवाओं का अंतरराज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसके लिए समनुदेशित है ;

(66) "बीजक" या "कर बीजक" से अभिप्रेत है धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक प्रदाय" से अभिप्रेत है क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति ;

(68) "जॉब वर्क" से अभिप्रेत है किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया और शब्द "जॉब वर्कर" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,--

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का कानूनी रूप से हकदार है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है ;

2006 का 41 (घ) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड;

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का

अवस्थान;

(71) "सेवाओं के प्रदायकर्ता का अवस्थान" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों से किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्रदायकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान;

(72) "विनिर्माण" से अभिप्रेत है कच्ची सामग्री या निवेश का ऐसी रीति से प्रसंस्करण, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और शब्द "विनिर्माता" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(73) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है ऐसी पूरी रकम, जिसकी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और प्रदायकर्ता संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है ;

(74) "मिश्रित प्रदाय" से अभिप्रेत हैं किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् प्रदाय, जहां ऐसे प्रदाय से कोई संयुक्त प्रदाय गठित नहीं होता है ।

दृष्टांत : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज का प्रदाय, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह प्रदाय मिश्रित प्रदाय होगा । इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी प्रदाय किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा । यदि इन मदों का अलग-अलग प्रदाय किया जाता है तो वह मिश्रित प्रदाय नहीं होगा ;

(75) "धन" से अभिप्रेत है भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, साख पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलैक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखत, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के

IndiaCode

परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विधा मूल्य है ;

1988 का 59 (76) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में उसका है ;

(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है ;

(78) "गैर-कराधेय प्रदाय" से अभिप्रेत है माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उदगृहीत नहीं है ;

(79) "गैर-कराधेय क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र, जो कराधेय क्षेत्र से बाहर है ;

(80) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना और शब्द "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट हैं ;

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से अभिप्रेत है उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर, किंतु इसमें विपरीत प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर अपवर्जित है ;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "जावक प्रदाय" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से किया गया प्रदाय;

(84) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) कोई व्यष्टि ;

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(ग) कोई कंपनी ;

(घ) कोई फर्म ;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो ;

2013 का 18

(छ) किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय ;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी ;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(ट) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ;

1860 का 21

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी ;

(ड) न्यास ; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है ;

(85) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) वह स्थान, जहां से सामान्य तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या प्राप्त करता है ; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है ; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है ;

(86) "प्रदाय का स्थान" से अभिप्रेत है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथानिर्दिष्ट प्रदाय का स्थान;

(87) "विहित" से अभिप्रेत है परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(88) "प्रधान" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(89) "कारबार का मुख्य स्थान" से अभिप्रेत है रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान ;

(90) "मुख्य प्रदाय" से अभिप्रेत है ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय, जो किसी संयुक्त प्रदाय का प्रबल तत्व है और जिसके लिए उस संयुक्त प्रदाय के भागरूप कोई

IndiaCode

अन्य प्रदाय आनुषंगिक है ;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "समुचित अधिकारी" से अभिप्रेत है आयुक्त या राज्य कर का अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है ;

(92) "तिमाही" से अभिप्रेत है ऐसी अवधि, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों ;

(93) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के "प्राप्तिकर्ता" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;

(ख) जहां माल के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) जहां किसी सेवा के प्रदाय के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसे सेवाएं दी जाती है,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे प्रदाय किया गया है, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा ;

(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

(95) "विनियम" से अभिप्रेत हैं सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिश पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम;

(96) माल के संबंध में "हटाए जाने" से अभिप्रेत है,--

(क) उसके प्रदायकर्ता द्वारा या ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण;

(97) "विवरणी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी;

(98) "विपरीत प्रभार" से अभिप्रेत है धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के

अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के बजाय, माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व;

(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 108 में यथा निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी ;

(100) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची ;

1956 का 42 (101) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसके लिए समनुदेशित है ;

(102) "सेवाओं" से अभिप्रेत है माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं ;

(103) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ;

(104) "राज्य कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत कर;

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "प्रदायकर्ता" से अभिप्रेत होगा उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला व्यक्ति और इसमें प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा ;

(106) "कर अवधि" से अभिप्रेत है ऐसी अवधि, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है ;

(107) "कराधेय व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है ;

(108) "कराधेय प्रदाय" से अभिप्रेत है ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्गृहणीय है ;

(109) "कराधेय राज्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा राज्यक्षेत्र, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं ;

(110) "दूर-संचार सेवा" से अभिप्रेत है किसी प्रकार की ऐसी सेवा, (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विसेस, आडियो टेक्स्ट सर्विसेस, वीडियो टेक्स्ट सर्विसेस, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी है) जो उपयोगकर्ता को किसी संकेत, सिगनल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

(111) "छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ;

(112) "राज्य में आवर्त" से अभिप्रेत है किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय प्रदायों और छूट प्राप्त प्रदायों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य से किया गया माल या सेवाओं या दोनों का अंतरराज्यिक प्रदाय, का संकलित मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं ;

(113) "प्रायिक निवास स्थान" से अभिप्रेत है,--

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान, जहां वह सामान्य तौर पर निवास करता है ;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान, जहां व्यक्ति निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ;

(114) "संघ राज्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है,--

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप ;

(ख) लक्षद्वीप ;

(ग) दादरा और नागर हवेली ;

(घ) दमन और दीव ;

(ङ) चंडीगढ़ ; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र ;

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा ;

(115) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से अभिप्रेत है संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर;

(116) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से अभिप्रेत है संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

(117) "विधिमान्य विवरणी" से अभिप्रेत है धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई विवरणी, जिस पर स्वतः निर्धारित कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है;

(118) "वाऊचर" से अभिप्रेत है कोई ऐसी लिखत, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां प्रदाय किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी प्रदायकर्ताओं की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, इसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी सम्मिलित हैं ;

IndiaCode

(119) "कार्य संविदा" से अभिप्रेत है किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) माल के रूप में संपत्ति का अंतरण शामिल हैं ;

(120) शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं ;

अध्याय 2

प्रशासन

इस अधिनियम के अधीन अधिकारी.

3. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों के वर्ग को नियुक्त करेगी, अर्थात् :--

(क) राज्य कर आयुक्त ;

(ख) राज्य कर विशेष आयुक्त ;

(ग) राज्य कर अपर आयुक्त ;

(घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त;

(ङ) राज्य कर उपायुक्त ;

(च) राज्य कर सहायक आयुक्त ; और

(छ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे :

2005 का 2

परंतु छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।

अधिकारियों की नियुक्ति.

4. (1) सरकार, धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे ।

(2) आयुक्त का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य पर होगा, विशेष आयुक्त और अपर आयुक्त का अधिकार क्षेत्र उन्हें सौंपे गए समस्त या किसी कार्य के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राज्य पर या जहाँ राज्य सरकार ऐसा निर्देशित करती है उसके किसी स्थानीय क्षेत्र पर होगा अन्य सभी अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाए, संपूर्ण राज्य पर या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर जो आयुक्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, होगा ।

5. (1) राज्य कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा । **अधिकारियों की शक्तियां.**

(2) राज्य कर अधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी अन्य राज्य कर अधिकारी पर इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा ।

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे । **कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण.**

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,--

(क) जहां कोई समुचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वहां वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन केंद्रीय कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन, उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश जारी करेगा;

(ख) जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई समुचित अधिकारी, किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां समुचित अधिकारीउसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी ।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

7. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "प्रदाय" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,- **प्रदाय की परिधि.**

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या

व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप ;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; और

(घ) अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गए क्रियाकलाप ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में संलग्नरत हैं;

न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,--

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में ; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में,

माना जाएगा ।

संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व.

8. किसी संयुक्त या मिश्रित प्रदाय पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्त प्रदाय को, जिसमें से एक मुख्य प्रदाय है, ऐसे मुख्य प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा ; और

(ख) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित प्रदाय को उस विशिष्ट प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है ।

उद्ग्रहण और संग्रहण.

9. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतरराज्यिक प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति

से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

(2) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर राज्य कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए ।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है ।

(4) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतरराज्यिक प्रदायों पर कर इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा, यदि सेवाओं का प्रदाय उसके माध्यम से किया जाता है, और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा प्रदायकर्ता है जो ऐसी सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है :

परंतु यदि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा :

परंतु यह और कि जहाँ कराधेय राज्यक्षेत्र में इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलैक्ट्रानिक प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा ।

10. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो प्रशमन उद्ग्रहण.

विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो, --

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में के आवर्त के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रूपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रूपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,--

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है ;

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा हुआ है, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहणीय नहीं है ;

(ग) वह माल के किसी अन्तर्राज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(घ) वह किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

1961 का 43 परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस उपधारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जब वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा ।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा

और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा ।

(5) यदि समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

कर से छूट देने की शक्ति.

11. (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी ।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी ।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानों वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था ।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना या आदेश, समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

अध्याय 4

प्रदाय का समय और मूल्य

12. (1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उदभूत होगा । माल के प्रदाय का समय.

(2) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे प्रदाय की बाबत के बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

(ख) वह तारीख, जिसको प्रदायकर्ता प्रदाय के बाबत संदाय प्राप्त करता है :

परंतु जहां कराधेय माल का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रूपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण 1–खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ।

स्पष्टीकरण 2–खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख, जिसको प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) माल प्राप्ति की तारीख ; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय होगा,--

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख , यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख ।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय होगा,--

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख, जिसको कर संदत्त किया जाता है ।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा, जिसको प्रदायकर्ता ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है ।

IndiaCode

सेवाओं के प्रदाय का समय.

13. (1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उदभूत होगा ।

(2) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) में के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है:

परंतु जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से एक हजार रूपए अधिक तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण--खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए,--

(i) प्रदाय को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ;

(ii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी

पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिसके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी :

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय होगा,--

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख ।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय,--

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है ।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा, जिस पर प्रदायकर्ता ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर की दर में परिवर्तन.

14. धारा 12 या धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां प्रदाय के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किए

जाने की दशा में,--

(i) जहां उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ;

(ii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किंतु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा ; या

(iii) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किंतु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा ;

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किए जाने की दशा में,--

(i) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किंतु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा ;

(ii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय भी प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा; या

(iii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किंतु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगा :

परंतु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में जमा करने की तारीख होगी यदि बैंक खाते में ऐसी जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संदाय के प्राप्त होने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

कराधेय प्रदाय का मूल्य.

15. (1) जहां प्रदायकर्ता या प्रदाय का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और प्रदाय के लिए एक मात्र आधार उसकी कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त प्रदाय के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है ।

(2) प्रदाय के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,--

(क) इस अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उदगृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि प्रदायकर्ता द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किया गया है ;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका प्रदायकर्ता, ऐसे प्रदाय के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किंतु जो प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ग) किसी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से प्रदायकर्ता द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैक करना भी है, और माल या सेवाओं के प्रदाय के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा किए गए किसी कृत्य के लिए प्रभारित कोई रकम ;

(घ) किसी प्रदाय के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति ; और

(ङ) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदानों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई अनुदानें ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अनुदान की रकम को ऐसे प्रदायकर्ता के, जो अनुदान प्राप्त करता है, प्रदाय के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा ।

(3) प्रदाय के मूल्य में किसी को दी गई ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो,--

(क) प्रदाय के पूर्व या प्रदाय के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे प्रदाय के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है ; और

(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,--

(i) ऐसी छूट, ऐसे प्रदाय के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है ; और

(ii) इनपुट कर प्रत्यय, जिसे प्रदायकर्ता द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट माना गया है, जिसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रदायों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया

जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) व्यक्तियों को "संबंधित व्यक्ति" समझा जाएगा, यदि,--

(i) ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के कारबार के अधिकारी या निदेशक हैं ;

(ii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार है ;

(iii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं ;

(iv) कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परादेय मतदान स्टाक या शेयरों या दोनों का पच्चीस प्रतिशत या अधिक का स्वामित्व, नियंत्रण रखता है, या धारण करता है ;

(v) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है;

(vi) वे दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति दवारा नियंत्रित होते हैं ;

(vii) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं ; या

(viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं ;

(ख) "व्यक्ति" पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है ;

(ग) व्यक्ति, जो एक दूसरे के कारबार से सहबद्ध हैं, जिसमें से एक, एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, है, संबद्ध व्यक्ति समझा जाएगा ।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें .

16. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से, उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी ।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,--

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता दवारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है ;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया गया हो ; और

(घ) उसने धारा 39 के अधीन विवरणी न दी हो :

परंतु जहां माल किसी बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा ।

1961 का 43 (3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

प्रत्यय और निरुद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन.

17. (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधेय प्रदायों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधेय प्रदायों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होंगे ।

(4) एक बैंककारी कंपनी या एक वित्तीय कंपनी, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं का प्रदाय करने में लगी हुई है, को या तो उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या उस मास के इनपुट्स, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा ;

परंतु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए प्रदायों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :--

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहरण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,--

(i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :--

(अ) ऐसे यानों या प्रवहरणों के आगे के प्रदाय के लिए ; या

(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहरणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए :--

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान का प्रबंध करने, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के कारक के रूप में किया जाता है ;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,--

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप किया जाता है ; और

(iv) अवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत ।

(ग) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनका प्रदाय स्थावर संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और प्रदाय के लिए कोई आवक सेवा है ;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के खाते में किसी स्थावर संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाएं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है ।

स्पष्टीकरण--खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, शब्द "सन्निर्माण" के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत सम्मिलित है ;

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है ;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल ;

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर ।

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसमे उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए, शब्द "संयंत्र और मशीनरी" से अभिप्रेत है ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक प्रदाय करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब सम्मिलित हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं,--

(i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण ;

(ii) दूर-संचार टावर ; और

(iii) कारखाना परिसर के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें ।

विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता.

18. (1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं,--

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन उस तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, जिस पर वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेता है, रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का धारा 10 के अधीन कर का संदाय समाप्त हो जाता है, वहां वह उस तारीख से, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित इनपुट के संबंध में, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या

परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त प्रदाय कराधेय प्रदाय हो जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको ऐसा प्रदाय कराधेय हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय संबंधित स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रदाय से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में दायित्व अंतरण के विशिष्ट उपबंधों के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अनुपयोजित है, इनपुट कर प्रत्यय का, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अंतरण अनुज्ञात होगा ।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग किया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है या जहां उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो जाते हैं, वहां वह इलैक्ट्रानिक निवेश खाते या इलैक्ट्रानिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या यथास्थिति ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और पूंजी माल पर ऐसे प्रतिशतता बिंदु को, जो विहित किया जाए, कम करके, इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परंतु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय ऐसे प्रतिशतता बिंदु को घटाकर, जो विहित किया जाए, के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परंतु जहां स्क्रैप के रूप में रिफैक्टरी ईंटें, सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों का प्रदाय किया जाता है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा ।

जॉब वर्क के लिए किए गए इनपुट और भेजे गए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना.

19. (1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, जॉब वर्क के लिए किसी जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान, इनपुट को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब वर्क के लिए किसी जॉब वर्कर को सीधे भेजे जाने पर भी, इनपुट पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(3) जहां प्रधान को, जॉब वर्क के लिए भेजे गए इनपुट जॉब वर्क पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होता है, या, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार जॉब वर्कर के कारबार के स्थान से उसका प्रदाय भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा जॉब वर्क के लिए ऐसे इनपुट का प्रदाय उस दिन किया गया था, जब उक्त इनपुट भेजे गए थे :

परंतु जहां किसी जॉब वर्कर को सीधे इनपुट भेजे जाते हैं, वहां एक वर्ष की अवधि की संगणना जॉब वर्कर द्वारा इनपुट की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी।

(4) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जॉब वर्क के लिए किसी जॉब वर्कर को भेजे गए पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब वर्क के लिए किसी जॉब वर्कर को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(6) जहां प्रधान को जॉब वर्क के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा जॉब वर्कर को ऐसे पूंजी माल का प्रदाय उस दिन किया गया था जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था :

परंतु जहां किसी जॉब वर्कर को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की अवधि की संगणना जॉब वर्कर द्वारा पूंजी माल के प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी ।

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात, जॉब वर्क करने के लिए किसी जॉब वर्कर को भेजे गए सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों या औजारों पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से अभिप्रेत है धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति ।

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.

20. (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा ।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के विरुद्ध, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी ;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है और जो चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, आवर्त का अनुपातत: होगा ;

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपातत: होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "सुसंगत अवधि" होगी,--

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष ; या

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है ;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से अभिप्रेत है इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल जो कराधेय नहीं है, के प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से अभिप्रेत है, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और 54 के अधीन उदगृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर का मूल्य ।

indiacode

आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति.

21. जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति.

22. (1) राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय करने वाला प्रत्येक प्रदाता, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रूपए से अधिक है ।

परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रूपये से अधिक है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिन से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, यथास्थिति, अंतरिति या

उत्तराधिकारी, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा ।

(4) उपधारा (1) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या अंतरण की दशा में उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निर्विलयन के मामले, अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी का रजिस्ट्रार, निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए,--

(i) अभिव्यक्ति "संकलित आवर्त" में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई सभी प्रदाय, चाहे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी प्रधानों की ओर से हो, सम्मिलित है ;

(ii) रजिस्ट्रीकृत जॉब वर्कर द्वारा जॉब वर्क पूर्ण करने के पश्चात्, मालों की आपूर्ति, धारा 143 में निर्दिष्ट प्रधान द्वारा मालों का प्रदाय माना जाएगा और ऐसे मालों में रजिस्ट्रीकृत जॉब वर्कर का संकलित आवर्त सम्मिलित नहीं होगा ;

(iii) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है ।

व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है.

23. (1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :--

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है ;

(ख) कृषक, भूमि की खेती की उपज की प्रदाय के विस्तार तक ।

(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है ।

कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.

24. धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,--

(i) व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधेय प्रदाय करते हैं ;

(ii) कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति ;

(iii) व्यक्ति जिससे विपरीत प्रभार के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है ;

(iv) व्यक्ति जिससे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है ;

(v) कराधेय प्रदाय करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति ;

(vi) व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं ;

(vii) व्यक्ति जो, चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों का प्रदाय करते हैं ;

(viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं ;

(ix) व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रदाय से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से प्रदाय करता है ;

(x) प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर ;

(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से भारत के व्यक्तियों को ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाएँ, प्रदाय करता हो ;

(xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जैसे कि सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया.

25. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से प्रदाय करता है, ऐसे राज्य, जहाँ समुचित आधार रेखा का निकटतम बिंदु अवस्थित है, में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

परंतु राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे ।

(4) एक व्यक्ति जिसमें एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्राप्त किया

है या प्राप्त करना अपेक्षित है रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा

(5) जहां एक व्यक्ति जिसने एक स्थापन के संबंध में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जाएगा ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की पात्रता के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा : (1961 का 43)

परंतु व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा ।

(7) उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधेय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों, जो विहित किए जाए, के आधार पर उप धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है ।

(8) जहां एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है, समुचित अधिकारी कोई कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा ।

(9) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित बहुपार्श्व वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशों के कांसुलेट या राजदूतावास ; और (1947 का 46)

(ख) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए

ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त मालों का सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित प्रदाय पर, करों का प्रतिदाय, जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा ।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा या खारिज किया जाएगा ।

(11) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसी तारीख

से लागू होगा, जो विहित किया जाए ।

(12) एक रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्या उपधारा (10) के अधीन विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदक को उस अवधि के भीतर कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है ।

रजिस्ट्रीकरण समझा जाना.

26. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन धारा 25 की उपधारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना समझा जाएगा ।

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा ।

नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध.

27. (1) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति, केवल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् ही कराधेय प्रदाय करेगा :

परंतु समुचित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(2) एक नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा :

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम निक्षेप करेंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन निक्षेप की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति में उपयोग किया जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण का संशोधन.

28 (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित की गई है रजिस्ट्रेशन के समय या तत्पश्चात् ऐसे प्ररूप रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, दी गई सूचना में किसी

परिवर्तन को समुचित अधिकारी को सूचित करेगा ।

(2) समुचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संशोधनों का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा :

परंतु ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा ।

(3) यथास्थिति, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन संशोधनों का खारिज किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.

29. (1) समुचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,--

(क) कारबार किन्हीं कारणों जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी है, बंद कर दिया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया है ;

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा ।

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी तारीख, किसी भूतलक्षी तारीख सहित जैसा वह उचित समझे, से किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां--

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है ; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है ; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छः मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है ; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छः मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है ; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है :

परंतु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

(3) ऐसी धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर भुगतान करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्य या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा ।

(5) इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता या इलैक्ट्रानिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसी रद्दकरण की तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित इनपुट के संबंध में इनपुट कर और स्टाक में धारित अर्द्ध-तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए प्रकल्पित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर के प्रत्यय के समतुल्य है :

परंतु पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधेय व्यक्ति, उक्त पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाए, से घटाकर आये या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर, जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से संगणित की जाएगी

30. (1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण समुचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा । **रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण.**

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा ।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा ।

अध्याय 7

कर बीजक, प्रत्यय और विकलन टिप्पण

31. (1) कराधेय मालों की प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय से पहले या उस पर,-- कर बीजक.

(क) प्राप्तिकर्ता को प्रदाय, जहां प्रदाय में मालों का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटाएगा ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, मालों का परिदान करेगा या प्राप्तिकर्ता को उसको उपलब्ध कराएगा,

वर्णन, परिमाप और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समय में और ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, मालों या प्रदाय के प्रवर्गों जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) कराधेय सेवाओं की प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के उपबंध के पूर्व या पश्चात् किन्तु विहित अवधि के भीतर वर्णन, परिमाप और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और उसमें यथा उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए संगठनों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में—

(क) प्रदाय के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा ; या

(ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं हो ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से, उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक, प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरावलोकित बीजक जारी कर सकेगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाए के अध्यधीन रहते हुए, मालों या

सेवाओं या दोनों प्रदाय का मूल्य दो सौ रूपए से कम है ;

(ग) छूट प्राप्त मालों और सेवाओं या दोनों की प्रदाय करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर भुगतान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टिताएं अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक बिल जारी करेगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रदाय का बिल जारी नहीं करेगा, यदि प्रदाय किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विहित का जाए, दो सौ रूपए से कम है ;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी प्रदाय के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जो विहित की जाए, कोई रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा ;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परंतु पश्चातवर्ती कोई प्रदाय नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा ;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदात्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, प्रदायकर्ता, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को संदाय करते समय कोई संदाय वाउचर जारी करेगा ।

(4) माल की निरंतर प्रदाय की दशा में जहां लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अंतर्वलित हैं, वहां बीजक, प्रत्येक ऐसे विवरण के जारी करते समय या उससे पूर्व या, यथास्थिति, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा ।

(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन सेवाओं की निरंतर प्रदाय की दशा में,--

(क) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहां बीजक, संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;

(ख) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां बीजक, जब सेवाओं का प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, के समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन प्रदाय के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की प्रदाय समाप्त हो जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब प्रदाय समाप्त होती है और ऐसा बीजक, ऐसी समाप्ति से पूर्व की गई प्रदाय की सीमा तक जारी किया जाएगा ।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहा या लिया जा रहा माल प्रदाय किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक, आपूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छः मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "कर बीजक" के अंतर्गत पहले की गई प्रदाय के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक सम्मिलित होगा ।

कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध.

32. (1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी प्रदाय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संग्रहित नहीं करेगा ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित किये जाने वाले कर की रकम.

33. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई प्रदाय किसी प्रतिफल के लिए की जाती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी प्रदाय के लिए कर संदाय करने के लिए दायी है निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों में कर बीजक और अन्य ऐसे दस्तावेज, टैक्स की रकम जो उस मूल्य का भाग होगी जिस पर ऐसी प्रदाय की जाती है प्रमुखतः उपदर्शित करेगा ।

जमा और नामे पत्र.

34. (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभारित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी प्रदाय के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदाय किए गए माल को वापिस किया जाता है या जहां प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की प्रदाय की है प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है, ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी प्रदाय की गई थी, के अंत के पश्चात् सितंबर मास से

अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा :

परंतु यदि ऐसी प्रदाय पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर कर योग्य मूल्य या ऐसी प्रदाय के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय की है प्राप्त कर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाए, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के संबंध में कोई नामे पत्र जारी करता है, ऐसे नामेपत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे पत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में जो विहित की जाए, में समायोजित करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शब्द "नामे पत्र" के अंतर्गत पूरक बीजक हैं ।

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

35. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथावर्णित अपने कारबार के मूल स्थान पर,-- **लेखे और अन्य अभिलेख.**

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति ;

(ग) माल का स्टाक ;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय ;

(ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर ; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं,

की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार का स्थान विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां, इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा ।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए प्रयुक्त किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक वाहक, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे जो विहित किए जाएं, के अभिलेख रखेगा।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा ।

(4) जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की दशा में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की ज़ाए ।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी माल या सेवाओ या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

लेखों के प्रतिधारण की अवधि.

36. धारा 35 की उपधारा (1) के अनुसार लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से बहत्तर मास की समाप्ति तक प्रतिधारण करेगा :

परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है, या अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चातवर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा ।

अध्याय 9

विवरणियां

37. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में, जो विहित की जाए, माल या सेवाओं या दोनों की कर अवधि के दौरान की गई जावक प्रदायों के ब्यौरे उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन को या उसके पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त प्रदायों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे : जावक प्रदायों के ब्यौरे देना.

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के ग्यारहवें दिन से पन्द्रहवें दिन तक की अवधि के दौरान जावक प्रदायों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा, जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं:

परंतु यह भी कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक प्रदायों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 17वें दिन को या उसके पूर्व, किन्तु 15वें दिन से पूर्व न हो, इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदनुसार संशोधित होंगे ।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर, ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण --इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, शब्द "जावक प्रदायों के ब्यौरे" के अंतर्गत किसी कर-अवधि के दौरान की गई जावक प्रदायों के संबंध में जारी बीजक,

नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे सम्मिलित है ।

आवक प्रदायों के ब्यौरे देना.

38. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा और उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं की गई है, के संबंध में प्राप्त आवक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा ।

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक रूप में कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों, जिन पर इस अधिनियम के अधीन विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदायों या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर संदेय है तथा उस कर अवधि के दौरान ऐसी प्रदायों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे, कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन के पश्चात् किन्तु पन्द्रहवें दिन से पूर्व, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, देगा :

1975 का 51

परंतु आयुक्त, कारणों को लिखत में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई प्रदायों के और उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई प्रदायों के ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय

हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

विवरणियां देना.

39. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलैक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उसके पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा ।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, राज्य में आवर्त, कोई माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदायों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् अठारह दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा ।

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, की गई है, की विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में देगा ।

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् तेरह दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलैंडर मास के अंत के पश्चात् बीस दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।

(6) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परंतु कैंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी

विवरणी के अनुसार देय कर अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा ।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है । प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई प्रदाय ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं ।

(9) धारा 34 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है ।

प्रथम विवरणी.

40. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्य अवधि में जावक प्रदाय की हैं रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा ।

इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति.

41. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलैक्ट्रानिक जमा बही में जमा की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा।

इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना.

42. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में "प्राप्तिकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक प्रदाय के ब्यौरे –

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में "प्रदायकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ;

1975 का 51 (ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए,

मिलान किया जाएगा ।

1975 का 51 (2) उस आवक प्रदाय, जो तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे पत्रों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(3) जहां आवक प्रदाय के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी प्रदाय के लिए प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक प्रदाय घोषित नहीं की गई है, वहां अंतर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा ।

(4) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(5) कोई रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा ।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है ।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा

50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

आउटपुट कर दायित्व में मिलान, उलटाव और कटौतियों का प्रतिदाय.

43. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में "प्रदायकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा किसी करावधि के लिए बाहर के लिए प्रदाय के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जाएगा—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में "प्राप्तिकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी करावधि या अन्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए ।

(2) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान करता है, को अंतिमतः स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदायकर्ता को दी जाएगी ।

(3) जहां बाहर के लिए प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी प्रत्यय टिप्पण की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति की संसूचना प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्वर्ती मास में,

जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम, जो दावों की आवर्ती के लेखे पाई जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी आवर्ती संसूचित की जाती है ।

(7) प्रदायकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है ।

(8) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रदायकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्रदायकर्ता की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम में धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

44. (1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिकी रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के पश्चात् 31 दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा । **वार्षिक विवरणी.**

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ इलैक्ट्रानिकी रूप में उपधारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

45. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा । **अंतिम विवरणी.**

46. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब वहां पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी । **विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना .**

47. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित बहिर्गामी या अंतर्गामी प्रदायों या धारा 39 या धारा 45 के अधीन के ब्यौरे सम्यक् तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रूपए विलंब फीस का संदाय करेगा । **विलंब फीस का उदग्रहण.**

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक् तारीख तक धारा 44 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य में उसके आवर्त के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रूपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा ।

48. (1) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा अन्य शर्तें, जो उनके कार्य करने के लिए सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं । **माल और सेवा कर व्यवसायी.**

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।

अध्याय 10

कर संदाय

49. (1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिकी निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसी अन्य रीति से और ऐसी शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किया गया प्रत्येक जमा का ऐसे व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही जिसे ऐसी रीति में, **कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय.**

जो विहित की जाए, में प्रत्यय किया जाएगा ।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्व-निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा ।

(3) इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा ।

(4) इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा ।

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम, निम्नलिखित के लेखे —

(क) एकीकृत कर का उपयोग पहले एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, केंद्रीय कर और राज्य कर या यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ख) केंद्रीय कर का उपयोग पहले केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ग) राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ङ) केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ।

(6) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में शेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी देनदारियों को इलैक्ट्रानिकी उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षण किया जाएगा ।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :--

(क) स्व-निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य ;

(ख) स्व-निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य ;

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी शामिल है ।

(9) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, से यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पारित कर दिया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में जमा करने की तारीख समझा जाएगा ;

(ख) शब्द,--

(i) "कर प्रत्यय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन संदेय कर और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है ; और

(ii) "अन्य शोध्य" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम।

विलंबित कर संदाय पर ब्याज.

50. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं, ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के उत्तरवर्ती दिन से ऐसी रीति में, जो विहित की

जाए, की जाएगी ।

(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा ।

51. (1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार,-- स्रोत पर कर कटौती.

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को ; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को ; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को ; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

(जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में "कटौतीकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है), को कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता (जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में "जिससे कटौती की गई है" के रूप में निर्दिष्ट है) को किए गए संदाय या किए गए प्रत्यय में से, जहां ऐसा प्रदाय का कुल मूल्य, किसी संविदा के अधीन, दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक है, एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी :

परंतु कोई कटौती नहीं की जाएगी यदि प्रदायकर्ता का स्थान और प्रदाय का स्थान किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में है, जो कि प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के राज्य या यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है।

स्पष्टीकरण—उपरोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए, प्रदाय के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर और उपकर को विवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अंत से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा ।

(3) कटौतीकर्ता, जिससे कटौती की गई है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिससे कटौती की गई है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो

कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन रहते हुए सौ रूपए की राशि का संदाय करेगा ।

(5) जिससे कटौती की गई है वह, कटौती किये गए और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत कटौती कर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अपने इलेक्ट्रॉनिकी रोकड़ बही में करेगा ।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा ।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के कारण उदभूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिसकी कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय से धारा 54 के उपबंधों के अनुसरण में संव्यवहार किया जाएगा :

परंतु कटौतीकर्ता को किसी प्रतिदाय को अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम का, जिसकी कटौती की जा रही है, की इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में प्रत्यय कर दिया गया है ।

स्रोत पर कर का संग्रहण.

52. (1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "प्रचालक" के रूप में निर्दिष्ट है), जो अभिकर्ता नहीं है, उसके माध्यम से अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा किये गए कराधेय प्रदायो के कुल मूल्य पर, जहाँ ऐसे प्रदायो के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है, एक प्रतिशत से अनधिक ऐसे संगणित दर से, जैसे कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, रकम का संग्रहण करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "कराधेय प्रदायों का शुद्ध मूल्य" से अभिप्रेत होगा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न मालों या सेवाओं की कराधेय प्रदायों या दोनों, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा प्रदाय की गई है, से उक्त मास के दौरान प्रदायकर्ताओं द्वारा वापस लौटाई गई कराधेय प्रदायों के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी

IndiaCode

रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालो या सेवाओं या दोनों के बहिर्गामी प्रदायों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस किये गये मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय शामिल हैं तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिकी रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किये जाने वाले मालो या सेवाओं या दोनों के बहिर्गामी प्रदायों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस किये गये मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय शामिल है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त उपधारा के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् 31 दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रानिकी रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई है, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अध्यधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परंतु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(7) प्रदायकर्ता, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय की है, संगृहित रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपनी इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में प्रत्यय का दावा करेगा ।

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत प्रदायों के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा ।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे धारा 37 के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते है तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी ।

(10) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको प्रदायकर्ता द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में, जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों का मूल्य प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के मूल्य से अधिक है, उस मास के पश्चातवर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा ।

(11) संबंधित प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा प्रदाय के संबंध में जोड़ी गई रकम पर, उस तारीख से जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित कर का संदाय करेगा ।

(12) कोई प्राधिकारी, जो उपायुक्त की श्रेणी से निम्न का न हो, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके प्रक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा—

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से किये गये मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय ; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों या भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, धृत मालों का स्टाक, जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे प्रदायकर्ताओं ने जिसकी कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा की है,

जो सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिसे उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "संबंधित प्रदायकर्ता" से अभिप्रेत है प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय करने वाला प्रदायकर्ता।

इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण.

53. इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर शोध्य के संदाय के लिए, जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में

उपदर्शित है, इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर, राज्य कर के रूप में संग्रहित रकम को इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम से घटा दिया जाएगा और राज्य सरकार राज्य कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी ।

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा : कर प्रतिदाय.

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा ।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कांसुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी प्रदायों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें प्रदाय प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छः मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा । 1947 का 46

(3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :

परंतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा—

(i) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय ;

(ii) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे, सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदायों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर से उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है :

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है :

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं

indiacode

किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ऐसी प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है ।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) यह साबित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य जो विहित किये जायें ; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज सम्मिलित हैं) जो कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया है :

परंतु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रूपए से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया है ।

(5) यदि, किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा ।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अनंतिम स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (5) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी

रकम निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर संदत्त कर का प्रतिदाय ;

(ख) उपधारा (3) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय ;

(ग) प्रदाय पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है ;

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया हो ; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज।

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, सिवाय उपधारा (8) में प्रावधानित उपबंधों के, कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(10) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कोई प्रतिदाय शोध्य है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को रोके रख सकेगा ;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख ।

(11) जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या आगे की कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, रोके रख सकेगा ।

(12) जहां उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को रोके रखा गया है तो धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छः प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है ।

(13) इस धारा में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है ।

(14) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का, आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रूपए से कम है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(1) "प्रतिदाय" में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की प्रदाय पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है ।

(2) "सुसंगत तारीख" से अभिप्रेत है—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,--

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह

तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख ;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की प्रदाय की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिस पर ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की प्रदाय को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था ;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के संसूचना की तारीख ;

(ङ) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उदभूत होता है ;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख ;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख ; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख ।

कतिपय मामलों में प्रतिदाय.

55. सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी कोई विशेषीकृत अभिकरण या किसी अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कांसुलेट
1947 का 46
या दूतावास या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग को, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाए, के अधीन

रहते हुए, उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित प्रदाय पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज.

56. यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छः प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा :

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा ।

उपभोक्ता कल्याण निधि.

57. सरकार एक निधि का गठन करेगी, जिसे उपभोक्ता कल्याण निधि कहा जायेगा और उस निधि में—

(क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम ;
(ख) निधि में प्रत्यय की गई रकम के निवेश से कोई आय ; और
(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियों

का प्रत्यय ऐसी रीति में किया जायेगा, जो विहित की जाए ।

निधि का उपयोग.

58. (1) निधि में प्रत्यय की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा पृथक् अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप में तैयार करेगा ।

अध्याय 12

निर्धारण

59. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्व-निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा । स्व-निर्धारण.

60. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति, मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है तो वह समुचित अधिकारी को अनंतिम आधार पर लिखित में कर के संदाय के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करेगा । अनंतिम निर्धारण.

(2) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित की जाए, और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पादित करता है ।

(3) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छः मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा :

परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छः मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, मालों या सेवाओं की प्रदाय या दोनों पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किंतु जिसका संदाय नियत तारीख तक धारा 39 की उपधारा (7) या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् वास्तविक संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसे संदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित

IndiaCode

ब्याज का संदाय किया जाएगा ।

विवरणियों की संवीक्षा.

61. (1) समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

विवरणियों को फाइल न करने वालो का निर्धारण.

62. (1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीली से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रत्याहृत किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व बना रहेगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण.

63. धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी उक्त कराधेय व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर संबंधित कर अवधि के लिए कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का

आदेश जारी करेगा :

परंतु व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण.

64. (1) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

परंतु कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व, मालों की प्रदाय के संबंध में है तो ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन शोध्य अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

IndiaCode

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा.

65. (1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को, लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छः मास से अनधिक और कालावधि के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "लेखापरीक्षा का आरंभ" से वह तारीख अभिप्रेत है जिस पर कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या कारबार के स्थान में लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ पर, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, उपलब्ध करा दिए जाते हैं ।

(5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,--

(i) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करना ;

(ii) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा को समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की ।

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षो, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निषकर्षो के कारणों से सूचित करेगा।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा ।

66. (1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में, सहायक आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी का, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा । **विशेष लेखापरीक्षा.**

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा :

परंतु सहायक आयुक्त उसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि के लिए विस्तार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी

अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा के व्यय, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.

67. (1) जहां संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न के समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) जहां किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय या अपने पास रखे गए मालों के स्टाक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है ; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जहां संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न का समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन

किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या वह स्वयं ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, मालों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय मालों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे संव्यवहार नहीं करेगा :

परंतु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें अथवा कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज, बहियां या चीजें जिन पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोलने की शक्ति होगी ।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनमे उद्धरण लेने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, लेने का हकदार होगा ।

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए, या यथास्थिति, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छः मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई

सूचना जारी नहीं की गई है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छः मास की अवधि का समुचित अधिकारी द्वारा छः मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

(8) सरकार, मालों के नष्ट होने या परिसंकटमय प्रकृति, समय के साथ मालों के मूल्य में अवक्षयण, मालों के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, मालों या मालों के ऐसे वर्ग को, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (2) के अधीन पश्चात् अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र निपटान किया जाएगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(9) जहां कोई माल, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिनका समुचित अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में , जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा ।

1974 का 2 (10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 उपधारा (5) में शब्द "मजिस्ट्रेट" जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया गया था ।

(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति की लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण उसकी रसीद प्रदान करके कर सकेगा और उन्हें इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा ।

(12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार परिसर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के क्रय को ऐसे व्यक्ति द्वारा कर बीजकों के जारी करने या प्रदाय बिलों की जांच करने के लिए क्रय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति मालों के लिए इस प्रकार संदत्त रकम का पूर्व में जारी किए गए प्रदाय के लिए कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा ।

68. (1) सरकार, ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा प्रवहन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, मालों के परेषण का प्रवहन को ले जाए जाने वाले प्रवहन **संचलन में मालों का निरीक्षण.**

के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, अपेक्षा कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रवहन को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यकृति दस्तावेजों और युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा मालों के निरीक्षण को भी अनुज्ञात करने का दायी होगा ।

गिरफ्तार करने की शक्ति.

69. (1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित किया है जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय है तो वह, आदेश द्वारा, राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से सूचित करेगा और उसे चौबीस घंटें के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

1974 का 2 (3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,--

(क) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा ;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में, उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए वहीं शक्तियां होंगी और उन्हीं उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए होगा, जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं ।

व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति.

70. (1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी
1908 का 5 रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है ।

1860 का 45 (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जाएगा ।

कारबार परिसरों तक पहुंच.

71. (1) संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न का समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कंप्यूटरों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, कंप्यूटर साफ्टवेयर चाहे किसी कंप्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा और ऐसी अन्य चीजों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर किसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक हो, पहुंच होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्टर्ड लेखाकार को —

(i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित करेगा ;

(ii) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य ;

(iii) सम्यकत: लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं की वार्षिक विवरणी, जहां अपेक्षित हो ;

2013 का 18 (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ;

1961 का 43 (v) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन आय-कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ; और

(vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, से पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध कराएगा ।

समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी.

72. (1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी और केंद्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे ।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे अपेक्षा कर सकेगी ।

अध्याय 15

मांग और वसूली

कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के किसी कारण को छोड़कर असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रदाय या गलती से लिए गए या उपयोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण।

73. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट के कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे ।

(2) समुचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व, जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली से भिन्न कालावधियों के लिए उपयोग किये गए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के ऐसे कर के निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के लिए, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन

विवरण की तामीली नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा ।

(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और शास्ति की कर के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रूपए, जो भी हो, को ऐसे व्यक्ति से शोध्य अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा ।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्व-निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है ।

कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रदाय या गलती से लिए गए या उपयोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण।

74. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए

उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छः मास पूर्व जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझा जाएगा कि उक्त विवरण में अवलंब लिए गए आधार, सिवाय कपट के आधार के या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कर अपवंचन के लिए किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के स्व-निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार किसी संदत्त कर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा ।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा ।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख से पांच वर्ष के भीतर जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर

प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1— धारा 73 एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) शब्द "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "छिपाना" से अभिप्रेत होगा ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता ।

कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध.

75. (1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से विवर्जित किया जाएगा ।

(2) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा मानों कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी ।

(3) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया

जाएगा ।

(4) सुनवाई के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल विनिश्चय की प्रत्याशा है ।

(5) समुचित अधिकारी, यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :

परंतु ऐसा कोई स्थगन, कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

(6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों का अधिकथन करेगा ।

(7) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी।

(8) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय, समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है तो ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपांतरित हो जाएगी ।

(9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है ।

(11) कोई विवादक, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां विवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं।

IndiaCode

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्व-निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी ।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

संग्रहीत किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर.

76. (1) अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह प्रदाय, जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम को उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संग्रहित रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख के लिए ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा ।

(5) वहां सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी की गई है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है ।

(6) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की

कालावधि की संगणना करने में विवर्जित किया जाएगा ।

(8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत कारणों को अधिकथित करेगा ।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा ।

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता है तो ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है ।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

गलती से संग्रहीत किया गया और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर.

77. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतःराज्य प्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और राज्य कर संदत्त किया है किंतु जिसे पश्चातवर्ती रूप से अंतःराज्य प्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतःराज्य प्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतःराज्य प्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, से संदेय राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना.

78. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

परंतु जहां समुचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

कर की वसूली.

79. (1) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक रीति से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात् :--

(क) समुचित अधिकारी, ऐसे व्यक्ति से संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती कर सकेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो समुचित अधिकारी या

ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है;

(ख) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार संदेय रकम की, ऐसे व्यक्ति से सम्बंधित वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके वसूली कर सकेगा अथवा किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से वसूली करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है;

(ग) (i) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो जाता है, जो ऐसे व्यक्ति के लेखे पर धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप से धन धारण करता है, सरकार को तुरंत धन शोध्य होने पर या उसके द्वारा धारण किए जाने पर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किए जाने से पूर्व की नहीं होगी, उतने धन को, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को संदाय करने के लिए या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ;

(iii) किसी व्यक्ति को, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस नियम या इसके अधीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम लागू होंगे;

(iv) उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ;

(v) उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालन में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय करने वाला समझा जाएगा और ऐसे संदाय का सरकार में प्रत्यय किए जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा ;

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति, निर्वहन किए गए

दायित्व के विस्तार तक या व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार तक कर, ब्याज और शास्ति, इनमें से जो भी कम हो, के लिए सरकार के प्रति दायी होगा ;

(vii) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उपखंड (i) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या न ही वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लेखे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण कर रहा था, और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लेखे धारण किए जाने की संभावना है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात की उस व्यक्ति से जिस पर सूचना की ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार को संदाय करने के लिए तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा किया गया समझा जाएगा;

(घ) समुचित अधिकारी इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का कुर्की और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत ऐसे कुर्की के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करना कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगतों संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत से असंदत लागत है और आधिक्य लागत, यदि कोई हो, को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा ;

(ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया था ;

1974 का 2 (च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित था ;

(2) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखत यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखत के अधीन शोध्य किसी रकम को उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल किया जा सकेगा, तो वसूली के किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा

के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

(3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है तो केंद्रीय कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह केंद्रीय कर का बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में प्रत्यय करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा ।

कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय.

80. किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्व-निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम के संदाय को धारा 50 के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु जहां किसी सम्यक् तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है तो ऐसी तारीख को संदेय सभी बकाया शोध्य हो जाएगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली का दायी होगा ।

कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना.

81. जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात् उससे संबंधित या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, बंधक रखने, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे, जो भी हो, द्वारा अपनी किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से विलग होता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा :

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सदभावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लंबित होने पर बिना किसी सूचना के या ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय अन्य राशि या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है ।

कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना.

2016 का 31 **82.** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में अन्यथा उपबंधित के किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा ।

83. (1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा । **कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की.**

(2) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा ।

84. जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "सरकारी शोध्य" के रूप में निर्दिष्ट है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी मांग की सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती है तब— **कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण.**

(क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थी ;

(ख) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो,--

(i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा ;

(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, संसूचना देगा ;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां, इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिसमें ऐसी कार्यवाहियां, ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेंगी।

अध्याय 16

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व.

85. (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागत: विक्रय, उपहार, पट्टा, अनुमति और अनुज्ञप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्त: पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोध्य कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किंतु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा प्रदाय किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है और विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करता है, दायी होगा ।

अभिकर्ता और प्रधान का दायित्व.

86. जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान की ओर से कराधेय वस्तुओं की प्रदाय करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान, संयुक्त रूप से और पृथक्त: इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे ।

कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व.

87. (1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और आदेश का आदेश किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की तारीख के बीच मालों की या सेवाओं की या दोनों की प्रदाय की है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसा प्रदाय और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के प्रदाय या प्राप्ति आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा और वे तद्नुसार कर का संदाय करने की दायी होंगे।

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए सुभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिसट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा ।

परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व.

88. (1) जब किसी कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "परिसमापक" के रूप में निर्दिष्ट है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर

IndiaCode

आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा ।

(2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा संदेय है या संदेय हो जाती है, अधिसूचित करेगा ।

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे परिसमापन के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

2013 का 18

प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व .

89. (1) कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का, ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की प्रदाय के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी ।

फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिए दायित्व.

90. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा :

परंतु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या नहीं, दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है ।

संरक्षकों, न्यासियों आदि का दायित्व.

91. जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, को किसी अल्पव्यय या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लाभ के लिए किसी संरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे संरक्षक या न्यासी या संरक्षक पर कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह व्यस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

प्रतिपाल्य न्यायालय का दायित्व आदि.

92. जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग के अधीन कोई कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधेय है, किसी प्रतिपाल्य न्यायालय, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति उस पर उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका कराधेय के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध.

2016 का 31

93. (1) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, तब—

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि

मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय चुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किंतु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदत्त या अवधारित किया गया है ।

(2) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या अवधारित किया गया है ।

2016 का 31 (3) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन फर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है ।

2016 का 31 (4) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,--

(क) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है ; या

(ख) कोई न्यासी है, जो हितग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किंतु जो असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है ।

अन्य मामलों में दायित्व.

94. (1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,--

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को जारी न रखना हुआ ही न हो ; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था ।

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होंगे ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, को या कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तदनुसार उस धारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

(i) "सीमित दायित्व भागीदारी" जिसे सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम,
2009 का 6 2008 के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा ;

(ii) "न्यायालय" से अभिप्रेत है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ।

अध्याय 17

अग्रिम विनिर्णय

परिभाषाएं.

95. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से अभिप्रेत है किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की

उपधारा (1) में मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया विनिश्चय;

(ख) "अपील प्राधिकरण" से अभिप्रेत है धारा 99 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण;

(ग) "आवेदक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति ;

(घ) "आवेदन" से अभिप्रेत है धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन;

(ङ) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है धारा 96 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन.

96. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा छत्तीसगढ़ अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,--

(i) केंद्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य ; और

(ii) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य,

जिन्हें क्रमशः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन.

97. (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला आवेदक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवेदन करेगा ।

(2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय मांगा जाता है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,--

(क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना ;

(ग) मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का समय और मूल्य का अवधारण ;

(घ) संदत्त या समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता ;

(ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण ;

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है ;

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई कोई विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के बराबर या उनकी प्रदाय के रूप में होता है।

आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया.

98. (1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण, उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा :

परंतु किसी मामले में जहां प्राधिकारी द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा ।

(2) प्राधिकारी, आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा :

परंतु प्राधिकारी वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(4) जहां किसी आवेदन को उपधारा (2) के अधीन ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उदघोषणा की जाएगी ।

(5) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतैक्य रखते है, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वह मतैक्य रखते है और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे ।

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में

अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा ।

(7) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उदघोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, प्राधिकरण द्वारा ऐसी उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी ।

अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण का गठन.

99. सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(i) बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त ; और

(ii) राज्य कर आयुक्त ।

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी ।

अपील प्राधिकरण को अपील.

100. (1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उदघोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक, अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील की संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु अपील प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

अपील प्राधिकरण के आदेश.

101. (1) अपील प्राधिकरण अपील या प्रतिनिर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मतैक्य रखते है और यह समझा जाएगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया गया है ।

(4) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उदघोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसी उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी ।

102. प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 98 या धारा 101 के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट गलतियों को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी गलती प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश की तारीख से छः मास के भीतर लाई जाती है : **अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि.**

परंतु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

103. (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा— **अग्रिम विनिर्णय का लागू होना.**

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी ;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय बाध्यकर होगा सिवाय तब जब मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई हों।

104. (1) जहां प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था : **कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना.**

IndiaCode

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो ।

स्पष्टीकरण–धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी ।

प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां.

105. (1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,--

1908 का 5

(क) खोज और निरीक्षण ;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना ।

(2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थातर्गत और भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

1974 का 2

1860 का 45

प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया .

106. प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

IndiaCode

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

अपीलीय प्राधिकारी को अपीलें.

107. (1) इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे अपीलीय प्राधिकारी, जो की विहित की जाए, उस तारीख से, जिस पर ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर, अपील कर सकेगा ।

(2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केंद्रीय कर के आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम

या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उदभूत होते हैं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छः मास के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को किसी अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) जहां उपधारा (2) अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसा आवेदन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यवहार किया जाएगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छः मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यपित की जाएगी जो विहित किया जाए ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने निम्नलिखित संदाय नहीं किया हैं –

(क) अक्षेपित आदेश से उदभूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की राशि का ऐसा भाग, पूर्णतः, जैसा उसके द्वारा स्वीकारा गया है ; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उदभूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी ।

(8) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(9) अपीलीय प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन से अधिक समय नहीं दिया जाएगा ।

(10) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना

अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था ।

(11) अपीलीय प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु अधिहरण या वर्जित मूल्य के माल का अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या आगत कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि अपीलीय अधिकरण की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां आगत कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है ।

(12) अपील निपटारा करने वाला अपीलीय प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन करेगा।

(13) अपील प्राधिकरण, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी ।

(14) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकरण उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रतिवादी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा ।

(15) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और केंद्रीय कर अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी ।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

108. (1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना पर या केंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और जांच कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अवलोकन है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है । पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां.

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि–

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है ; या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है ; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है ; या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है :

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा जो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट किसी अपील में ऐसी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चातवर्ती हो, उसके समक्ष नहीं उठाया गया है या विनिश्चित नहीं किया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

(4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है जिसमें अपीलीय अधिकरण या उच्च न्यायालय में किसी अन्य कार्यवाही में अपना

IndiaCode

विनिश्चय दिया है और अपीलीय अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपीलीय अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं ।

(5) उपधारा (1) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपीलीय अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द ,–

(i) "अभिलेख" में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे ;

(ii) "विनिश्चय" में पुनरीक्षण प्राधिकारी की श्रेणी से न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी ।

IndiaCode

अपीलीय अधिकरण और उसकी न्यायपीठें.

109. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपीलीय अधिकरण होगा ।

(2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 109 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी ।

अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि.

110. राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा ।

अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया.

1908 का 5 **111.** (1) अपीलीय अधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बद्ध होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अध्यधीन निर्देशित होगा और अपीलीय अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

1908 का 5 (2) अपीलीय अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल

न्यायालय में यथा विहित शक्तियों के समान होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थिति को लागू करना तथा उसे शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

1872 का 1 (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) चूक या एकपक्षीय विनिश्चय के किसी प्रतिवेदन पर किसी प्रतिवेदन को खारिज करना;

(छ) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(3) अपीलीय अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह अपीलीय अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय में भेजे--

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए व्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है ।

1860 का 45 (4) अपीलीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों क लिए न्यायिक
1974 का 2 कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपीलीय अधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

112. (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा । **अपीलीय अधिकरण को अपील.**

(2) अपीलीय अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार

करने से इन्कार कर सकता है जहां कर या इनपुट कर प्रत्यय अंतर्वलित हो या इनपुट कर में अंतर अंतर्वलित हो या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या शास्ति अवधारित होती हो तथा 50 हजार रूपए से अधिक न हो ।

(3) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वतः या केंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निर्देश देकर उस तारीख को जिस पर अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपीलीय अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपीलीय अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपीलीय अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन फाइल अपील के संबंध में लागू होते हैं ।

(5) इस सूचना की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है, पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील हुई है किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, सूचना की प्राप्ति के 45 दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का ज्ञापन, आदेश जिसके किसी भाग के विरुद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपीलीय अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो ।

(6) अपीलीय अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था ।

(7) अपीलीय अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित जो विहित की जाए, में होगी ।

(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,--

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, जो उस आदेश जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उदभूत हुई है ।

(9) जहां अपीलार्थी उपधारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां, अपील के निपटान तक रोकी हुई समझी जाएंगी ।

(10) अपीलीय अधिकरण के समक्ष,-

(क) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अपील में ;

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,

किये गये प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी शुल्क संलग्न की जाएगी, जो विहित किया जाए ।

अपीलीय अधिकरण के आदेश.

113. (1) अपीली अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है के पुष्टिकरण, उपांतरण या बातीलकरण जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या अपीलीय अधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णयक प्राधिकारी को ऐसे निदेशों को जिनको वह ठीक समझे सहित वापस नये न्यायनिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हों, विनिश्चय के लिए वापस भेज सकेगा ।

(2) अपीलीय अधिकरण यदि समुचित कारण दिए जाएं तो किसी अपील की सुनवाई की किसी प्रास्थिति पर उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों को समय प्रदान कर सकेगा या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा :

परंतु यह कि इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक समय नहीं प्रदान किया जाएगा ।

(3) यदि ऐसी कोई त्रुटि अपने-आप उसके संज्ञान में आ जाती है या आयुक्त या केंद्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में आदेश की तारीख के तीन मास की अवधि में लाई जाती है तो अपीलीय अधिकरण अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा ।

परंतु यह कि ऐसा कोई संशोधन जो निर्धारण में वृद्धि या वापसी की कमी या इनपुट कर प्रत्यय या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को सुनवाई का अवसर न प्रदान किया जाए ।

(4) अपीलीय अधिकरण जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुनेगा और विनिश्चय करेगा ।

(5) अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति

अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णयक प्राधिकारी अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या केंद्रीय कर आयुक्त को यथास्थिति भेजेगा ।

(6) जैसा कि धारा 117 या धारा 118 में उपबंधित है, अपीलीय अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां.

114. राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपीलीय अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित किया जाए :

परंतु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

अपील प्रस्तुत करने के लिए संदत्त रकम की वापसी पर ब्याज.

115. जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) या धारा 112 की उपधारा (8) के अधीन संदत्त रकम को अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वापस किया जाना अपेक्षित है तो धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसे रकम की वापसी की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति.

116. (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन जब उससे अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शब्द "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्देशित व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है--

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी ; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत एकाउंटेंट या कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या बोर्ड के वाणिज्य कर विभाग

का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान 'ख' श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो :

परंतु यह कि ऐसा कोई अधिकारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए अधिकारी नहीं होगा ; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है ।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति न हो -

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो ; या

(ख) जो इस अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या विद्यमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल के प्रदाय या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो ; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया हो ;

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ह नहीं होगा--

(i) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए ; और

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या किसी अन्य राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरर्ह है इस अधिनियम के अधीन भी निरर्ह समझा जाएगा ।

उच्च न्यायालय को अपील.

117. (1) राज्य पीठ या अपीलीय अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यथित व्यक्ति द्वारा अपीलगत आदेश प्राप्त हुआ है से 180 दिन की अवधि में अपील फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्ररूप में और उस सत्यापित रीति में होगी जो

विहित की जाए :

परंतु यह कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का समुचित कारण था ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विरचित करेगा और केवल इस प्रकार विरचित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रतिवादी अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है पर बहस करने के लिए अनुज्ञेय होंगे :

परंतु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विनिश्चित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को समाप्त करने या उसका अल्पीकरण करने के रूप में नहीं समझा जाएगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित हैं, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो—

(क) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो ; या

(ख) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो ।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों अथवा ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत, यदि कोई हो, के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी ।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा ।

(8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
1908 का 5 के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में, जहां तक संभव हो, लागू होंगे ।

118. (1) ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी-- उच्चतम न्यायालय को अपील.

(क) राष्ट्रीय पीठ या अपीलीय अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध ; या

(ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्वतः या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके ओर से किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए उचित मामला है ।

1908 का 5

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिक्री की अपील के मामले में होते हैं।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उलट गया हो वहां उच्च न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति में उच्चतम न्यायालय का आदेश होता है ।

119. किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय अधिकरण के राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय की जाएगी । **राशि जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त की जानी हैं.**

120. (1) आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील या आवेदन के नियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी किसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा । **कतिपय मामलों में अपील का फाइल नहीं किया जाना.**

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन नहीं फाइल कर सकेगा, यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वलित समान या समतुल्य विवाद्यक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा ।

(3) किसी बात के होते हुए भी यह तथ्य कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अपील में या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर विवादित बिंदु पर विनिश्चय से वह अधिकारी, राज्य कर का अधिकारी अवगत

था, आशयित नहीं करेगा ।

(4) अपीलीय अधिकरण या न्यायालय, ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।

अपील न किए जा सकने वाले विनिश्चय और आदेश.

121. इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है अर्थात् :--

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो ; या

(ख) लेखा पुस्तकों, रजिस्टर आदि अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या रोके रखने से संबंधित कोई आदेश ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश ; या

(घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश ।

IndiaCode

अध्याय 19

अपराध और शास्तियां

कतिपय अपराधों के लिए शास्ति.

122. (1) जहां कराधेय व्यक्ति जो-

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करता है या ऐसे किसी प्रदाय के लिए झूठा या गलत बीजक जारी करता है;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के बिना बीजक या बिल जारी करता है ;

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को तीन मास से परे उस तारीख, जिस पर ऐसा संदाय देय था, को संदाय करने में असफल रहता है ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को तीन मास से परे उस तारीख, जिस पर ऐसा संदाय देय था, को संदाय करने में असफल रहता है ;

(v) धारा 51 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है;

(vi) धारा 52 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ;

(vii) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है ;

(viii)इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है ;

(ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है ;

(x) इस अधिनियम के अधीन देय कर अपवंचन के आशय से या वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है ;

(xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है ;

(xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है ;

(xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है ;

(xiv) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराधेय किसी माल का परिवहन कराता है ;

(xv) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने टर्नओवर को छिपाता है ;

(xvi) इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असमर्थ रहता है ;

(xvii) इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है ;

(xviii) ऐसे किसी माल को प्रदाय, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं ;

IndiaCode

(xix) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है ;

(xx) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(xxi) किसी माल को खुर्दबुर्द या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोके, जब्त या कुर्क किया हुआ था,

दस हजार रूपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदेय नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संग्रहित नहीं किए गए कर या कम संग्रहित या संग्रहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी, जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल का प्रदाय या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या किसी कारण से उपयोग किया है,--

(क) कपट के कारण भिन्न या किसी जानबूझ कर गलत कथन करता या कर बचाने के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रूपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा ।

(ख) कपट के उद्देश्य से या कर अपवंचन के तथ्यों का जानबूझ कर गलत कथन या छिपाता है तो वह दस हजार रूपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत की शास्ति से, जो उच्चतर हो, दायी होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो-

(क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने या विक्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी ;

(ग) सेवाओं को प्राप्त करता है या इसके प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी प्रदाय को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है यह इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु

सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिए कैफियत देने में असमर्थ रहता है,

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति.

123. यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि देने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के लिए सौ रूपए प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगा :

परंतु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक नहीं होगी।

आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना.

124. यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,--

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझ कर प्रस्तुत करता है,

वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार तक हो सकेगा और अपराध जारी रखने की दशा में और जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन जिसके दौरान अपराध जारी रहती है, बीस हजार की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक हजार रूपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा ।

साधारण शास्ति.

125. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

शास्ति से संबंधित साधारण अनुशासन.

126. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा बिना कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के बिना किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए--

(क) यदि किसी भंग जिसमें पांच हजार रूपए से कम का कर अंतर्वलित है तो वह "छोटा भंग" माना जाएगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने

IndiaCode

वाली मानी जा सकेगी जो अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष त्रुटि है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की अवस्था और गंभीरता के अनुपात में होगी।

(3) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं, जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट किया गया है, वर्णित करेगा ।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले या विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा ।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में जहां शास्ति से इस अधिनियम के अधीन नियमराशि या नियत प्रतिशत के रूप में विनिर्द्रिष्ट है ।

कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.

127. जहां समुचित अधिकारी इस विचार का है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाह में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा ।

शास्ति या शुल्क या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति.

128. सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब शुल्क का भाग में या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिश पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनीकरण परिस्थितियों के अधीन, अधित्यजन कर सकेगी ।

अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण.

129. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन करते हैं, सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसे माल तथा अभिवहन से सम्बंधित दस्तावेजों को अभिरक्षा या अभिग्रहण में लेने के लिए दायी होगा तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण के पश्चात निम्नानुसार निर्मुक्त किया जाएगा -

(क) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेय कर के 100 प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के

संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर :

परंतु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा मे या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा ।

(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध, माल एवं प्रवहन की अभिरक्षा और अभिग्रहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) माल एवं प्रवहन की अभिरक्षा या अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए एक आदेश पारित करेगा ।

(4) बिना संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए ब्याज या शास्ति उपधारा (3) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी ।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन में असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा 130 की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी :

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में ह्रास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी ।

माल एवं प्रवहन की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण.

130.(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति--

(i) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल का प्रदाय या प्राप्ति कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(ii) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर सदाय के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का प्रदाय; या

(iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को ढोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का मालिक यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके ऐजेंट की बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा ।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्त माल के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा :

परंतु यह कि ऐसा उद्ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल के बाजार मूल्य से अधिक तथा उस पर प्रभारित कर से कमनहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा :

परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त कोई ऐसा प्रवहण या मालिक को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प किया जा सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित माल या प्रवहण की जब्ती के स्थान पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे माल का स्वामी या प्रवहण या व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल का प्रवहण की बाबत शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा ।

(4) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा ।

(6) जब्ती के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान केपश्चात्कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम की धारा के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के स्थान पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक युक्ति युक्त समय देनेके

पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय उत्पाद सरकार को जमा करेगा ।

1974 का 2

जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेक नहीं करेगा.

131. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम और इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड जो उससे प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड से निवारित करेगा ।

कतिपय अपराधों के लिए दंड.

132. (1) जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है, अर्थात् :--

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अपवंचन के आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में गलत प्राप्ति या निक्षेप कर प्रत्यय के प्रयोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों का प्रदाय बिना बीजक या बिल के जारी करना;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल को उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;

(घ) कोई रकम कर के रूप में संग्रहित करता है किन्तु उसे उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है ;

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं आता;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्त्तुत करता है;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है;

(ज) किसी माल जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों को जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, प्रदाय करता है या क्रय करता है या किसी अन्य रीति में निपटारा करता है;

(झ) किसी माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसके प्रदाय से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा प्रदाय में लगा रहता है जिसको वह जानते हुए करता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के

उल्लंघन में है ;

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(ट) किसी सूचना का प्रदाय करने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम में या इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन प्रदाय के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके द्वारा प्रदाय की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

दंडनीय होगा--

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम पांच सौ लाख रूपए से अधिक है, ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(ii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकमदो सौ लाख रूपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रूपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम एक सौ लाख रूपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रूपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iv) खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छः मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से,

(3) उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास विशेष और उचित कारण जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित की गई है की अनुपस्थिति में छः मास से कम अवधि का नहीं होगा ।

1974 का 2 (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंज्ञेय और जमानतीय होगा।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट

और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए शब्द "कर" में इस अधिनियम, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपवंचित कर की रकम या गलत रूप से रखी गई कर प्रत्यय की रकम या उपयोजित की गई रकम या गलत रूप से ली गई वापसी तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उदगृहीत उपकर सम्मिलित है।

अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व.

133. (1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या समेकन या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल या अभिकर्ता जानबूझकर इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी विवरणी के अंश उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के लिए वह ऐसे कारावास से जो छः मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति,--

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा ।

अपराध का संज्ञान.

134. कोई न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध **का** संज्ञान, आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्न का कोई न्यायालय, अपराध का विचारण नहीं करेगा।

आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान.

135. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्‌यमानता को अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करने के लिए यह बचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थिति का नहीं था ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) शब्द "आपराधिक मानसिक दशा" में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य शामिल है;

(ii) एक सिद्ध किया हुआ केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर बिना युक्तियुक्त संदेय के विश्वास करता है और केवल जब इसकी विद्यमानता, प्राथमिकता की संभाव्यता द्वारा स्थापित है ।

136. इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, तथ्य की सत्यता जिसमें अंतर्विष्ट होगा- *कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनो की सुसंगतता.*

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मर गया है या नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्वारा तरीके से भिन्न या जिसको देरी के बिना उपस्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अनौचित्यपूर्ण मानेगा; या

(ख) जब किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है और न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

137. (1) जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे : *कंपनियों द्वारा अपराध.*

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के भागीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए किए जाने के अधीन दायी होंगे । ऐसे व्यक्तियों को उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक्

तत्परता बरती थी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कंपनी" से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ii) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से अभिप्रेत है उस फर्म का भागीदार ।

138. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन किया जाएगा : अपराधों का प्रशमन.

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खंड (1) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है ;

(ख) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रूपए से अत्यधिक मूल्य के प्रदाय के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया था ;

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है ;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है ;

(ङ) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है; और

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुज्ञात होगा जो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाईयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालता :

परंतु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुज्ञात होगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम अंतर्वलित कर के दस हजार रूपए या पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हों, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए से अन्यून या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिकतम हों, विहित की जा सकेगी ।

(3) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसे प्रशमन रकम के संदाय पर समान अपराध और किसी अन्य दांडिक कार्यवाहियों के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन संस्थित नहीं होंगी, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, समाप्त हो जाएगी ।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन.

139. (1) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अंतिम प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि ऐसी विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था ।

इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं.

140. (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित, विवरणी में अग्रनीत मूल्य संवर्धित कर के प्रत्यय की रकम, यदि कोई हो, को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में जमा करने हेतु अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात् :--

(i) जहां जमा की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है ; या

(ii) जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छः मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है ; या

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलैक्ट्रानिक जमा खाते में
1956 का 74 जमा किए जाने हेतु पात्र नहीं होगी :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है ।

(2) धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त अवधि के लिए पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, जो उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत विवरणी में अग्रनीत नहीं की गई है :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा जब तक ऐसा प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है और इस अधिनियम के अधीन भी इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए शब्द "अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय " से अभिप्रेत है वह रकम, जो उक्त पूंजी माल के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति हकदार था, को इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की रकम, जो पहले ही प्राप्त हो चुकी है, को घटाने के पश्चात् शेष रहती है ;

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन छूट प्राप्त माल या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और जिनके पश्चातवर्ती विक्रय विधमान विधि के अधीन राज्य में कर के अध्यधीन नहीं है, के विक्रय में लगा है, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं या जहां व्यक्त, मालों, यदि कोई हो, के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात् :--

(i) ऐसे इनपुट या मालों का उपयोग या उपयोग किये जाने का आशय इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए है ;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट पर इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुट के संबंध में विद्‌यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, रखता है ;

(iv) ऐसे बीजक या विहित अन्य दस्तावेज नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किए गए थे ;

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इनपुट के संबंध में कर के संदाय का साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी जमा के लाभ प्राप्तकर्ता को मूल्य की कमी के द्‌वारा हस्तांतरित करेगा शामिल है, ऐसी दर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पर जमा लेने को अनुज्ञात होगा ।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्‌यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के विक्रय में संलग्न था किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,--

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्‌वारा विद्‌यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम ; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के संबंध में नियत दिन को स्टाक में रखे गए इनपुट और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुट के सबंध में अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किंतु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्‌यमान विधि के अधीन प्रदाता द्‌वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था :

परंतु तीस दिन की अवधि को पर्याप्त कारण दर्शित करने पर तीस दिन की और अधिक अवधि में आयुक्त द्‌वारा विस्तारित किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा ।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य संवर्धित कर का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :--

(i) ऐसे इनपुट या मालों का उपयोग या उपयोग किये जाने का आशय इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए है ;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करता है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट पर इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है ;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुट के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, रखता है ;

(v) ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किए गए थे ।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में प्रगणित होगी, जो विहित की जाए ।

जॉब वर्क के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध ।

141. (1) नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, जहां कोई इनपुट, कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में आगे और प्रसंस्करण, जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुट को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् वापस भेजा जाता है तो उस समय कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुट को जॉब वर्क के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छः मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता है :

परंतु छः मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि उक्त इनपुट को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

(2) जहां कोई अर्ध तैयार माल, कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जो

इसमें इसके पश्चात् इस उपधारा में "उक्त माल" के रूप में निर्दिष्ट है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि उक्त माल विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छः मास के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है:

परंतु छः मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, उक्त मालों को किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में, वहां से आगे उनका कहीं और प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए भारत में कर के संदाय पर या, निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अंतरित कर सकेगा :

(3) जहां विद्यमान विधि के अनुसरण में नियत की गई तारीख के पूर्व कारबार के स्थान से कोई माल कर के बिना संदाय के परीक्षण अथवा किसी अन्य प्रक्रिया हेतु किसी अन्य परिसर में भेजा गया था, भले ही रजिस्टर्ड हो या नहीं, और ऐसा माल उक्त स्थान पर नियत तारीख या इसके पश्चात् वापस किया जाता है, तो कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियत तारीख से छः मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :

परंतु छः मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, उक्त मालों को उक्त अन्य परिसरों से, भारत में कर के संदाय पर या, निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अंतरित कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन कर संदेय नहीं होगा, यदि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति और जॉब वर्कर, नियत तारीख को उक्त व्यक्ति की ओर से जॉब वर्कर द्वारा स्टाक में रखे माल अथवा इनपुट के ब्यौरे, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, घोषित करता है।

प्रकीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध।

142 (1) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई है, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था, नियत तारीख से पूर्व छह मास अपेक्षा पूर्व का समय ना हुआ हो, नियत तारीख के पश्चात् अथवा कारबार के स्थान पर वापिस किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन देय शुल्क के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को वापस किया जाता है तथा ऐसे माल का समुचित अधिकारी के समाधान होने पर पहचान की जानी है :

परन्तु यह कि उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है, ऐसे माल की वापसी प्रदाय के लिए समझी जाएगी ।

(2) (क) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनो की कीमत नियत तारीख के पश्चात् अथवा उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे पुनरीक्षित कीमत की 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा नामे पत्र को पाने के लिए ऐसे माल या सेवा अथवा दोनों के जारी किए जाने का उपबंध किया गया था या हटा दिया गया था तथा इस अधिनियम के उदेदश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे पत्र को इस नियम के अधीन की गई बाहरी प्रदाय के संबंध में जारी किया समझा जाएगा ।

(ख) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनो की कीमत नियत तारीख के पश्चात् अथवा उससे पूर्व नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसने मालों का विक्रय किया था, ऐसे पुनरीक्षित कीमत की 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा नामे पत्र को पाने के लिए ऐसे माल या सेवा अथवा दोनों के जारी किए जाने का उपबंध किया गया था या हटा दिया गया था तथा इस अधिनियम के उदेदश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे पत्र को इस नियम के अधीन की गई बाहरी प्रदाय के संबंध में जारी किया समझा जाएगा :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल जमा पत्र के जारी किए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि जमा पत्र के पाने पर दायी कर के ऐसे कम करने के लिए तत्स्थानी उसका इनपुट कर प्रत्यय घट जाता है ।

(3) विद्यमान विधि के अधीन संदत्त इनपुट कर प्रत्यय, कर, ब्याज की किसी रकम अथवा कोई अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत करेगा और उसके लिए प्रोदभूत की गई पारिणामिक किसी रकम को विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी,

नगद संदेय किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

(4) नियत तारीख के पश्चात् अथवा उसके पूर्व निर्यात किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन किसी शुल्क अथवा संदेय कर के प्रतिदाय हेतु नियत तारीख के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसरण में निराकृत किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व उलट दिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी ।

(6)(क) आरंभिक इनपुट कर प्रत्यय हेतु दावे के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनःविलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो तथा दावा करने के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी :

परन्तु यह कि इनपुट कर प्रत्यय की किसी रकम का प्रतिदाय, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत के तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

(ख) आरंभिक इनपुट कर प्रत्यय के वसूली के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत की जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि

के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(7)(क) आरंभिक बाहरी शुल्क अथवा देय कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत की जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(ख) आरंभिक बाहरी शुल्क अथवा दायी कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत की जाएगी तथा कोई दावाकृत रकम स्वीकार योग्य पाई जाती है विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(8)(क) जहां किसी आवर्ती अथवा संस्थित की गई कार्यवाही के न्यायनिर्णयन के अनुसरण में चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, कोई कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की रकम व्यक्ति से वसूल योग्य हो, विद्यमान विधि के अधीन तब तक वसूल योग्य नहीं होगी जब तक इस अधिनियम के अधीन कर का बकाया वसूल न कर लिया जाए तथा इस प्रकार वसूली की गई, रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(ख) जहां किसी आवर्ती अथवा संस्थित की गई कार्यवाही के न्यायनिर्णयन के अनुसरण में चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, कोई कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की रकम कर योग्य व्यक्ति को प्रतिदाय की गई हो विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(9)(क) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन तैयार की गई हो, नियत तारीख के पश्चात् पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूल योग्य पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम

अननुज्ञेय पायी जाती है, विद्यमान विधि के अधीन तब तक वसूल नहीं की जाएगी जब तक इस अधिनियम के अधीन कर का बकाया वसूल नहीं किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन तैयार की गई हो, नियत तारीख के पश्चात् परन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम प्रतिदाय की जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय किसी कराधेय व्यक्ति के लिए स्वीकार्य पाई जाती है, उसका प्रतिदाय विद्यमान विधि के अधीन नगद में की जाएगी, और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय, नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख के पश्चात् अथवा माल या सेवा अथवा दोनो प्रदाय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगा ।

(11)(क) धारा 12 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा जिस सीमा तक वह कर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहीत किया गया था । (2005 का 2)

(ख) धारा 13 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा, जिस सीमा तक वह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहीत किया गया था । (1994 का 32)

(ग) जहां छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन दोनो से किसी प्रदाय पर देय था, ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किया जाएगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत तारीख के पश्चात् किए गए प्रदायों के विस्तार के लिए विद्यमान विधि के अधीन मूल्य संवर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय को देने लिए हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की उस रीति में जैसी विहित की जाए गणना की जाएगी । (2005 का 2, 1994 का 32)

(12) जहां कोई माल नियत तारीख के पूर्व छः मास से पूर्व अनधिक अवधि के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, वहां क्रेता द्वारा अस्वीकृत किया जाता है अथवा अनुमोदन नहीं किया जाता है और नियत तारीख के पश्चात् अथवा उस तारीख को विक्रेता को वापस किया जाता है, उस पर कोई कर नहीं देय होगा यदि ऐसा माल नियत तारीख से छः मास की अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छः मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तक बढाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया

जाएगा:

परन्तु यह और कि कर माल के वापस किए जाने वाले व्यक्ति को देय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर लिए दायी होता है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु यह भी कि कर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा संदेय किया जाएगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है ।

2005 का 2

(13) जहां प्रदायकर्ता ने ऐसे माल का कोई विक्रय किया है जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर, 2005 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और नियत तारीख के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर उक्त धारा के अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त प्रदायकर्ता को संदाय, नियत तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है ।

(14) जहां प्रधान के कोई माल या पूंजी माल नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखे हैं, वहां अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन रहते हुए ऐसे मालों पर संदत्त कर का प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा, अर्थात् :--

(i) अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है ;

(ii) प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे अभिकर्ता के पास रखे मालों या पूंजी मालों के स्टॉक के ब्यौरों की घोषणा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं, जो इस निमित्त विहित किया जाए ;

(iii) ऐसे मालों या पूंजी मालों के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्व के बारह मासों की अवधि से पूर्व जारी नहीं किए गए थे ; और

(iv) प्रधान ने या तो ऐसे,--

(क) मालों ; या

(ख) पूंजी मालों,

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय को वापस कर दिया है या उसका फायदा नहीं लिया है या ऐसे प्रत्यय का फायदा ले लेने के पश्चात् उसे, उसके द्वारा लिए गए फायदे की सीमा तक वापस लौटा दिया है ।

2005 का 2

स्पष्टीकरण--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए शब्द "पूंजी माल" का वही अर्थ होगा, जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर, 2005 में उनके लिए समनुदेशित है ।

अध्याय 21

प्रकीर्ण

143 (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान" के रूप में निर्दिष्ट है) । ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए और सूचना के अधीन जॉब वर्क के लिए जॉब वर्क को बिना कर के संदाय के कोई निवेश अथवा पूंजीमाल भेज सकता है तथा पश्चातवर्ती रूप में अन्य जॉब वर्क को भेज सकता है, और— जॉब वर्क की प्रक्रिया ।

(क) जॉब वर्क या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट या माउल्ड और डाइस, जिक्स और फिक्सचर या टूल्स से भिन्न पूंजी लाभ कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा ;

(ख) जॉब वर्क या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट या माउल्ड और डाइस, जिक्स और फिक्सचर या टूल्स से भिन्न पूंजी लाभ कर के संदाय के बिना, भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर से संदाय के बिना अर्थात उसके साथ जैसी स्थिति हो कर के संदाय पर जॉब कर्मकार के कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, प्रदाय करेगा :

परन्तु यह कि प्रधान, इस खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की प्रदाय तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान निम्नलिखित दशा के सिवाए, जॉब वर्कर के कारबार के स्थान को उसके कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा नहीं करता है—

(i) जहां जॉब कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल की प्रदाय में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

(2)इनपुट अथवा पूंजी लाभ के लिए लेखाओं को रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगा ।

(3)जहां जॉब वर्क हेतु भेजा गया इनपुट उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जॉब कार्यों से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से प्रदाय नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे निवेश की जॉब कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा प्रदाय की गई थी उस दिन जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गए थे ।

(4)जहां जॉब वर्क हेतु भेजे गए माउल्ड और डाइस, जिक्स और फिक्सचर या टूल्स से भिन्न पूंजी लाभ उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से प्रदाय नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी लाभ

जॉब कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा प्रदाय की गई थी उस दिन जब उक्त पूंजी लाभ बाहर भेजे गए थे ।

(5)उपधारा (1) और उपधारा (2)में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी जॉब वर्क के दौरान कोई अपशिष्ट या उत्पादित स्क्रेप कर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे जॉब कर्मकार के द्वारा प्रदाय की जा सकती है, यदि ऐसा जॉब कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है अथवा प्रधान द्वारा यदि जॉब कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।

स्पष्टीकरण-- जॉब वर्क के उद्देश्य हेतु इनपुट में सम्मिलित है प्रधान या किसी जॉब वर्कर द्वारा इनपुट पर लाए गए किसी उपाय या कार्रवाई से उदभूत होने वाले मध्यवर्ती माल ।

कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा ।

144 जहां कोई दस्तावेज—

(i) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा

(ii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहण किया गया है ; अथवा

(iii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, उसके विरुद्ध अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया हो, न्यायालय--

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जाएगी -

(i) ऐसे दस्तावेज की अंर्तवस्तु की सत्यता ;

(ii) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उचित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित किया गया हो और ऐसे निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्य निष्पादन या अनुप्रमाणन किया गया हो ;

(ख) यह होते हुए भी कि यह सम्यकतः स्टांपित नहीं है, में दस्तावेज स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है ।

माइक्रो फिल्मों, दस्तावेजों की प्रतिकृति प्रतियॉं और कंप्यूटर प्रिंट आउट की

145 (1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए --

(क) किसी माईक्रोफिल्म में लगा हुआ चित्र या चित्रों के पुररुत्पादन या दस्तावेजों की माईक्रोफिल्म (चाहे वह बड़ी हो अथवा नहीं) ; या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या

दस्तावेजों के रूप में और साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता ।

(ग) किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए; या

(घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलैक्ट्रोनिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हार्ड प्रतियां भी शामिल है,

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्रवाई में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे ग्राह्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की ईप्सा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र--

(क) जो ऐसे दस्तावेज को परिलक्षित करता है जिसमें कथन अर्न्तविष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे लिया गया है ;

(ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाण पत्र में कथित किसी मामलें का साक्ष्य होगा और इस उपधारा के प्रयोजन हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामलें में पर्याप्त होगा ।

146. सरकार,परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकरण प्रसुविधा, कर के संदाय, विवरणी के प्रस्तुतीकरण एकीकृत कर की संगणना और समाधान, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वे-बिल और ऐसे प्रयोजनो के लिए जो विहित किए जाए, के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी । सामान्य पोर्टल.

147. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर कतिपय माल के प्रदाय को निर्यात के रूप में समझा जाना अधिसूचित कर सकेगी, जहां प्रदाय किया गया माल भारत नहीं छोड़ता है और ऐसी प्रदाय के लिए संदाय भारतीय रुपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है, यदि ऐसा माल भारत में विर्निमित किया गया है । निर्यात समझा जाना.

148. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तो और सुरक्षा के अधीन जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गो और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है, को अधिसूचित कर सकेगी । कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति.

149. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग सरकार द्वारा समनुदेशित की जा सकेगी । **माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग.**

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को ऐसे मानकों के आधार पर जो विहित किए जाए, अवधारित किया जा सकेगा ।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को सामयिक अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रकृत व्यक्ति को सूचित किया जाएगा तथा ऐसी रीति जो विहित की जाए, पब्लिक डोमेन मे भी रखी जाएगी ।

150. (1) कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित है -- **सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता.**

(क) कोई कराधेय व्यक्ति ; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य पब्लिक निकाय या संगम ; या

(ग) मूल्य संवर्धित कर या विक्रय कर या राज्य आबकारी शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी ; या

1961 का 43 (घ) आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी; या

1934 का 2 (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) के अर्थ के अंतर्गत कोई बैंककारी कंपनी; या

2003 का 36 (च) विद्युत अधिनियम, 2003 या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई इकाई के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक; या

1908 का 56 (छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार; या

2013 का 18 (ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार; या

1988 का 59 (झ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सशक्त रजिस्टर करने वाला प्राधिकारी ; या

2013 का 30 (ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलेक्टर; या

1956 का 42 (ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज; या

1996 का 22 (ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड़) में निर्दिष्ट निक्षेपागार; या

1934 का 2 (ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन यथागठित

भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी; या

2013 का 18 (ढ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कोई रजिस्ट्रर्ड कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क; या

(ण) धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया विशिष्ट पहचान संख्या; या

(त) सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति;

जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, लेखा रजिस्ट्रीकरण या विवरण या कोई आवधिक विवरणी या कर और माल या सेवा के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे के अंतर्विष्ट संदाय के दस्तावेज या दोनों या किसी बैंक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या क्रय या विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति का आदान प्रदान या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए ऐसी अवधि, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप या रीति में और यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण के संबंध में उसकी सूचना की विवरणी देने का उत्तरदायित्व होगा ।

(2) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई उस सूचना जो त्रुटिपूर्ण है, को विचार में लेगा, वह त्रुटिपूर्ण ऐसी सूचना विवरण भरने वाले उस व्यक्ति को सूचित करेगा और उसको ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या जो कि उसकी ओर से किए गए आवेदन पर ऐसी और अवधि के भीतर त्रुटिपूर्ण के परिशोधन करने का एक अवसर देगा, उक्त प्राधिकारी अनुज्ञात करेगा और यदि त्रुटि का परिशोधन उक्त तीस दिन की अवधि या उसे अनुज्ञात की गई अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है उसे वह उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे नोटिस तामील की तारीख से नब्बे दिनों की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस तामील कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा ।

आंकड़े संग्रहण करने की शक्ति.

151. (1) आयुक्त, यदि यह विचार करता है कि इसे किया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के संबंध में या उससे संबंधित किसी मामले से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करने को निदेश दे सकेगा ।

(2) ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, आयुक्त या इस हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यथा विहित, ऐसे प्ररूप और रीति में उन आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा।

152. (1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात के संबंध में किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की सूचना, संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे यह पहचान हो सके कि ऐसा विवरण किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी । **सूचना के प्रकटन पर वर्जन.**

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन आंकड़ों के संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसके संकलन या कंप्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उस तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(3) इस धारा की किसी बात का कराधेय व्यक्ति के किसी वर्ग या संव्यवहार वर्ग से संबंधित कोई सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है ।

153. कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की श्रेणी से निम्न न हो, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संवीक्षा, जांच अन्वेषण या कोई अन्य प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा । **किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना.**

154. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां उसके विचार में यह आवश्यक हो, कि किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा, और लिए गए ऐसे नमूनों की रसीद उपलब्ध कराएगा । **नमूने लेने की शक्ति.**

155. जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा । **सबूत का भार.**

156. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे । **व्यक्ति जिन्हें लोक सेवक समझा जाएगा.**

1860 का 45

157. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक किये गए या किये जाने के लिए आशयित किसी भी कार्य के लिए अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी । **इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण.**

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक किए गए या किए जाने हेतु आशयित किसी भी कार्य के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी ।

158. (1) इस अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए विवरण, दी गई विवरणी या लेखा या दस्तावेजों या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहयों के अनुक्रम **लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना ।**

में दिए गए साक्ष्य का कोई अभिलेख (दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न) या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के किसी अभिलेख में अंतर्विष्ट सभी विवरणों को, उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रकट नहीं किया जाएगा।

1872 का 1 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई न्यायालय, उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण के संबंध में उसके समक्ष पेश किए जाने या उसके समक्ष साक्ष्य दिए जाने हेतु इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी से अपेक्षा नहीं करेगा ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

1860 का 45
1988 का 49 (क) भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई विशिष्टियां ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए क्रियाशील कोई व्यक्ति को कोई विशिष्टियां ; या

(ग) कोई विशिष्टियां जहां ऐसे प्रकटन का कारण इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण कार्य द्वारा किसी नोटिस की तामील या किसी मांग की वसूली के लिए कोई कार्यवाही है ; या

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहयों में सिविल न्यायालय को कोई विशिष्टियां जिसके लिए सरकार या इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाहियों में उठने वाले किसी मामले के संबंध में, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है ; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर प्राप्ति या कर वापसी की लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को कोई विशिष्टियां ; या

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई विशिष्टियां जहां ऐसी विशिष्टियां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी के आचरण की किसी जांच करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत है; या

(छ) किसी कर या शुल्क का उदग्रहण करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को कोई ऐसी विशिष्टियां ; या

(ज) कोई विशिष्टियां जहां ऐसा प्रकटन कोई लोक सेवक या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसकी शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग के कारण हो; या

(झ) यथास्थिति, किसी विधि व्यवसाय में व्यवसायरत सदस्यों, किसी लागत लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को विधि व्यवसाय अधिवक्ता, कर व्यवसायिक, लागत लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट; कंपनी सचिव के व्यवसाय में लगे हुए के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के संबंध में अवचार के आरोपों की जांच से संबंधित कोई विशिष्टियां; या

(ञ) डाटा प्रविष्टि या स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के लिए या संचालन, उन्नत करने या किसी स्वचालित प्रणाली के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए नियुक्त एजेंसी, जहां ऐसी एजेंसी पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए को छोड़ ऐसी विशिष्टियों के प्रयोग या प्रकट नहीं करने की संविदा से आबद्ध है, को कोई विशिष्टियां ; या

(ट) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रयोजन के लिए यथाआवश्यक सरकार के किसी अधिकारी को कोई व्रिशिष्टियां ; और

(ठ) प्रकाशन के लिए किसी कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्ग या संव्यवहार के वर्ग से संबंधित कोई सूचना, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है,

को प्रकटन करने को लागू नहीं होगी ।

कतिपय मामलों में व्यक्ति के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

159. (1) यदि आयुक्त, या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम और कोई अन्य विशिष्टियां का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, ऐसे नाम और विशिष्टियां का प्रकाशन कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा, जब तक धारा 107 के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए समय किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना अवसान हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा हो चूका है।

स्पष्टीकरण--यथास्थिति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों का संगम की दशा में, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों का नाम प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति इसे न्यायोचित ठहराती है ।

कतिपय आधारों पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना.

160. (1) इस अधिनियम के किसी उपबंधों के अनुसरण में कोई निर्धारण, पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या की गई, प्रतिग्रहण, बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया अथवा किया गया, प्रतिग्रहण, बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किये जाने के लिए तात्पर्यित अन्य कार्यवाहियां, उसमे किसी गलती, त्रुटि या लोप होने के कारण अविधिमान्य नहीं किया जाएगा अथवा अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसे निर्धारण, पुनःर्निधारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां, इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के आशय, प्रयोजन और अपेक्षा के अनुरूप या उसके अनुसरण में सार और प्रभावपूर्ण हैं ।

(2) कोई नोटिस, आदेश या संचार की तामील, प्रश्नगत नहीं की जाएगी, यदि नोटिस, आदेश या संचार, यथास्थिति, उस व्यक्ति द्वारा पहले ही कार्यवाही की जा चुकी हो जिसको इसे जारी किया गया है, या जहां ऐसे नोटिस, आदेश या संचार के अनुसरण में प्रारंभ की गई, चालू और अंतिम रूप दी गई पूर्व कार्यवाहियो में ऐसी तामील को प्रश्नगत नहीं किया गया है ।

अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोधन.

161. धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी अन्य बातों के होते हुए भी कोई प्राधिकारी, किसी पारित या जारी कोई विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में किसी त्रुटि जो ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है का परिशोधन, या तो उसके स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर या जहां ऐसी त्रुटियां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथास्थिति नियुक्त कोई अधिकारी या प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी में ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के अंदर लाई जाती है :

परंतु यह कि, ऐसा परिशोधन, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य कोई दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छः मास की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि, उक्त छह मास की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिशोधन की प्रकृति शुद्धतः लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि में सुधार हो, जो किसी घटनावश चूक या लोप से उदभूत हो :

परंतु यह भी कि, जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे परिशोधन से प्रतिकूल प्रभावित होता है, ऐसा परिशोधन करने वाले प्राधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन किया जाएगा ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन.

162. धारा 117 और 118 में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन की गई या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से उदभूत या उससे संबंधित किसी प्रश्न के साथ संव्यवहार अथवा उसके विनिश्चय

की अधिकारिता नहीं होगी ।

163. जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, वहां यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस संदत्त की जाएगी । फीस उदग्रहण.

164. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशो पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति.

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या इस अधिनियम द्वारा कोई भी मामले जो अपेक्षित है या विहित किया गया है या उन उपबंधों के संबंध में जो किए जाने है या नियमों द्वारा बनाए जा सके, नियम बना सकेगी ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में या उनमें से किन्ही को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी जो उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए कोई नियमों में उनका उल्लंघन करने पर दस हजार से अनधिक शास्ति लगाए जाने के दायी का उपबंध किया जा सकेगा ।

165. सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। विनियम बनाने की शक्ति.

166. इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने के पश्चात् राज्य विधान-मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मंडल नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या राज्य विधान-मंडल इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात् यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी रहेगी; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा । नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना.

167. आयुक्त, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए किसी और प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा भी प्रयोग करने का निदेश कर सकेगा । शक्तियों का प्रत्यायोजन.

168. आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को जो उचित समझे ऐसा आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का संप्रेक्षण और पालन करेंगे । अनुदेशों या निदेशों को जारी करना.

169. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना को निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात्:-- कतिपय मामलों में नोटिस तामील करना ।

(क) प्रेषिती कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता या कर व्यवसायी जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे परिवार के किसी सदस्य को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा ; या

(ख) व्यक्ति, जिसके लिए यह आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई है, उसके कारबार या निवास का अंतिम ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर जिसमें अभिस्वीकृति देय है द्वारा; या

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर यथा संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा ; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा ; या

(ङ) परिक्षेत्र जहां, कराधेय व्यक्ति या व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया था, इससे पहले रहता था, कारबार करता था या व्यैक्तिक तौर पर अभिलाभ के लिए कार्य करता था, समाचारपत्र में प्रकाशन करके प्रचालन द्वारा ; या

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग व्यवहारिक नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम स्थान पर किसी सहज दृश्य जगह चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी व्यवहारिक नहीं होती है तो संबद्ध कार्यालय या प्राधिकारी जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जाएगी ।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया या उपधारा (1) में उपबंधित रीति से एक प्रति वहां चिपकाई गई ।

(3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, तो सामान्यत: जितनी अवधि ऐसी डाक को पहुंचने में लगती है, के समाप्त होने पर प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं होता ।

170. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की रकम, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या कोई अन्य देय रकम निकटतम रुपए के लिए पूर्णांकित होगी और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रूपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । कर का पूर्णांकन आदि.

171. (1) किसी माल या सेवाओं पर कर की दर में किसी कमी या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे को मूल्यों में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को दी जाएगी । मुनाफाखोरी निरोधी उपाय.

(2) केन्द्रीय सरकार यह परीक्षण करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से परिणामत: वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में अनुरूप कमी हुई है, परिषद् की सिफारिशों पर, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण का गठन कर सकेगी या किसी विद्यमान प्राधिकरण को सशक्त बना सकेगी ।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण यथाविहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

172. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, किसी साधारण या किसी विशेष आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: कठिनाइयों को दूर करना ।

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

173. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्राम्भ होने की तारीख से, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 में, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 2-राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के संबंध में संशोधित किया गया समझा जाएगा ; कतिपय अधिनियमों का संशोधन.

174. (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से -- निरसन और व्यावृत्ति.

2005 का 2 (क) (i) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों के संबंध में ही लागू होगा ;

1976 का 52

1988 का 13
1936 का 30

(ख) (i) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976;

(ii) छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988; और

(iii) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम ,1936

(जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) धारा 173 या उपधारा (1) में उल्लिखित विस्तार तक उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा 173 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (जो इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति "ऐसा संशोधन" या "संशोधित अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट है),--

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय किसी भी प्रवृत्त या विद्यमान को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा ; या

(ख) पूर्व प्रचालित संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम और आदेश या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या भुक्ती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम या आदेश किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, या अर्जित, प्रोदभूत या उपगत दायित्व को नहीं करेगा :

परंतु यह कि किसी अधिसूचना के द्वारा विनिवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप मे जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है: या

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज जो देय हैं या देय हो सकते हैं या कोई समपहरण या संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा एवं ऑडिट सम्मिलित है), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा एवं ऑडिट सम्मिलित है), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकेगा और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उदगृहित या अधिरोपित हो सकेगा मानों कि इन अधिनियम को इस प्रकार से संशोधित या निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हे नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त

संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन जारी रहेंगी मानों कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को संशोधित और निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूलता या प्रभावित करने के लिए धारा 73 एवं
1897 का 10 उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा ।

IndiaCode

अनुसूची 1

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों को प्रदाय के रूप में माना जाएगा भले ही बिना प्रतिफल के किया गया हो

1. कारबार आस्तियों का स्थाई अंतरण या निपटान, जहां ऐसी आस्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है ।

2. धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच में माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जब कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में किया गया हो:

परंतु यह कि किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार से अनधिक मूल्य का दिया गया उपहार, को माल या सेवा या दोनों का प्रदाय नहीं माना जाएगा ।

3. माल का प्रदाय :-

(क) किसी प्रधान द्वारा उसके अभिकर्ता को माल का प्रदाय, जहां अभिकर्ता, प्रधान की ओर से ऐसे माल का प्रदाय करने का वचन देता है ।

(ख) किसी अभिकर्ता द्वारा उसके प्रधान को माल का प्रदाय, जहां अभिकर्ता, प्रधान की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है ।

4. कारबार के अग्रसर या अनुक्रम में, कराधेय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात ।

IndiaCode

अनुसूची 2

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाए

1. अंतरण--

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल का प्रदाय है ;

(ख) उसके हक के अंतरण के बिना, माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का कोई अंतरण, सेवा का प्रदाय है ;

(ग) कोई अनुबंध जिसके अधीन यह नियत है कि भविष्य की किसी तारीख को, जैसे कि सहमति है, पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर माल में हक का कोई अंतरण होगा, माल का प्रदाय है ।

2. भूमि और भवन --

(क) कोई पट्टा अभिधृति, सुखाचार, भूमि को कब्जा करने की अनुज्ञप्ति, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ख) भवन जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय प्रक्षेत्र सम्मिलित है, को कारबार या वाणिज्य के लिए पूर्णत: या अंशत: कोई पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं का प्रदाय है ।

3. व्यवहार या प्रक्रिया--

कोई व्यवहार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं का प्रदाय है ।

(4) कारबार आस्तियों का अंतरण--

(क) जहां माल जो कारबार की संपत्ति का भाग है, को व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेशों के अधीन या द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का और हिस्सा न रहें; भले ही प्रतिफल के बदले हो या नहीं, ऐसा अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय है;

(ख) जहां, व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेश के अधीन, माल जो कारबार के प्रयोजन के लिए रखा या उपयोग किया गया है, को कारबार के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी निजी उपयोग में लाने के लिए रखा गया या उपयोग कर लिया गया या किसी व्यक्ति को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया, भले ही प्रतिफल के बदले हो या नहीं, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्धता करवाना, सेवा का प्रदाय है;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति नहीं रह जाता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय

व्यक्ति के रूप में नहीं रहने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में उसके द्वारा प्रदाय किया गया समझा जाएगा, जब तक कि:-

(i) अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं होता; या

(ii) कारबार वैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा नहीं चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा ।

(5) सेवाओं का प्रदाय --

निम्नलिखित को सेवा के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात्:--

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) जहां अपेक्षित हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र के जारी होने के पश्चात् जहां पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है, या इसका प्रथम कब्जा मिलने के पश्चात्; जो भी पहले हो, के सिवाय प्रक्षेत्र का संनिर्माण, भवन, सिविल संरचना या उसका कोई भाग, जिसके अंतर्गत क्रेता को विक्रय के लिए आशयित पूर्णत: या अंशत: प्रक्षेत्र या भवन सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए--

1972 का 20 (1) अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी और ऐसे प्राधिकारी की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्ही में से, अर्थात्:--

(i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद् ; या

(ii) इंजिनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजिनियर ; या

(iii) संबंधित शहर का स्थानीय निकाय या कस्बा या गांव या विकास या योजना प्राधिकरण का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक ;

(2) अभिव्यक्ति "सन्निर्माण" के अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुन: प्रतिरूपण सम्मिलित है;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, अनुकूलन, उन्नति, वृद्धि, क्रियान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य को करना ;

और

(च) किसी भी प्रयोजन हेतु (किसी विनिर्दिष्ट अविधि के लिए या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का अंतरण ।

6. संयुक्त प्रदाय--

निम्नलिखित संयुक्त प्रदायों को सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्:--

(क) धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित कार्य संविदा ; और

(ख) किसी सेवा के द्वारा या हिस्से के रूप में या किसी अन्य रीति में जो भी हो, माल जो खाद्य पदार्थ हैं या मानव उपभोग के लिए अन्य चीज़े या कोई पेय (मानव उपयोग हेतु शराब द्रवण के अतिरिक्त) जहां ऐसा प्रदाय या सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए होता है, का प्रदाय ।

7. माल का प्रदाय --

निम्नलिखित को माल के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :--

किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय ।

IndiaCode

अनुसूची 3

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय

1. कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को सेवाएं ।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं ।

3. (क) संसद सदस्यों, राज्य विधान मंडल के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किए गए कृत्य;

(ख) उस हैसियत से संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए गए कर्तव्य ; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित निकाय में निदेशक द्वारा और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा जाए ।

4. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं ।

5. भूमि का विक्रय और अनुसूची-2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अध्यधीन भवन का विक्रय ।

6. लाटरी, दांव और जुआ के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे ।

स्पष्टीकरण-- पैरा 2 के प्रयोजन के लिए, शब्द "न्यायालय" जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है ।

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2017

क्रमांक 5488/डी. 114/21-अ/प्रारु./छ.ग./17.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 OF 2017)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

CHAPTER I
PRELIMINARY

CLAUSES

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

IndiaCode

CHAPTER II
ADMINISTRATION

3. Officers under this Act.
4. Appointment of officers.
5. Powers of officers.
6. Authorisation of officers of central tax as proper officer in certain circumstances.

CHAPTER III
LEVY AND COLLECTION OF TAX

7. Scope of supply.
8. Tax liability on composite and mixed supplies.
9. Levy and collection.
10. Composition levy.
11. Power to grant exemption from tax.

CHAPTER IV
TIME AND VALUE OF SUPPLY

12. Time of supply of goods.
13. Time of supply of services.
14. Change in rate of tax in respect of supply of goods or services.
15. Value of taxable supply.

CHAPTER V
INPUT TAX CREDIT

16. Eligibility and conditions for taking input tax credit.

CLAUSES

17. Apportionment of credit and blocked credits
18. Availability of credit in special circumstances.
19. Taking input tax credit in respect of inputs and capital goods sent for job-work.
20. Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.
21. Manner of recovery of credit distributed in excess.

CHAPTER VI
REGISTRATION

22. Persons liable for registration.
23. Persons not liable for registration.
24. Compulsory registration in certain cases.
25. Procedure for registration.
26. Deemed registration.
27. Special provisions relating to casual taxable person and non-resident taxable person.
28. Amendment of registration.
29. Cancellation of registration.
30. Revocation of cancellation of registration.

CHAPTER VII
TAX INVOICE, CREDIT AND DEBIT NOTES

31. Tax invoice.
32. Prohibition of unauthorised collection of tax
33. Amount of tax to be indicated in tax invoice and other documents.
34. Credit and debit notes.

CHAPTER VIII
ACCOUNTS AND RECORDS

35. Accounts and other records.
36. Period of retention of accounts.

CHAPTER IX
RETURNS

37. Furnishing details of outward supplies.
38. Furnishing details of inward supplies.
39. Furnishing of returns.
40. First return.
41. Claim of input tax credit and provisional acceptance thereof.
42. Matching, reversal and reclaim of input tax credit.
43. Matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability.

IndiaCode

CLAUSES

44. Annual return.

45. Final return.

46. Notice to return defaulters.

47. Levy of late fee.

48. Goods and services tax practitioners.

CHAPTER X

PAYMENT OF TAX

49. Payment of tax, interest, penalty and other amounts.

50. Interest on delayed payment of tax.

51. Tax deduction at source.

52. Collection of tax at source.

53. Transfer of input tax credit.

CHAPTER XI

REFUNDS

54. Refund of tax.

55. Refund in certain cases.

56. Interest on delayed refunds.

57. Consumer Welfare Fund.

58. Utilisation of Fund.

CHAPTER XII

ASSESSMENT

59. Self-assessment.

60. Provisional assessment.

61. Scrutiny of returns.

62. Assessment of non-filers of returns.

63. Assessment of unregistered persons.

64. Summary assessment in certain special cases.

CHAPTER XIII

AUDIT

65. Audit by tax authorities.

66. Special audit.

CHAPTER XIV

INSPECTION, SEARCH, SEIZURE AND ARREST

67. Power of inspection, search and seizure.

68. Inspection of goods in movement.

69. Power to arrest.

70. Power to summon persons to give evidence and produce documents.

IndiaCode

CLAUSES

71. Access to business premises.
72. Officers to assist proper officers.

CHAPTER XV

DEMANDS AND RECOVERY

73. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason other than fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.
74. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.
75. General provisions relating to determination of tax.
76. Tax collected but not paid to Government.
77. Tax wrongfully collected and paid to Central Government or State Government.
78. Initiation of recovery proceedings.
79. Recovery of tax.
80. Payment of tax and other amount in instalments.
81. Transfer of property to be void in certain cases.
82. Tax to be first charge on property.
83. Provisional attachment to protect revenue in certain cases.
84. Continuation and validation of certain recovery proceedings.

CHAPTER XVI

LIABILITY TO PAY IN CERTAIN CASES

85. Liability in case of transfer of business.
86. Liability of agent and principal.
87. Liability in case of amalgamation or merger of companies.
88. Liability in case of company in liquidation.
89. Liability of directors of private company.
90. Liability of partners of firm to pay tax.
91. Liability of guardians, trustees etc.
92. Liability of Court of Wards, etc.
93. Special provisions regarding liability to pay tax, interest or penalty in certain cases.
94. Liability in other cases.

IndiaCode

CLAUSES

CHAPTER XVII
ADVANCE RULING

95. Definitions.
96. Constitution of Authority for Advance Ruling.
97. Application for advance ruling.
98. Procedure on receipt of application.
99. Constitution of Appellate Authority for Advance Ruling.
100. Appeal to the Appellate Authority.
101. Orders of Appellate Authority.
102. Rectification of advance ruling.
103. Applicability of advance ruling.
104. Advance ruling to be void in certain circumstances.
105. Powers of Authority and Appellate Authority.
106. Procedure of Authority and Appellate Authority.

IndiaCode

CHAPTER XVIII
APPEALS AND REVISION

107. Appeals to Appellate Authority.
108. Powers of Revisional Authority.
109. Appellate Tribunal and Benches thereof.
110. President and Members of Appellate Tribunal, their qualification, appointment, conditions of service, etc.
111. Procedure before Appellate Tribunal.
112. Appeals to Appellate Tribunal.
113. Orders of Appellate Tribunal.
114. Financial and administrative powers of State President.
115. Interest on refund of amount paid for admission of appeal.
116. Appearance by authorised representative.
117. Appeal to High Court.
118. Appeal to Supreme Court.
119. Sums due to be paid notwithstanding appeal etc.
120. Appeal not to be filed in certain cases.
121. Non appealable decisions and orders.

CHAPTER XIX
OFFENCES AND PENALTIES

122. Penalty for certain offences.
123. Penalty for failure to furnish information return.
124. Fine for failure to furnish statistics.

CLAUSES

125. General penalty.
126. General disciplines related to penalty
127. Power to impose penalty in certain cases.
128. Power to waive penalty or fee or both
129. Detention, seizure and release of goods and conveyances in transit.
130. Confiscation of goods or conveyances and levy of penalty.
131. Confiscation or penalty not to interfere with other punishments.
132. Punishment for certain offences
133. Liability of officers and certain other persons.
134. Cognizance of offences.
135. Presumption of culpable mental state.
136. Relevancy of statements under certain circumstances.
137. Offences by Companies.
138. Compounding of offences.

CHAPTER XX
TRANSITIONAL PROVISIONS

139. Migration of existing taxpayers.
140. Transitional arrangements for input tax credit.
141. Transitional provisions relating to job work.
142. Miscellaneous transitional provisions.

CHAPTER XXI
MISCELLANEOUS

143. Job work procedure.
144. Presumption as to documents in certain cases.
145. Admissibility of micro films, facsimile copies of documents and computer printouts as documents and as evidence.
146. Common Portal.
147. Deemed Exports.
148. Special procedure for certain processes.
149. Goods and services tax compliance rating.
150. Obligation to furnish information return.
151. Power to collect statistics.
152. Bar on disclosure of information.
153. Taking assistance from an expert.
154. Power to take samples.
155. Burden of proof.
156. Persons deemed to be public servants.

CLAUSES
157. Protection of action taken under this Act.
158. Disclosure of information by a public servant.
159. Publication of information in respect of persons in certain cases.
160. Assessment proceedings, etc. not to be invalid on certain grounds.
161. Rectification of errors apparent on the face of record.
162. Bar on jurisdiction of civil courts.
163. Levy of fee.
164. Power of Government to make rules.
165. Power to make regulations.
166. Laying of rules, regulations and notifications.
167. Delegation of powers.
168. Power to issue instructions or directions.
169. Service of notice in certain circumstances.
170. Rounding off of tax etc.
171. Anti-profiteering Measure.
172. Removal of difficulties.
173. Amendment of certain Acts.
174. Repeal and saving.
SCHEDULE I.
SCHEDULE II.
SCHEDULE III

IndiaCode

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 OF 2017)
THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Chhattisgarh and the matters connected therewith or incidental thereto.

IndiaCode

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017.

(2) It extends to the whole State of the Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this

Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(1) "**actionable claim**" shall have the same meaning as assigned to it in Section 3 of the

4 of 1882. Transfer of Property Act, 1882;

(2) "**address of delivery**" means the address of the recipient of goods or services or both indicated on the tax invoice issued by a registered person for delivery of such goods or services or both;

(3) "**address on record**" means the address of the recipient as available in the records of the supplier;

(4) "**adjudicating authority**" means any authority, appointed or authorised to pass any order or decision under this Act, but does not include the Commissioner, Revisional Authority, the Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority and the Appellate Tribunal;

(5) "**agent**" means a person, including a factor, broker, commission agent, *arhatia*, *del credere* agent, an auctioneer or any other mercantile agent, by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another;

(6) "**aggregate turnover**" means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis), exempt supplies, exports of goods or services or both and inter-State supplies of persons having the same Permanent Account Number, to be computed on all India basis but excludes central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess;

(7) "**agriculturist**" means an individual or a Hindu Undivided Family who undertakes cultivation of land–

(a) by own labour, or

(b) by the labour of family, or

(c) by servants on wages payable in cash or kind or by hired labour under personal supervision or the personal supervision of any member of the family;

(8) "**appellate authority**" means an authority appointed or authorised to hear appeals as referred to in Section 107;

(9) "**appellate tribunal**" means the Goods and Services Tax Appellate Tribunal referred to in Section109;

(10) "**appointed day**" means the date on which the provisions of this Act shall come into force;

indiaCode

(11) "**assessment**" means determination of tax liability under this Act and includes self-assessment, re-assessment, provisional assessment, summary assessment and best judgement assessment;

(12) "**associated enterprises**" shall have the same meaning as assigned to it in Section 92A of the Income-tax Act, 1961; 43 of 1961.

(13) "**audit**" means the examination of records, returns and other documents maintained or furnished by the registered person under this Act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claimed and input tax credit availed, and to assess his compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(14) "**authorised bank**" shall mean a bank or a branch of a bank authorised by the Central Government to collect the tax or any other amount payable under this Act;

(15) "**authorised representative**" means the representative as referred to under Section 116;

(16) "**Board**" means the Central Board of Excise and Customs constituted under the
54 of 1963. Central Boards of Revenue Act, 1963;

IndiaCode

(17) "**business**" includes—

(a) any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit;

(b) any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to sub-clause (a);

(c) any activity or transaction in the nature of sub-clause (a), whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction;

(d) supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business;

(e) provision by a club, association, society, or any such body (for a subscription or

any other consideration) of the facilities or benefits to its members;

(f) admission, for a consideration, of persons to any premises;

(g) services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation;

(h) services provided by a race club by way of totalisator or a licence to book maker in such club; and

(i) any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities;

(18) "**business vertical**" means a distinguishable component of an enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risks and returns that are different from those of the other business verticals.

Explanation.—For the purposes of this clause, factors that should be considered in determining whether goods or services are related include—

(a) the nature of the goods or services;

(b) the nature of the production processes;

IndiaCode

(c) the type or class of customers for the goods or services;

(d) the methods used to distribute the goods or supply of services; and

(e) the nature of regulatory environment (wherever applicable),including banking, insurance or public utilities;

(19) "**capital goods**" means goods, the value of which is capitalised in the books of account of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business;

(20) "**casual taxable person**" means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent or in any other capacity, in the taxable territory where he has no fixed place of business;

(21) "**central tax**" means the central goods and services tax levied under Section 9 of the Central Goods and Services Tax Act;

(22) "**cess**" shall have the same meaning as assigned to it in the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act;

IndiaCode

(23) "**chartered accountant**" means a chartered accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of Section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949;

38 of 1949.

(24) "**Commissioner**" means the Commissioner of State tax appointed under Section 3;

(25) "**Commissioner in the Board**" means the Commissioner referred to in Section 168 of the Central Goods and Services Tax Act;

IndiaCode

(26) "**common portal**" means the common goods and services tax electronic portal referred to in Section 146;

(27) "**common working days**" shall mean such days in succession which are not declared as gazetted holidays by the Central Government or the Government of Chhattisgarh;

(28) "**company secretary**" means a company secretary as defined in clause (c) of sub-section (1) of Section 2 of the Company Secretaries Act, 1980;

56 of 1980.

(29) "**competent authority**" means such authority as may be notified by the Government;

(30) "**composite supply**" means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply;

Illustration: Where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing materials, transport and insurance is a composite supply and supply of goods is a principal supply.

IndiaCode

(31) "**consideration**" in relation to the supply of goods or services or both includes—

(a) any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the Central Government or a State Government;

(b) the monetary value of any act or forbearance, in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person but shall

not include any subsidy given by the Central Government or a State Government:

Provided that a deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply;

(32) "**continuous supply of goods**" means a supply of goods which is provided, or agreed to be provided, continuously or on recurrent basis, under a contract, whether or not by means of a wire, cable, pipeline or other conduit, and for which the supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis and includes supply of such goods as the Government may, subject to such conditions, as it may, by notification, specify;

IndiaCode

(33) "**continuous supply of services**" means a supply of services which is provided, or agreed to be provided, continuously or on recurrent basis, under a contract, for a period exceeding three months with periodic payment obligations and includes supply of such services as the Government may, subject to such conditions, as it may, by notification, specify;

(34) "**conveyance**" includes a vessel, an aircraft and a vehicle;

(35) "**cost accountant**" means a cost accountant as defined in clause (c) of sub-section (1) of Section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959;

23 of 1959.

(36) "**Council**" means the Goods and Services Tax Council established under article 279A of the Constitution;

(37) "**credit note**" means a document issued by a registered person under sub-section (1) of Section 34;

(38) "**debit note**" means a document issued by a registered person under sub-section (3) of Section 34;

(39) "**deemed exports**" means such supplies of goods as may be notified under Section 147;

(40) "**designated authority**" means such authority as may be notified by the Commissioner;

(41) "**document**" includes written or printed record of any sort and electronic record as defined in clause (t) of Section 2

IndiaCode

21 of 2000. of the Information Technology Act, 2000;

(42) "**drawback**" in relation to any goods manufactured in India and exported, means the rebate of duty, tax or cess chargeable on any imported inputs or on any domestic inputs or input services used in the manufacture of such goods;

(43) "**electronic cash ledger**" means the electronic cash ledger referred to in sub-section (1) of Section 49;

IndiaCode

(44) "**electronic commerce**" means the supply of goods or services or both, including digital products over digital or electronic network;

(45) "**electronic commerce operator**" means any person who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce;

(46) "**electronic credit ledger**" means the electronic credit ledger referred to in sub-section (2) of Section 49;

(47) "**exempt supply**" means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under Section 11, or under Section

6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non-taxable supply;

(48) "**existing law**" means any law, notification, order, rule or regulation relating to levy and collection of duty or tax on goods or services or both passed or made before the commencement of this Act by the Legislature or any Authority or person having the power to make such law, notification, order, rule or regulation;

(49) "**family**" means,—

(i) the spouse and children of the person, and

(ii) the parents, grand-parents, brothers and sisters of the person if they are wholly or mainly dependent on the said person;

(50) "**fixed establishment**" means a place (other than the registered place of business) which is characterised by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services, or to receive and use services for its own needs;

(51) "**fund**" means the Consumer Welfare Fund established under Section 57;

IndiaCode

(52) "**goods**" means every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply;

(53) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(54) "**Goods and Services Tax (Compensation to States) Act**" means the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017;

IndiaCode

(55) "**goods and services tax practitioner**" means any person who has been approved under Section 48 to act as such practitioner;

(56) "**India**" means the territory of India as referred to in article 1 of the Constitution, its territorial waters, seabed and sub-soil underlying such waters, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone as referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976, and the air
80 of 1976 space above its territory and territorial waters;

(57) "**Integrated Goods and Services Tax Act**" means the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;

(58) "**integrated tax**" means the integrated goods and services tax levied under the Integrated Goods and Services Tax Act;

(59) "**input**" means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business;

(60) "**input service**" means any service used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business;

IndiaCode

(61) "**input service distributor**" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices issued under Section 31 towards the receipt of input services and issues a prescribed document for the purposes of distributing the credit of central tax, State tax, integrated tax or Union territory tax paid on the said services to a supplier of taxable goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the said office;

(62) "**input tax**" in relation to a registered person, means the central tax, State tax, integrated tax or Union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him and includes–

(a) the integrated goods and services tax charged on import of goods;

(b) the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of Section 9;

(c) the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act; or

(d) the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of Section 9 of the Central Goods and Services Tax Act;

but does not include the tax paid under the composition levy;

(63) "**input tax credit**" means the credit of input tax;

(64) "**intra-State supply of goods**" shall have the same meaning as assigned to it in Section 8 of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(65) "**intra-State supply of services**" shall have the same meaning as assigned to it in Section 8 of the Integrated Goods and Services Tax Act;

IndiaCode

(66) "**invoice**" or "**tax invoice**" means the tax invoice referred to in Section 31;

(67) "**inward supply**" in relation to a person, shall mean receipt of goods or services or both whether by purchase, acquisition or any other means, with or without consideration;

(68) "**job work**" means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person and the expression "job worker" shall be construed accordingly;

IndiaCode

(69) "**local authority**" means—

(a) a "Panchayat" as defined in clause (d) of article 243 of the Constitution;

(b) a "Municipality" as defined in clause (e) of article 243P of the Constitution;

(c) a Municipal Committee, a Zilla Parishad, a District Board, and any other authority legally entitled to, or entrusted by the Central Government or any State Government with the control or management of a municipal or local fund;

(d) a Cantonment Board as defined

41 of 2006. in Section 3 of the Cantonments Act, 2006;

(e) a Regional Council or a District Council constituted under the Sixth Schedule to the Constitution;

(f) a Development Board constituted under article 371 of the Constitution; or

(g) a Regional Council constituted under article 371A of the Constitution;

(70) "**location of the recipient of services**" means,-

(a) where a supply is received at a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;

(b) where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;

(c) where a supply is received at more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the receipt of the supply; and

(d) in absence of such places, the location of the usual place of residence

IndiaCode

of the recipient;

(71) "**location of the supplier of services**" means,-

(a) where a supply is made from a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;

(b) where a supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;

(c) where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provisions of the supply; and

(d) in absence of such places, the location of the usual place of residence of the supplier;

(72) "**manufacture**" means processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term "manufacturer" shall be construed accordingly;

IndiaCode

(73) "**market value**" shall mean the full amount which a recipient of a supply is required to pay in order to obtain the goods or services or both of like kind and quality at or about the same time and at the same commercial level where the recipient and the supplier are not related;

(74) "**mixed supply**" means two or more individual supplies of goods or services, or any combination thereof, made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply.

Illustration: A supply of a package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks and fruit juices when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately;

IndiaCode

(75) "**money**" means the Indian legal tender or any foreign currency, cheque, promissory note, bill of exchange, letter of credit, draft, pay order, traveller cheque, money order, postal or electronic remittance or any other instrument recognized by the Reserve Bank of India

when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination but shall not include any currency that is held for its numismatic value;

(76) "**motor vehicle**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (28) of
59 of 1988. Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(77) "**non-resident taxable person**" means any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India;

Indiacode

(78) "**non-taxable supply**" means a supply of goods or services or both which is not leviable to tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act;

(79) "**non-taxable territory**" means the territory which is outside the taxable territory;

(80) "**notification**" means a notification published in the Official Gazette and the expressions '**notify**' and '**notified**' shall be construed accordingly;

(81) "**other territory**" includes territories other than those comprising in a State and those referred to in sub-clauses (a) to (e) of clause (114);

(82) "**output tax**" in relation to a taxable person, means the tax chargeable under this Act on taxable supply of goods or services or both made by him or by his agent but excludes tax payable by him on reverse charge basis;

(83) "**outward supply**" in relation to a taxable person, means supply of goods or services or both, whether by sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease or disposal or any other mode, made or agreed to be made by such person in the course or furtherance of business;

(84) "**person**" includes—

(a) an individual;

(b) a Hindu Undivided Family;

(c) a company;

(d) a firm;

(e) a Limited Liability Partnership;

(f) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India;

(g) any corporation established by or under any Central Act, State Act or Provincial

IndiaCode

Act or a Government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013; 18 of 2013.

(h) any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India;

(i) a co-operative society registered under any law relating to co-operative societies;

(j) a local authority;

(k) Central Government or a State Government;

(l) society as defined under the Societies Registration Act, 1860; 21 of 1860.

(m) trust; and

(n) every artificial juridical person, not falling within any of the above;

IndiaCode

(85) "**place of business**" includes—

(a) a place from where the business is ordinarily carried on, and includes a warehouse, a godown or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both; or

(b) a place where a taxable person maintains his books of account; or

(c) a place where a taxable person is engaged in business through an agent, by whatever name called;

(86) "**place of supply**" means the place of supply as referred to in Chapter V of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(87) "**prescribed**" means prescribed by rules made under this Act on the recommendations of the Council;

(88) "**principal**" means a person on whose behalf an agent carries on the business of supply or receipt of goods or services or both;

(89) "**principal place of business**" means the place of business specified as the principal place of business in the certificate of registration;

(90) "**principal supply**" means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary;

(91) "**proper officer**" in relation to any function to be performed under this Act, means the Commissioner or the officer of the State tax who is assigned that function by the Commissioner;

IndiaCode

(92) "**quarter**" shall mean a period comprising three consecutive calendar months, ending on the last day of March, June, September and December of a calendar year;

(93) "**recipient**" of supply of goods or services or both, means—

(a) where a consideration is payable for the supply of goods or services or both, the person who is liable to pay that consideration;

(b) where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom possession or use of the goods is given or made available; and

(c) where no consideration is payable for the supply of a service, the person to whom the service is rendered,

and any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to the goods or services or both supplied;

(94) "**registered person**" means a person who is registered under Section 25 but does not include a person having a Unique Identity Number;

IndiaCode

(95) "**regulations**" means the regulations made by the Government under this Act on the recommendations of the Council;

(96) "**removal**" in relation to goods, means-

(a) despatch of the goods for delivery by the supplier thereof or by any other person acting on behalf of such supplier; or

(b) collection of the goods by the recipient thereof or by any other person acting on behalf of such recipient;

(97) "**return**" means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this Act or the rules made thereunder;

(98) "**reverse charge**" means the liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(99) "**revisional authority**" means an authority appointed or authorised for revision of decision or orders as referred to in Section 108;

(100) "**Schedule**" means a Schedule appended to this Act;

(101) "**securities**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of

42 of 1956. Section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;

(102) "**services**" means anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged;

(103) "**State**" means the State of Chhattisgarh;

(104) "**state tax**" means the tax levied under this Act;

(105) "**supplier**" in relation to any goods or services or both, shall mean the person supplying the said goods or services or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied;

(106) "**tax period**" means the period for which the return is required to be furnished;

IndiaCode

(107) "**taxable person**" means a person who is registered or liable to be registered under Section 22 or Section 24;

(108) "**taxable supply**" means a supply of goods or services or both which is leviable to tax under this Act;

(109) "**taxable territory**" means the territory to which the provisions of this Act apply;

(110) "**telecommunication service**" means service of any description (including electronic mail, voice mail, data services, audio text services, video text services, radio paging and cellular mobile telephone services) which is made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, visual or other electromagnetic means;

(111) "**the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act**" means the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017;

(112) "**turnover in State**" means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on

IndiaCode

which tax is payable by a person on reverse charge basis) and exempt supplies made within a State by a taxable person, exports of goods or services or both and inter-State supplies of goods or services or both made from the State by the said taxable person but excludes central tax, State tax, integrated tax and cess;

(113) "**usual place of residence**" means—

(a) in case of an individual, the place where he ordinarily resides;

(b) in other cases, the place where the person is incorporated or otherwise legally constituted;

(114) "**union territory**" means the territory of,-

(a) the Andaman and Nicobar Islands;

(b) Lakshadweep;

(c) Dadra and Nagar Haveli;

(d) Daman and Diu;

(e) Chandigarh; and

(f) other territory;

Explanation.- For the purposes of this Act, each of the territories specified in sub-clauses (a) to (f) shall be considered to be a separate Union territory.

(115) "**union territory tax**" means the Union territory goods and services tax

IndiaCode

levied under the Union Territory Goods and Services Tax Act;

(116) "**Union Territory Goods and Services Tax Act**" means the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017;

(117) "**valid return**" means a return furnished under sub-section (1) of Section 39 on which self-assessed tax has been paid in full;

(118) "**voucher**" means an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for a supply of goods or services or both and where the goods or services or both to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or in related documentation, including the terms and conditions of use of such instrument;

(119) "**works contract**" means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods

indiaCode

(whether as goods or in some other form) is involved in the execution of such contract;

(120) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Integrated Goods and Services Tax Act, the Central Goods and Services Tax Act, the Union Territory Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

CHAPTER II
ADMINISTRATION

Officers under this Act.

3. The Government shall, by notification, appoint the following classes of officers for the purposes of this Act, namely:–

(a) Commissioner of State tax,

(b) Special Commissioners of State tax,

(c) Additional Commissioners of State tax,

(d) Joint Commissioners of State tax,

(e) Deputy Commissioners of State tax,

(f) Assistant Commissioners of State tax, and

(g) any other class of officers as it may deem fit:

Provided that, the officers appointed under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 shall be deemed to be the officers appointed under the provisions of this Act. 2 of 2005

IndiaCode

Appointment of officers.

4. (1) The Government may, in addition to the officers as may be notified under Section 3, appoint such persons as it may think fit to be the officers under this Act.

(2) The Commissioner shall have jurisdiction over the whole of the State, the Special Commissioner and an Additional Commissioner in respect of all or any of the functions assigned to them, shall have jurisdiction over the whole of the State or where the State Government so directs, over any local area thereof, and all other officers shall, subject to such conditions as may be specified, have jurisdiction over the whole of the State or over such local areas as the Commissioner may, by order, specify.

Powers of officers.

5. (1) Subject to such conditions and limitations as the Commissioner may impose, an officer of State tax may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on him under this Act.

(2) An officer of State tax may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed under this Act on any other officer of State tax who is subordinate to him.

(3) The Commissioner may, subject to such conditions and limitations as may be specified in this behalf by him, delegate his powers to any other officer who is subordinate to him.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, an Appellate Authority shall not exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on any other officer of State tax.

Authorisation of officers of central tax as proper officer in certain circumstances.

6. (1) Without prejudice to the provisions of this Act, the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act are authorised to be the proper officers for the purposes of this Act, subject to such conditions as the Government shall, on the recommendations of the Council, by notification, specify.

(2) Subject to the conditions specified in the notification issued under sub-section (1),-

(a) where any proper officer issues an order under this Act, he shall also issue an order under the Central Goods and Services Tax Act, as authorised by the said Act under intimation to the jurisdictional officer of central tax;

(b) where a proper officer under the Central

IndiaCode

Goods and Services Tax Act has initiated any proceedings on a subject matter, no proceedings shall be initiated by the proper officer under this Act on the same subject matter.

(3) Any proceedings for rectification, appeal and revision, wherever applicable, of any order passed by an officer appointed under this Act, shall not lie before an officer appointed under the Central Goods and Services Tax Act.

IndiaCode

CHAPTER III
LEVY AND COLLECTION OF TAX

Scope of supply.

7. (1) For the purposes of this Act, the expression "supply" includes—

(a) all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business;

(b) import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business;

(c) the activities specified in Schedule I, made or agreed to be made without a

consideration; and

(d) the activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(a) activities or transactions specified in Schedule III; or

(b) such activities or transactions undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council,

shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Government may, on the recommendations of the Council, specify, by notification, the transactions that are to be treated as—

(a) a supply of goods and not as a supply of services; or

(b) a supply of services and not as a supply of goods.

Tax liability on composite and mixed supplies.

8. The tax liability on a composite or a mixed supply shall be determined in the following manner, namely: —

(a) a composite supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply; and

(b) a mixed supply comprising two or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax.

Levy and collection.

9. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), there shall be levied a tax called the Chhattisgarh goods and services tax on all intra-State supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption, on the value determined under Section 15 and at such rates, not exceeding twenty per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person.

(2) The State tax on the supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural

IndiaCode

gas and aviation turbine fuel, shall be levied with effect from such date as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

(3) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both.

(4) The State tax in respect of the supply of taxable goods or services or both by a supplier, who is not registered, to a registered person shall be paid by such person on reverse charge basis as the recipient and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both.

(5) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify categories of services the tax on intra-State supplies of which

shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provisions of this Act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services:

Provided that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax:

Provided further that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax.

Composition levy.

10. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of Section 9, a registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees may opt to pay, in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding,-

IndiaCode

(a) one per cent. of the turnover in State in case of a manufacturer,

(b) two and a half per cent. of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II, and

(c) half per cent. of the turnover in State in case of other suppliers,

subject to such conditions and restrictions as may be prescribed:

Provided that the Government may, by notification, increase the said limit of fifty lakh rupees to such higher amount, not exceeding one crore rupees, as may be recommended by the Council.

IndiaCode

(2) The registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if—

(a) he is not engaged in the supply of services other than supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II;

(b) he is not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax under this Act;

(c) he is not engaged in making any inter-State outward supplies of goods;

(d) he is not engaged in making any

supply of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under Section 52; and

(e) he is not a manufacturer of such goods as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number (issued under the

43 of 1961 Income-tax Act 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under sub-section (1) unless all such registered persons opt to pay tax under that sub-section.

IndiaCode

(3) The option availed of by a registered person under sub-section (1) shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified under sub-section (1).

(4) A taxable person to whom the provisions of sub-section (1) apply shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him nor shall he be entitled to any credit of input tax.

(5) If the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax

under sub-section (1) despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provisions of this Act, be liable to a penalty and the provisions of Section 73 or Section 74 shall, mutatis mutandis, apply for determination of tax and penalty.

Power to grant exemption from tax.

11. (1) Where the Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, goods or services or both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in such notification.

(2) Where the Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by special order in each case, under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order, exempt from payment of tax any goods or services or both on which tax is leviable.

(3) The Government may, if it considers necessary or expedient so to do for the purpose of clarifying the scope or

applicability of any notification issued under sub-section (1) or order issued under sub-section (2), insert an explanation in such notification or order, as the case may be, by notification at any time within one year of issue of the notification under sub-section (1) or order under sub-section (2), and every such explanation shall have effect as if it had always been the part of the first such notification or order, as the case may be.

(4) Any notification issued by the Central Government, on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of Section 11 or order issued under sub-section (2) of the said section of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a notification or, as the case may be, an order issued under this Act.

Explanation.—For the purposes of this section, where an exemption in respect of any goods or services or both from the whole or part of the tax leviable thereon has been granted absolutely, the registered person supplying such goods or services or both shall not collect the tax, in excess of the effective rate, on such supply of goods or services or both.

IndiaCode

CHAPTER IV

TIME AND VALUE OF SUPPLY

Time of supply of goods.

12. (1) The liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply, as determined in accordance with the provisions of this section.

(2) The time of supply of goods shall be the earlier of the following dates, namely:-

(a) the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required, under sub-section (1) of Section 31, to issue the invoice with respect to the supply; or

(b) the date on which the supplier receives the payment with respect to the supply:

Provided that where the supplier of taxable goods receives an amount up to one thousand rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice in respect of such excess amount.

Explanation 1.—For the purposes of clauses (a) and (b), "supply" shall be deemed to have been made to the extent it is covered by

IndiaCode

the invoice or, as the case may be, the payment.

Explanation 2.—For the purposes of clause (b), "the date on which the supplier receives the payment" shall be the date on which the payment is entered in his books of account or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

(3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earliest of the following dates, namely:—

(a) the date of the receipt of goods; or

(b) the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or

(c) the date immediately following thirty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b) or clause (c), the time of supply shall be the date of entry in the

books of account of the recipient of supply.

(4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be-

(a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or

(b) the date of redemption of voucher, in all other cases.

(5) Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4), the time of supply shall—

(a) in a case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed; or

(b) in any other case, be the date on which the tax is paid.

(6) The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value.

13. (1) The liability to pay tax on services shall arise at the time of supply, as determined **Time of supply of services.**

IndiaCode

in accordance with the provisions of this section.

(2) The time of supply of services shall be the earliest of the following dates, namely:–

(a) the date of issue of invoice by the supplier, if the invoice is issued within the period prescribed under sub-section (2) of Section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier; or

(b) the date of provision of service, if the invoice is not issued within the period prescribed under sub-section (2) of Section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier; or

(c) the date on which the recipient shows the receipt of services in his books of account, in a case where the provisions of clause (a) or clause (b) do not apply:

Provided that where the supplier of taxable service receives an amount upto one thousand rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice relating to such excess amount.

Explanation.—For the purposes of clauses (a) and (b)-

(i) the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered

IndiaCode

by the invoice or, as the case may be, the payment;

(ii) "the date of receipt of payment" shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

(3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earlier of the following dates, namely:–

(a) the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or

(b) the date immediately following sixty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply:

Indiacode

Provided further that in case of supply by associated enterprises, where the supplier of service is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment, whichever is earlier.

(4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be—

(a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or

(b) the date of redemption of voucher, in all other cases.

(5) Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4), the time of supply shall—

(a) in a case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed; or

(b) in any other case, be the date on which the tax is paid.

(6) The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value.

IndiaCode

Change in rate of tax in respect of supply of goods or services.

14. Notwithstanding anything contained in Section 12 or Section 13, the time of supply, where there is a change in the rate of tax in respect of goods or services or both, shall be determined in the following manner, namely:—

(a) in case the goods or services or both have been supplied before the change in rate of tax,—

(i) where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or the date of issue of invoice, whichever is earlier; or

(ii) where the invoice has been issued prior to the change in rate of tax but payment is received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice; or

(iii) where the payment has been received before the change in rate of tax, but the invoice for the same is issued after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment;

(b) in case the goods or services or both have been supplied after the change in rate of tax,—

(i) where the payment is received after the change in rate of tax but the invoice

has been issued prior to the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment; or

(ii) where the invoice has been issued and payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or date of issue of invoice, whichever is earlier; or

(iii) where the invoice has been issued after the change in rate of tax but the payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice:

Provided that the date of receipt of payment shall be the date of credit in the bank account if such credit in the bank account is after four working days from the date of change in the rate of tax.

Explanation.—For the purposes of this section, "the date of receipt of payment" shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

Value of taxable supply.

15. (1) The value of a supply of goods or services or both shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both where the supplier and the recipient of the

supply are not related and the price is the sole consideration for the supply.

(2) The value of supply shall include—

(a) any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this Act, the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, if charged separately by the supplier;

(b) any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both;

(c) incidental expenses, including commission and packing, charged by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of, or before delivery of goods or supply of services;

(d) interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration for any supply; and

IndiaCode

(e) subsidies directly linked to the price excluding subsidies provided by the Central Government and State Governments.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the amount of subsidy shall be included in the value of supply of the supplier who receives the subsidy.

(3) The value of the supply shall not include any discount which is given—

(a) before or at the time of the supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply; and

(b) after the supply has been effected, if-

(i) such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices; and

(ii) input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply.

(4) Where the value of the supply of goods or services or both cannot be determined

IndiaCode

under sub-section (1), the same shall be determined in such manner as may be prescribed.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (4), the value of such supplies as may be notified by the Government on the recommendations of the Council shall be determined in such manner as may be prescribed.

Explanation.- For the purposes of this Act,-

(a) persons shall be deemed to be "related persons" if -

(i) such persons are officers or directors of one another's businesses;

(ii) such persons are legally recognised partners in business;

(iii) such persons are employer and employee;

(iv) any person directly or indirectly owns, controls or holds twenty-five per cent. or more of the outstanding voting stock or shares of both of them;

(v) one of them directly or indirectly controls the other;

(vi) both of them are directly or

indiaCode

indirectly controlled by a third person;

(vii) together they directly or indirectly control a third person; or

(viii) they are members of the same family;

(b) the term "person" also includes legal persons.

(c) persons who are associated in the business of one another in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, howsoever described, of the other, shall be deemed to be related.

IndiaCode

CHAPTER V
INPUT TAX CREDIT

Eligibility and conditions for taking input tax credit.

16. (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in Section 49, be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person.

(2) Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless,—

(a) he is in possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this Act, or such other tax paying documents as may be prescribed;

(b) he has received the goods or services or both.

Explanation.—For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

(c) subject to the provisions of Section 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the Government, either in cash or through utilisation of input tax credit admissible in respect of the said supply; and

IndiaCode

(d) he has furnished the return under Section 39:

Provided that where the goods against an invoice are received in lots or instalments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or instalment:

Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability, along with interest thereon, in such manner as may be prescribed:

Provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon.

(3) Where the registered person has claimed depreciation on the tax component

IndiaCode

of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of the Income-tax Act, 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed.

43 of 1961.

(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under Section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

IndiaCode

Apportionment of credit and blocked credits.

17. (1) Where the goods or services or both are used by the registered person partly for the purpose of any business and partly for other purposes, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purposes of his business.

(2) Where the goods or services or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies including zero-rated supplies under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act and partly for effecting exempt supplies under the said Acts, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is

attributable to the said taxable supplies including zero-rated supplies.

(3) The value of exempt supply under sub-section (2) shall be such as may be prescribed, and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, transactions in securities, sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.

(4) A banking company or a financial institution including a non-banking financial company, engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances shall have the option to either comply with the provisions of sub-section (2), or avail of, every month, an amount equal to fifty per cent. of the eligible input tax credit on inputs, capital goods and input services in that month and the rest shall lapse:

Provided that the option once exercised shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year:

Provided further that the restriction of fifty percent. shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same Permanent Account Number.

IndiaCode

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of Section 16 and sub-section (1) of Section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely:-

(a) motor vehicles and other conveyances except when they are used—

(i) for making the following taxable supplies, namely:—

(A) further supply of such vehicles or conveyances; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on driving, flying, navigating such vehicles or conveyances;

(ii) for transportation of goods;

(b) the following supply of goods or services or both:-

(i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery except where an inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element

IndiaCode

of a taxable composite or mixed supply;

(ii) membership of a club, health and fitness centre;

(iii) rent-a-cab, life insurance and health insurance except where -

(A) the Government notifies the services which are obligatory for an employer to provide to its employees under any law for the time being in force; or

(B) such inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as part of a taxable composite or mixed supply; and

(iv) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession.

(c) works contract services when supplied for construction of an immovable property (other than plant and machinery) except where it is an input service for further supply of works contract service;

(d) goods or services or both received by a taxable person for construction of an

immovable property (other than plant or machinery) on his own account including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business.

Explanation.—For the purposes of clauses (c) and (d), the expression "construction" includes re-construction, renovation, additions or alterations or repairs, to the extent of capitalisation, to the said immovable property;

(e) goods or services or both on which tax has been paid under Section10;

(f) goods or services or both received by a non-resident taxable person except on goods imported by him;

(g) goods or services or both used for personal consumption;

(h) goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples; and

(i) any tax paid in accordance with the provisions of Sections 74, 129 and 130.

(6) The Government may prescribe the manner in which the credit referred to in sub-sections (1) and (2) may be attributed.

Explanation.— For the purposes of this

IndiaCode

Chapter and Chapter VI, the expression "plant and machinery" means apparatus, equipment, and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or both and includes such foundation and structural supports but excludes-

(i) land, building or any other civil structures;

(ii) telecommunication towers; and

(iii) pipelines laid outside the factory premises.

Availability of credit in special circumstances.

18. (1) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed–

(a) a person who has applied for registration under this Act within thirty days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provisions of this Act;

(b) a person who takes registration under sub-section (3) of Section 25 shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-

IndiaCode

finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date of grant of registration;

(c) where any registered person ceases to pay tax under Section 10, he shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under Section 9:

Provided that the credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed;

IndiaCode

(d) where an exempt supply of goods or services or both by a registered person becomes a taxable supply, such person shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock relatable to such exempt supply andon capital goods exclusively used for such exempt supply on the day immediately preceding the date from which such supply becomes taxable:

Provided that the credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed.

(2) A registered person shall not be entitled

to take input tax credit under sub-section (1) in respect of any supply of goods or services or both to him after the expiry of one year from the date of issue of tax invoice relating to such supply.

(3) Where there is a change in the constitution of a registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of the business with the specific provisions for transfer of liabilities, the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remains unutilised in his electronic credit ledger to such sold, merged, demerged, amalgamated, leased or transferred business in such manner as may be prescribed.

IndiaCode

(4) Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under Section 10 or, where the goods or services or both supplied by him become wholly exempt, he shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods, reduced by such percentage points as may be prescribed, on

the day immediately preceding the date of exercising of such option or, as the case may be, the date of such exemption:

Provided that after payment of such amount, the balance of input tax credit, if any, lying in his electronic credit ledger shall lapse.

(5) The amount of credit under sub-section (1) and the amount payable under sub-section (4) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

(6) In case of supply of capital goods or plant and machinery, on which input tax credit has been taken, the registered person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery reduced by such percentage points as may be prescribed or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery determined under Section 15, whichever is higher:

Provided that where refractory bricks, moulds and dies, jigs and fixtures are supplied as scrap, the taxable person may pay tax on the transaction value of such goods determined under Section 15.

Taking input tax credit in respect of inputs and capital goods sent for job-

19. (1) The principal shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed input tax credit on

inputs sent to a job-worker for job-work. **work.**

(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-section (2) of Section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on inputs even if the inputs are directly sent to a job worker for job-work without being first brought to his place of business.

(3) Where the inputs sent for job work are not received back by the principal after completion of job-work or otherwise or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of Section 143 within one year of being sent out, it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job-worker on the day when the said inputs were sent out:

Provided that where the inputs are sent directly to a job worker, the period of one year shall be counted from the date of receipt of inputs by the job worker.

(4) The principal shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed input tax credit on capital goods sent to a job worker for job work.

indiacode

(5) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-section (2) of Section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on capital goods even if the capital goods are directly sent to a job worker for job-work without being first brought to his place of business.

(6) Where the capital goods sent for job work are not received back by the principal within a period of three years of being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out:

Provided that where the capital goods are sent directly to a job worker, the period of three years shall be counted from the date of receipt of capital goods by the job worker.

(7) Nothing contained in sub-section (3) or sub-section (6) shall apply to moulds and dies, jigs and fixtures, or tools sent out to a job worker for job work.

Explanation.- For the purpose of this section, "principal" means the person referred to in Section 143.

IndiaCode

Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.

20. (1) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of document containing the amount of input tax credit being distributed in such manner as may be prescribed.

(2) The Input Service Distributor may distribute the credit subject to the following conditions, namely:—

(a) the credit can be distributed to the recipients of credit against a document containing such details as may be prescribed;

(b) the amount of the credit distributed shall not exceed the amount of credit available for distribution;

(c) the credit of tax paid on input services attributable to a recipient of credit shall be distributed only to that recipient;

(d) the credit of tax paid on input services attributable to more than one recipient of credit shall be distributed amongst such recipients to whom the input service is attributable and such distribution shall be *pro rata* on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of

the turnover of all such recipients to whom such input service is attributable and which are operational in the current year, during the said relevant period;

(e) the credit of tax paid on input services attributable to all recipients of credit shall be distributed amongst such recipients and such distribution shall be *pro rata* on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all recipients and which are operational in the current year, during the said relevant period.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) the "relevant period" shall be—

(i) if the recipients of credit have turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which credit is to be distributed, the said financial year; or

(ii) if some or all recipients of the credit do not have any turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which the credit is to be distributed, the last quarter for which details of such turnover of all the

IndiaCode

recipients are available, previous to the month during which credit is to be distributed;

(b) the expression "recipient of credit" means the supplier of goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the Input Service Distributor;

(c) the term "turnover", in relation to any registered person engaged in the supply of taxable goods as well as goods not taxable under this Act, means the value of turnover, reduced by the amount of any duty or tax levied under entry 84 of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule.

Manner of recovery of credit distributed in excess.

21. Where the Input Service Distributor distributes the credit in contravention of the provisions contained in Section 20 resulting in excess distribution of credit to one or more recipients of credit, the excess credit so distributed shall be recovered from such recipients along with interest, and the provisions of Section 73 or Section 74, as the case may be, shall, *mutatis mutandis,* apply for determination of amount to be recovered.

CHAPTER - VI
REGISTRATION

Persons liable for registration.

22. (1) Every supplier making a taxable supply of goods or services or both in the State shall be liable to be registered under this Act if his aggregate turnover in a financial year exceeds twenty lakh rupees:

Provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category States, he shall be liable to be register if his aggregate turnover in a financial year exceeds ten lakh rupees.

IndiaCode

(2) Every person who, on the day immediately preceding the appointed day, is registered or holds a licence under an existing law, shall be liable to be registered under this Act with effect from the appointed day.

(3) Where a business carried on by a taxable person registered under this Act is transferred, whether on account of succession or otherwise, to another person as a going concern, the transferee or the successor, as the case may be, shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (3), in a case of transfer pursuant to sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation or, as the case may be, de-merger of two or more companies pursuant to an order of a High Court, Tribunal or otherwise, the transferee shall be liable to be registered, with effect from the date on which the Registrar of Companies issues a certificate of incorporation giving effect to such order of the High Court or Tribunal.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(i) the expression "aggregate turnover" shall include all supplies made by the taxable person, whether on his own account or made on behalf of all his principals;

(ii) the supply of goods, after completion of job- work, by a registered job worker shall be treated as the supply of goods by the principal referred to in Section 143, and the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker;

(iii) the expression "special category States" shall mean the States as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution.

IndiaCode

Persons not liable for registration.

23. (1) The following persons shall not be liable to registration, namely:—

(a) any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act;

(b) an agriculturist, to the extent of supply of produce out of cultivation of land.

(2) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.

IndiaCode

Compulsory registration in certain cases.

24. Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of Section 22, the following categories of persons shall be required to be registered under this Act,-

(i) persons making any inter-State taxable supply;

(ii) casual taxable persons making taxable supply;

(iii) persons who are required to pay tax under reverse charge;

(iv) person who are required to pay tax under sub-section (5) of Section 9;

(v) non-resident taxable persons making

taxable supply;

(vi) persons who are required to deduct tax under Section 51, whether or not separately registered under this Act;

(vii) persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable persons whether as an agent or otherwise;

(viii) Input Service Distributor, whether or not separately registered under this Act;

(ix) persons who supply goods or services or both, other than supplies specified under sub-section (5) of Section 9, through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under Section 52;

(x) every electronic commerce operator;

(xi) every person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person; and

(xii) such other person or class of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

Procedure for registration.

25. (1) Every person who is liable to be registered under Section 22 or Section 24 shall apply for registration within thirty days from the date on which he becomes liable to

IndiaCode

registration, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that a casual taxable person or a non-resident taxable person shall apply for registration at least five days prior to the commencement of business.

Explanation. - Every person who makes a supply from the territorial waters of India shall obtain registration in the State where the nearest point of the appropriate baseline is located.

(2) A person seeking registration under this Act shall be granted a single registration:

Provided that a person having multiple business verticals in the State may be granted a separate registration for each business vertical, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) A person, though not liable to be registered under Section 22 or Section 24 may get himself registered voluntarily, and all provisions of this Act, as are applicable to a registered person, shall apply to such person.

(4) A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one State or Union territory or more than one State or Union

IndiaCode

territory shall, in respect of each such registration, be treated as distinct persons for the purposes of this Act.

(5) Where a person who has obtained or is required to obtain registration in a State or Union territory in respect of an establishment, has an establishment in another State or Union territory, then such establishments shall be treated as establishments of distinct persons for the purposes of this Act.

(6) Every person shall have a Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 in order to be eligible for grant of registration:

43 of 1961.

Provided that a person required to deduct tax under Section 51 may have, in lieu of a Permanent Account Number, a Tax Deduction and Collection Account Number issued under the said Act in order to be eligible for grant of registration.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), a non-resident taxable person may be granted registration under sub-section (1) on the basis of such other documents as may be prescribed.

(8) Where a person who is liable to be registered under this Act fails to obtain registration, the proper officer may, without

IndiaCode

prejudice to any action which may be taken under this Act or under any other law for the time being in force, proceed to register such person in such manner as may be prescribed.

(9) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(a) any specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, Consulate or Embassy of foreign countries; and

46 of 1947.

(b) any other person or class of persons, as may be notified by the Commissioner,

shall be granted a Unique Identity Number in such manner and for such purposes, including refund of taxes on the notified supplies of goods or services or both received by them, as may be prescribed.

(10) The registration or the Unique Identity Number shall be granted or rejected after due verification in such manner and within such period as may be prescribed.

(11) A certificate of registration shall be issued in such form and with effect from such date as may be prescribed.

IndiaCode

(12) A registration or a Unique Identity Number shall be deemed to have been granted after the expiry of the period prescribed under sub-section (10), if no deficiency has been communicated to the applicant within that period.

Deemed registration.

26. (1) The grant of registration or the Unique Identity Number under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a grant of registration or the Unique Identity Number under this Act subject to the condition that the application for registration or the Unique Identity Number has not been rejected under this Act within the time specified in sub-section (10) of Section 25.

IndiaCode

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (10) of Section 25, any rejection of application for registration or the Unique Identity Number under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a rejection of application for registration under this Act.

Special provisions relating to casual taxable person and non-resident taxable person.

27. (1) The certificate of registration issued to a casual taxable person or a non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the application for registration or ninety days from the effective date of registration, whichever is earlier and such

person shall make taxable supplies only after the issuance of the certificate of registration:

Provided that the proper officer may, on sufficient cause being shown by the said taxable person, extend the said period of ninety days by a further period not exceeding ninety days.

(2) A casual taxable person or a non-resident taxable person shall, at the time of submission of application for registration under sub-section (1) of Section 25, make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the registration is sought:

Provided that where any extension of time is sought under sub-section (1), such taxable person shall deposit an additional amount of tax equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the extension is sought.

(3) The amount deposited under sub-section (2) shall be credited to the electronic cash ledger of such person and shall be utilised in the manner provided under Section 49.

Amendment of registration.

28. (1) Every registered person and a person to whom a Unique Identity Number has been assigned shall inform the proper officer of any

Indiacode

changes in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto, in such form and manner and within such period as may be prescribed.

(2) The proper officer may, on the basis of information furnished under sub-section (1) or as ascertained by him, approve or reject amendments in the registration particulars in such manner and within such period as may be prescribed:

Provided that approval of the proper officer shall not be required in respect of amendment of such particulars as may be prescribed:

Provided further that the proper officer shall not reject the application for amendment in the registration particulars without giving the person an opportunity of being heard.

IndiaCode

(3) Any rejection or approval of amendments under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a rejection or approval under this Act.

Cancellation of registration.

29. (1) The proper officer may, either on his own motion or on an application filed by the registered person or by his legal heirs, in case of death of such person, cancel the registration, in such manner and within such period as may be prescribed, having regard to

the circumstances where,—

(a) the business has been discontinued, transferred fully for any reason including death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of; or

(b) there is any change in the constitution of the business; or

(c) the taxable person, other than the person registered under sub-section (3) of Section 25, is no longer liable to be registered under Section 22 or Section 24.

(2) The proper officer may cancel the registration of a person from such date, including any retrospective date, as he may deem fit, where,—

(a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or

(b) a person paying tax under Section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or

(c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or

(d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of Section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or

IndiaCode

(e) registration has been obtained by means of fraud, wilful misstatement or suppression of facts:

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

(3) The cancellation of registration under this section shall not affect the liability of the person to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

(4) The cancellation of registration under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a cancellation of registration under this Act.

(5) Every registered person whose registration is cancelled shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock or capital goods or

plant and machinery on the day immediately preceding the date of such cancellation or the output tax payable on such goods, whichever is higher, calculated in such manner as may be prescribed:

Provided that in case of capital goods or plant and machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage points as may be prescribed or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery under Section 15, whichever is higher.

(6) The amount payable under sub-section (5) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

Revocation of cancellation of registration.

30. (1) Subject to such conditions as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order.

(2) The proper officer may, in such manner and within such period as may be prescribed, by order, either revoke

IndiaCode

cancellation of the registration or reject the application:

Provided that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(3) The revocation of cancellation of registration under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a revocation of cancellation of registration under this Act.

IndiaCode

CHAPTER- VII
TAX INVOICE, CREDIT AND DEBIT NOTES

31. (1) A registered person supplying taxable goods shall, before or at the time of,— **Tax invoice.**

(a) removal of goods for supply to the recipient, where the supply involves movement of goods; or

(b) delivery of goods or making available thereof to the recipient, in any other case,

issue a tax invoice showing the description, quantity and value of goods, the tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by

notification, specify the categories of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed.

(2) A registered person supplying taxable services shall, before or after the provision of service but within a prescribed period, issue a tax invoice, showing the description, value, tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification and subject to such conditions as may be mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—

(a) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(b) tax invoice may not be issued.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2)—

(a) a registered person may, within one month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him;

(b) a registered person may not issue a tax invoice if the value of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;

(c) a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of Section 10 shall issue, instead of a tax invoice, a bill of supply containing such particulars and in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;

(d) a registered person shall, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher or any other document, containing such particulars as may be prescribed, evidencing receipt of such payment;

(e) where, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both the registered person issues a receipt voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment, a refund voucher against such payment;

(f) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both;

(g) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier.

(4) In case of continuous supply of goods, where successive statements of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued or, as the case may be, each such payment is received.

(5) Subject to the provisions of clause (d) of sub-section (3), in case of continuous supply of services,—

(a) where the due date of payment is ascertainable from the contract, the invoice shall be issued on or before the due date of payment;

(b) where the due date of payment is not ascertainable from the contract, the invoice shall be issued before or at the time when the supplier of service receives the payment;

(c) where the payment is linked to the completion of an event, the invoice shall be

IndiaCode

issued on or before the date of completion of that event.

(6) In a case where the supply of services ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or six months from the date of removal, whichever is earlier.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "tax invoice" shall include any revised invoice issued by the supplier in respect of a supply made earlier.

Prohibition of unauthorised collection of tax

32. (1) A person who is not a registered person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax under this Act.

(2) No registered person shall collect tax except in accordance with the provisions of

this Act or the rules made thereunder.

Amount of tax to be indicated in tax invoice and other documents.

33. Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents relating to assessment, tax invoice and other like documents, the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made.

IndiaCode

Credit and debit notes.

34. (1) Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person, who has supplied such goods or services or both, may issue to the recipient a credit note containing such particulars as may be prescribed.

(2) Any registered person who issues a credit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such credit note in the return for the

month during which such credit note has been issued but not later than September following the end of the financial year in which such supply was made, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed:

Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the incidence of tax and interest on such supply has been passed on to any other person.

IndiaCode

(3) Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person, who has supplied such goods or services or both, shall issue to the recipient a debit note containing such particulars as may be prescribed.

(4) Any registered person who issues a debit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such debit note in the return for the month during which such debit note has been issued and the tax liability shall be

adjusted in such manner as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this Act, the expression "debit note" shall include a supplementary invoice.

CHAPTER VIII
ACCOUNTS AND RECORDS

Accounts and other records.

35. (1) Every registered person shall keep and maintain, at his principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, a true and correct account of-

(a) production or manufacture of goods;

(b) inward and outward supply of goods or services or both;

(c) stock of goods;

(d) input tax credit availed;

(e) output tax payable and paid; and

(f) such other particulars as may be prescribed:

Provided that where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such places of business:

Provided further that the registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic form in such manner as may be prescribed.

IndiaCode

(2) Every owner or operator of warehouse or godown or any other place used for storage of goods and every transporter, irrespective of whether he is a registered person or not, shall maintain records of the consigner, consignee and other relevant details of the goods in such manner as may be prescribed.

(3) The Commissioner may notify a class of taxable persons to maintain additional accounts or documents for such purpose as may be specified therein.

IndiaCode

(4) Where the Commissioner considers that any class of taxable persons is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with the provisions of this section, he may, for reasons to be recorded in writing, permit such class of taxable persons to maintain accounts in such manner as may be prescribed.

(5) Every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under sub-section (2) of Section 44 and such other documents in such form

and manner as may be prescribed.

(6) Subject to the provisions of clause (h) of sub-section (5) of Section 17, where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of sub-section (1), the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for, as if such goods or services or both had been supplied by such person and the provisions of Section 73 or Section74, as the case may be, shall, mutatis mutandis, apply for determination of such tax.

IndiaCode

Period of retention of accounts.

36. Every registered person required to keep and maintain books of account or other records in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 35 shall retain them until the expiry of seventy two months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records:

Provided that a registered person, who is a party to an appeal or revision or any other proceedings before any Appellate Authority or Revisional Authority or Appellate Tribunal or court, whether filed by him or by the Commissioner, or is under investigation for an offence under Chapter

XIX, shall retain the books of account and other records pertaining to the subject matter of such appeal or revision or proceedings or investigation for a period of one year after final disposal of such appeal or revision or proceedings or investigation, or for the period specified above, whichever is later.

CHAPTER- IX
RETURNS

Furnishing details of outward supplies.

37. (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a non-resident taxable person and a person paying tax under the provisions of Section 10 or Section 51 or Section 52, shall furnish, electronically, in such form and manner as may be prescribed, the details of outward supplies of goods or services or both effected during a tax period on or before the tenth day of the month succeeding the said tax period and such details shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies during the period from the eleventh day to the fifteenth day of the month succeeding the tax period:

Provided further that the Commissioner may, for reasons to be

recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided also that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(2) Every registered person who has been communicated the details under sub-section (3) of Section 38 or the details pertaining to inward supplies of Input Service Distributor under sub-section (4) of Section 38, shall either accept or reject the details so communicated, on or before the seventeenth day, but not before the fifteenth day, of the month succeeding the tax period and the details furnished by him under sub-section (1) shall stand amended accordingly.

(3) Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period and which have remained unmatched under Section 42 or Section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest, if any, in case there is a short

IndiaCode

payment of tax on account of such error or omission, in the return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under Section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

Explanation.—For the purposes of this Chapter, the expression "details of outward supplies" shall include details of invoices, debit notes, credit notes and revised invoices issued in relation to outward supplies made during any tax period.

Furnishing details of inward supplies.

38. (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of Section 10 or Section 51 or Section 52, shall verify, validate, modify or delete, if required, the details relating to outward supplies and credit or debit notes communicated under sub-section (1) of Section 37 to prepare the details of his inward supplies and credit or debit notes and may include therein, the details of inward supplies and credit or debit notes received by him in

IndiaCode

respect of such supplies that have not been declared by the supplier under sub-section (1) of Section 37.

(2) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of Section 10 or Section 51 or Section 52, shall furnish, electronically, the details of inward supplies of taxable goods or services or both, including inward supplies of goods or services or both on which the tax is payable on reverse charge basis under this Act and inward supplies of goods or services or both taxable under the Integrated Goods and Services Tax Act or on which integrated goods and services tax is payable under Section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, and credit or debit notes received in respect of such supplies during a tax period after the tenth day but on or before the fifteenth day of the month succeeding the tax period in such form and manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of

central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(3) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient and furnished under sub-section (2) shall be communicated to the supplier concerned in such manner and within such time as may be prescribed.

(4) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient in the return furnished under sub-section (2) or sub-section (4) of Section 39 shall be communicated to the supplier concerned in such manner and within such time as may be prescribed.

(5) Any registered person, who has furnished the details under sub-section (2) for any tax period and which have remained unmatched under Section 42 or Section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in the tax period during which such error or omission is noticed in such manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest, if any, in case there is a short payment of tax on account of such error or omission, in the return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (2) shall be allowed after furnishing of the return under Section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

Furnishing of returns.

39. (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of Section 10 or Section 51 or Section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars as may be prescribed on or before the twentieth day of the month succeeding such calendar month or part thereof.

(2) A registered person paying tax under the provisions of Section 10 shall, for each quarter or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable and tax paid within eighteen days after the end of such quarter.

indiacode

(3) Every registered person required to deduct tax at source under the provisions of Section 51 shall furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, for the month in which such deductions have been made within ten days after the end of such month.

(4) Every taxable person registered as an Input Service Distributor shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, within thirteen days after the end of such month.

(5) Every registered non-resident taxable person shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, within twenty days after the end of a calendar month or within seven days after the last day of the period of registration specified under sub-section(1) of Section 27, whichever is earlier.

(6) The Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the returns under this section for such class of registered persons as may be specified therein:

indiacode

Provided that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(7) Every registered person, who is required to furnish a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return.

(8) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1) or sub-section (2) shall furnish a return for every tax period whether or not any supplies of goods or services or both have been made during such tax period.

(9) Subject to the provisions of Sections 37 and 38, if any registered person after furnishing a return under sub-section (1) or sub-section (2) sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the return to be furnished for the month or

IndiaCode

quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest under this Act:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of the financial year, or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever is earlier.

(10) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax periods has not been furnished by him.

Indiacode

40. Every registered person who has made outward supplies in the period between the date on which he became liable to registration till the date on which registration has been granted shall declare the same in the first return furnished by him after grant of registration.

First Return.

41. (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to take the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited on a provisional basis to his electronic credit ledger.

Claim of input tax credit and provisional acceptance thereof.

(2) The credit referred to in sub-section (1) shall be utilised only for payment of self-assessed output tax as per the return referred to in the said sub-section.

42. (1) The details of every inward supply furnished by a registered person (hereafter in this section referred to as the "recipient") for a tax period shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be matched– **Matching, reversal and reclaim of input tax credit.**

(a) with the corresponding details of outward supply furnished by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the "supplier") in his valid return for the same tax period or any preceding tax period;

(b) with the integrated goods and services tax paid under Section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 in respect of goods imported by him; and (51 of 1975.)

(c) for duplication of claims of input tax credit.

(2) The claim of input tax credit in respect of invoices or debit notes relating to inward supply that match with the details of corresponding outward supply or with the integrated goods and services tax paid under Section 3 of the Customs Tariff Act, (51 of 1975)

1975 in respect of goods imported by him shall be finally accepted and such acceptance shall be communicated, in such manner as may be prescribed, to the recipient.

(3) Where the input tax credit claimed by a recipient in respect of an inward supply is in excess of the tax declared by the supplier for the same supply or the outward supply is not declared by the supplier in his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in such manner as may be prescribed.

(4) The duplication of claims of input tax credit shall be communicated to the recipient in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (3) and which is not rectified by the supplier in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the recipient, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated.

IndiaCode

(6) The amount claimed as input tax credit that is found to be in excess on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which the duplication is communicated.

(7) The recipient shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5), if the supplier declares the details of the invoice or debit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of Section 39.

IndiaCode

(8) A recipient in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of Section 50 on the amount so added from the date of availing of credit till the corresponding additions are made under the said sub-sections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the recipient by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:

Provided that the amount of interest to

be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the supplier.

(10) The amount reduced from the output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which such contravention takes place and such recipient shall be liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of Section 50.

IndiaCode

Matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability.

43. (1) The details of every credit note relating to outward supply furnished by a registered person (hereafter in this section referred to as the "supplier") for a tax period shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be matched—

(a) with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the "recipient") in his valid return for the same tax period or any subsequent tax period; and

(b) for duplication of claims for reduction in output tax liability.

(2) The claim for reduction in output tax

liability by the supplier that matches with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the recipient shall be finally accepted and communicated, in such manner as may be prescribed, to the supplier.

(3) Where the reduction of output tax liability in respect of outward supplies exceeds the corresponding reduction in the claim for input tax credit or the corresponding credit note is not declared by the recipient in his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in such manner as may be prescribed.

(4) The duplication of claims for reduction in output tax liability shall be communicated to the supplier in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (3) and which is not rectified by the recipient in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the supplier, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the

IndiaCode

discrepancy is communicated.

(6) The amount in respect of any reduction in output tax liability that is found to be on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such duplication is communicated.

(7) The supplier shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5) if the recipient declares the details of the credit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of Section 39.

(8) A supplier in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of Section 50 in respect of the amount so added from the date of such claim for reduction in the output tax liability till the corresponding additions are made under the said sub-sections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the supplier by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as

may be prescribed:

Provided that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the recipient.

(10) The amount reduced from output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such contravention takes place and such supplier shall be liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of Section 50.

Annual return.

44. (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under Section 51 or Section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year.

(2) Every registered person who is required to get his accounts audited in accordance with the provisions of sub-section (5) of Section 35 shall furnish, electronically, the annual return under sub-section (1) along with a copy of the audited annual accounts

IndiaCode

and a reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement, and such other particulars as may be prescribed.

Final return.

45. Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1) of Section 39 and whose registration has been cancelled shall furnish a final return within three months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later, in such form and manner as may be prescribed.

Notice to return defaulters.

46. Where a registered person fails to furnish a return under Section 39 or Section 44 or Section 45, a notice shall be issued requiring him to furnish such return within fifteen days in such form and manner as may be prescribed.

Levy of late fee.

47. (1) Any registered person who fails to furnish the details of outward or inward supplies required under Section 37 or Section 38 or returns required under Section 39 or Section 45 by the due date shall pay a late fee of one hundred rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of five thousand rupees.

IndiaCode

(2) Any registered person who fails to furnish the return required under Section 44 by the due date shall be liable to pay a late fee of one hundred rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum of an amount calculated at a quarter per cent. of his turnover in the State.

Goods and services tax practitioners.

48. (1) The manner of approval of goods and services tax practitioners, their eligibility conditions, duties and obligations, manner of removal and other conditions relevant for their functioning shall be such as may be prescribed.

IndiaCode

(2) A registered person may authorise an approved goods and services tax practitioner to furnish the details of outward supplies under Section 37, the details of inward supplies under Section 38 and the return under Section 39 or Section 44 or Section 45 in such manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the responsibility for correctness of any particulars furnished in the return or other details filed by the goods and services tax practitioners shall continue to rest with the registered person on whose

behalf such return and details are furnished.

CHAPTER-X
PAYMENT OF TAX

Payment of tax, interest, penalty and other amounts.

49. (1) Every deposit made towards tax, interest, penalty, fee or any other amount by a person by internet banking or by using credit or debit cards or National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement or by such other mode and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, shall be credited to the electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed.

(2) The input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger, in accordance with Section 41, to be maintained in such manner as may be prescribed.

(3) The amount available in the electronic cash ledger may be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder in such manner and subject to such conditions and within such time as

IndiaCode

may be prescribed.

(4) The amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act in such manner and subject to such conditions and within such time as may be prescribed.

(5) The amount of input tax credit available in the electronic credit ledger of the registered person on account of —

(a) integrated tax shall first be utilised towards payment of integrated tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of central tax and State tax, or as the case may be, Union territory tax, in that order;

(b) the central tax shall first be utilised towards payment of central tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

(c) the State tax shall first be utilised towards payment of State tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

IndiaCode

(d) the Union territory tax shall first be utilised towards payment of Union territory tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

(e) the central tax shall not be utilised towards payment of State tax or Union territory tax; and

(f) the State tax or Union territory tax shall not be utilised towards payment of central tax.

(6) The balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger after payment of tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made thereunder may be refunded in accordance with the provisions of Section 54.

(7) All liabilities of a taxable person under this Act shall be recorded and maintained in an electronic liability register in such manner as may be prescribed.

(8) Every taxable person shall discharge his tax and other dues under this Act or the rules made thereunder in the following order, namely:—

(a) self-assessed tax, and other dues related to returns of previous tax periods;

(b) self-assessed tax, and other dues related to the return of the current tax period;

(c) any other amount payable under this Act or the rules made thereunder including the demand determined under Section 73 or Section 74.

(9) Every person who has paid the tax on goods or services or both under this Act shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of such goods or services or both.

Explanation.—For the purposes of this section,

(a) the date of credit to the account of the Government in the authorised bank shall be deemed to be the date of deposit in the electronic cash ledger;

(b) the expression,-

(i) "tax dues" means the tax payable under this Act and does not include interest, fee and penalty; and

(ii) "other dues" means interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made thereunder.

IndiaCode

50. (1) Every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the Government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay, on his own, interest at such rate, not exceeding eighteen per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

Interest on delayed payment of tax.

(2) The interest under sub-section (1) shall be calculated, in such manner as may be prescribed, from the day succeeding the day on which such tax was due to be paid.

IndiaCode

(3) A taxable person who makes an undue or excess claim of input tax credit under sub-section (10) of Section 42 or undue or excess reduction in output tax liability under sub-section (10) of Section 43, shall pay interest on such undue or excess claim or on such undue or excess reduction, as the case may be, at such rate not exceeding twenty-four per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

51. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Government may mandate,-

Tax deduction at source.

(a) a department or establishment of the Central Government or State Government; or

(b) local authority; or

(c) Governmental agencies; or

(d) such persons or category of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council,

(hereafter in this section referred to as "the deductor"), to deduct tax at the rate of one per cent. from the payment made or credited to the supplier (hereafter in this section referred to as "the deductee") of taxable goods or services or both, where the total value of such supply, under a contract, exceeds two lakh and fifty thousand rupees:

Provided that no deduction shall be made if the location of the supplier and the place of supply is in a State or Union territory which is different from the State or, as the case may be, Union territory of registration of the recipient.

Explanation.—For the purpose of deduction of tax specified above, the value of supply shall be taken as the amount excluding the central tax, State tax, integrated tax and cess indicated in the invoice.

IndiaCode

(2) The amount deducted as tax under this section shall be paid to the Government by the deductor within ten days after the end of the month in which such deduction is made, in such manner as may be prescribed.

(3) The deductor shall furnish to the deductee a certificate mentioning therein the contract value, rate of deduction, amount deducted, amount paid to the Government and such other particulars in such manner as may be prescribed.

(4) If any deductor fails to furnish to the deductee the certificate, after deducting the tax at source, within five days of crediting the amount so deducted to the Government, the deductor shall pay, by way of a late fee, a sum of one hundred rupees per day from the day after the expiry of such five day period until the failure is rectified, subject to a maximum amount of five thousand rupees.

(5) The deductee shall claim credit, in his electronic cash ledger, of the tax deducted and reflected in the return of the deductor furnished under sub-section (3) of Section 39, in such manner as may be prescribed.

(6) If any deductor fails to pay to the Government the amount deducted as tax under sub-section (1), he shall pay interest in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 50, in addition to the amount of tax deducted.

(7) The determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in Section 73 or Section 74.

(8) The refund to the deductor or the deductee arising on account of excess or erroneous deduction shall be dealt with in accordance with the provisions of Section 54:

Provided that no refund to the deductor shall be granted, if the amount deducted has been credited to the electronic cash ledger of the deductee.

Collection of tax at source.

52. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, every electronic commerce operator (hereafter in this section referred to as the "operator"), not being an agent, shall collect an amount calculated at such rate not exceeding one per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers where the

IndiaCode

consideration with respect to such supplies is to be collected by the operator.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "net value of taxable supplies" shall mean the aggregate value of taxable supplies of goods or services or both, other than services notified under sub-section (5) of Section 9, made during any month by all registered persons through the operator reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the said month.

(2) The power to collect the amount specified in sub-section (1) shall be without prejudice to any other mode of recovery from the operator.

IndiaCode

(3) The amount collected under sub-section (1) shall be paid to the Government by the operator within ten days after the end of the month in which such collection is made, in such manner as may be prescribed.

(4) Every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a

month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month.

(5) Every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish an annual statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under the said sub-section during the financial year, in such form and manner as may be prescribed, before the thirty first day of December following the end of such financial year.

Indiacode

(6) If any operator after furnishing a statement under sub-section (4) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest, as specified in sub-section (1) of Section 50:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect

particulars shall be allowed after the due date for furnishing of statement for the month of September following the end of the financial year or the actual date of furnishing of the relevant annual statement, whichever is earlier.

(7) The supplier who has supplied the goods or services or both through the operator shall claim credit, in his electronic cash ledger, of the amount collected and reflected in the statement of the operator furnished under sub-section (4), in such manner as may be prescribed.

(8) The details of supplies furnished by every operator under sub-section (4) shall be matched with the corresponding details of outward supplies furnished by the concerned supplier registered under this Act in such manner and within such time as may be prescribed.

(9) Where the details of outward supplies furnished by the operator under sub-section (4) do not match with the corresponding details furnished by the supplier under Section 37, the discrepancy shall be communicated to both persons in such manner and within such time as may be prescribed.

(10) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (9) and which is not rectified by the supplier in his valid return or the operator in his statement for the month in which discrepancy is communicated, shall be added to the output tax liability of the said supplier, where the value of outward supplies furnished by the operator is more than the value of outward supplies furnished by the supplier, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated in such manner as may be prescribed.

IndiaCode

(11) The concerned supplier, in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (10), shall pay the tax payable in respect of such supply along with interest, at the rate specified under sub-section (1) of Section 50 on the amount so added from the date such tax was due till the date of its payment.

(12) Any authority not below the rank of Deputy Commissioner may serve a notice, either before or during the course of any proceedings under this Act, requiring the operator to furnish such details relating to—

(a) supplies of goods or services or both

effected through such operator during any period; or

(b) stock of goods held by the suppliers making supplies through such operator in the godowns or warehouses, by whatever name called, managed by such operator and declared as additional places of business by such suppliers,

as may be specified in the notice.

(13) Every operator on whom a notice has been served under sub-section (12) shall furnish the required information within fifteen working days of the date of service of such notice.

IndiaCode

(14) Any person who fails to furnish the information required by the notice served under sub-section (12) shall, without prejudice to any action that may be taken under Section 122, be liable to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "concerned supplier" shall mean the supplier of goods or services or both making supplies through the operator.

Transfer of input tax credit.

53. On utilisation of input tax credit availed under this Act for payment of tax dues under the Integrated Goods and Services Tax Act in accordance with the provisions of sub-section (5) of Section 49, as reflected in the valid return furnished under sub-section (1) of Section 39, the amount collected as State tax shall stand reduced by an amount equal to such credit so utilised and the State Government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the State tax account to the integrated tax account in such manner and within such time as may be prescribed.

IndiaCode

CHAPTER XI
REFUNDS

Refund of tax.

54. (1) Any person claiming refund of any tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid by him, may make an application before the expiry of two years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed:

Provided that a registered person, claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of Section 49, may claim such refund in the return furnished under Section 39 in such manner as may be

prescribed.

(2) A specialized agency of the United Nations Organization or any Multilateral Financial Institution and Organization notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, Consulate or Embassy of foreign countries or any other person or class of persons, as notified under Section 55, entitled to a refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry of six months from the last day of the quarter in which such supply was received.

46 of 1947.

(3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilised input tax credit at the end of any tax period:

Provided that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases other than-

(i) zero-rated supplies made without payment of tax;

(ii) where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies (other than nil rated or fully

IndiaCode

exempt supplies), except supplies of goods or services or both as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

Provided further that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty:

Provided also that no refund of input tax credit shall be allowed, if the supplier of goods or services or both claims refund of the integrated tax paid on such supplies.

IndiaCode

(4) The application shall be accompanied by—

(a) such documentary evidence as may be prescribed to establish that a refund is due to the applicant; and

(b) such documentary or other evidence (including the documents referred to in Section 33) as the applicant may furnish to establish that the amount of tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid in relation to which such refund is claimed was collected from, or paid by, him and the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person:

Provided that where the amount

claimed as refund is less than two lakh rupees, it shall not be necessary for the applicant to furnish any documentary and other evidences but he may file a declaration, based on the documentary or other evidences available with him, certifying that the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person.

(5) If, on receipt of any such application, the proper officer is satisfied that the whole or part of the amount claimed as refund is refundable, he may make an order accordingly and the amount so determined shall be credited to the Fund referred to in Section 57.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero-rated supply of goods or services or both made by registered persons, other than such category of registered persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, refund on a provisional basis, ninety per cent. of the total amount so claimed, excluding the amount of input tax credit provisionally accepted, in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards

as may be prescribed and thereafter make an order under sub-section (5) for final settlement of the refund claim after due verification of documents furnished by the applicant.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (5) within sixty days from the date of receipt of application complete in all respects.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the refundable amount shall, instead of being credited to the Fund, be paid to the applicant, if such amount is relatable to –

(a) refund of tax paid on zero-rated supplies of goods or services or both or on inputs or input services used in making such zero-rated supplies;

(b) refund of unutilised input tax credit under sub-section (3);

(c) refund of tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued, or where a refund voucher has been issued;

(d) refund of tax in pursuance of Section 77;

Indiacode

(e) the tax and interest, if any, or any other amount paid by the applicant, if he had not passed on the incidence of such tax and interest to any other person; or

(f) the tax or interest borne by such other class of applicants as the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify.

(9) Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree, order or direction of the Appellate Tribunal or any court or in any other provisions of this Act or the rules made thereunder or in any other law for the time being in force, no refund shall be made except in accordance with the provisions of sub-section (8).

(10) Where any refund is due under sub-section (3) to a registered person who has defaulted in furnishing any return or who is required to pay any tax, interest or penalty, which has not been stayed by any court, Tribunal or Appellate Authority by the specified date, the proper officer may—

(a) withhold payment of refund due until the said person has furnished the return or paid the tax, interest or penalty, as the case may be;

IndiaCode

(b) deduct from the refund due, any tax, interest, penalty, fee or any other amount which the taxable person is liable to pay but which remains unpaid under this Act or under the existing law.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "specified date" shall mean the last date for filing an appeal under this Act.

(11) Where an order giving rise to a refund is the subject matter of an appeal or further proceedings or where any other proceedings under this Act is pending and the Commissioner is of the opinion that grant of such refund is likely to adversely affect the revenue in the said appeal or other proceedings on account of malfeasance or fraud committed, he may, after giving the taxable person an opportunity of being heard, withhold the refund till such time as he may determine.

(12) Where a refund is withheld under sub-section (11), the taxable person shall, notwithstanding anything contained in Section 56, be entitled to interest at such rate not exceeding six per cent. as may be notified on the recommendations of the Council, if as a result of the appeal or

further proceedings he becomes entitled to refund.

(13) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the amount of advance tax deposited by a casual taxable person or a non-resident taxable person under sub-section (2) of Section 27, shall not be refunded unless such person has, in respect of the entire period for which the certificate of registration granted to him had remained in force, furnished all the returns required under Section 39.

(14) Notwithstanding anything contained in this section, no refund under sub-section (5) or sub-section (6) shall be paid to an applicant, if the amount is less than one thousand rupees.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(1) "refund" includes refund of tax paid on zero-rated supplies of goods or services or both or on inputs or input services used in making such zero-rated supplies, or refund of tax on the supply of goods regarded as deemed exports, or refund of unutilised input tax credit as provided under sub-section (3).

(2) "relevant date" means –

(a) in the case of goods exported out of India where a refund of tax paid is available in respect of goods themselves or, as the case may be, the inputs or input services used in such goods,—

(i) if the goods are exported by sea or air, the date on which the ship or the aircraft in which such goods are loaded, leaves India; or

(ii) if the goods are exported by land, the date on which such goods pass the frontier; or

IndiaCode

(iii) if the goods are exported by post, the date of despatch of goods by the Post Office concerned to a place outside India;

(b) in the case of supply of goods regarded as deemed exports where a refund of tax paid is available in respect of the goods, the date on which the return relating to such deemed exports is furnished;

(c) in the case of services exported out of India where a refund of tax paid is available in respect of services themselves or, as the case may be, the inputs or input services used in

such services, the date of—

(i) receipt of payment in convertible foreign exchange, where the supply of services had been completed prior to the receipt of such payment; or

(ii) issue of invoice, where payment for the services had been received in advance prior to the date of issue of the invoice;

(d) in case where the tax becomes refundable as a consequence of judgment, decree, order or direction of the Appellate Authority, Appellate Tribunal or any court, the date of communication of such judgment, decree, order or direction;

(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under sub-section (3), the end of the financial year in which such claim for refund arises;

(f) in the case where tax is paid provisionally under this Act or the rules made thereunder, the date of adjustment of tax after the final assessment thereof;

(g) in the case of a person, other than the supplier, the date of receipt of goods or services or both by such person; and

(h) in any other case, the date of payment of tax.

Refund in certain cases.

55. The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify any specialized agency of the United Nations Organization or any Multilateral Financial Institution and Organization notified under the United
46 of 1947. Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, Consulate or Embassy of foreign countries and any other person or class of persons as may be specified in this behalf, who shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of goods or services or both received by them.

Interest on delayed refunds.

56. If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of Section 54 to any applicant is not refunded within sixty days from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six per cent. as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt

of application under the said sub-section till the date of refund of such tax:

Provided that where any claim of refund arises from an order passed by an adjudicating authority or Appellate Authority or Appellate Tribunal or court which has attained finality and the same is not refunded within sixty days from the date of receipt of application filed consequent to such order, interest at such rate not exceeding nine per cent. as may be notified by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application till the date of refund.

IndiaCode

Explanation.—For the purposes of this section, where any order of refund is made by an Appellate Authority, Appellate Tribunal or any court against an order of the proper officer under sub-section (5) of Section 54, the order passed by the Appellate Authority, Appellate Tribunal or by the court shall be deemed to be an order passed under the said sub-section (5).

Consumer Welfare Fund.

57. The Government shall constitute a Fund, to be called the Consumer Welfare Fund and there shall be credited to the Fund,—

(a) the amount referred to in sub-

section (5) of Section 54;

(b) any income from investment of the amount credited to the Fund; and

(c) such other monies received by it,

in such manner as may be prescribed.

58. (1) All sums credited to the Fund shall be utilised by the Government for the welfare of the consumers in such manner as may be prescribed. **Utilisation of Fund.**

(2) The Government or the authority specified by it shall maintain proper and separate account and other relevant records in relation to the Fund and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

IndiaCode

CHAPTER– XII
ASSESSMENT

59. Every registered person shall self-assess the taxes payable under this Act and furnish a return for each tax period as specified under Section 39. **Self-assessment.**

60. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), where the taxable person is unable to determine the value of goods or services or both or determine the rate of tax applicable thereto, he may request the proper officer in writing giving reasons for payment of tax on a provisional basis and the proper officer shall pass an order, within a period not later than ninety days from the date of receipt of such request, allowing payment of tax on provisional basis at such rate or on such value as may be specified by him.

Provisional assessment.

IndiaCode

(2) The payment of tax on provisional basis may be allowed, if the taxable person executes a bond in such form as may be prescribed, and with such surety or security as the proper officer may deem fit, binding the taxable person for payment of the difference between the amount of tax as may be finally assessed and the amount of tax provisionally assessed.

(3) The proper officer shall, within a period not exceeding six months from the date of the communication of the order issued under sub-section (1), pass the final assessment order after taking into account such information as may be required for finalizing the assessment:

Provided that the period specified in this sub-section may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in

writing, be extended by the Joint Commissioner or Additional Commissioner for a further period not exceeding six months and by the Commissioner for such further period not exceeding four years.

(4) The registered person shall be liable to pay interest on any tax payable on the supply of goods or services or both under provisional assessment but not paid on the due date specified under sub-section (7) of Section 39 or the rules made thereunder, at the rate specified under sub-section (1) of Section 50, from the first day after the due date of payment of tax in respect of the said supply of goods or services or both till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of order for final assessment.

(5) Where the registered person is entitled to a refund consequent to the order of final assessment under sub-section (3), subject to the provisions of sub-section (8) of Section 54, interest shall be paid on such refund as provided in Section 56.

Scrutiny of returns.

61. (1) The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner as may be

prescribed and seek his explanation thereto.

(2) In case the explanation is found acceptable, the registered person shall be informed accordingly and no further action shall be taken in this regard.

(3) In case no satisfactory explanation is furnished within a period of thirty days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him or where the registered person, after accepting the discrepancies, fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under Section 65 or Section 66 or Section 67, or proceed to determine the tax and other dues under Section 73 or Section 74.

Assessment of non-filers of returns.

62. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 73 or Section 74, where a registered person fails to furnish the return under Section 39 or Section 45, even after the service of a notice under Section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgement taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an

IndiaCode

assessment order within a period of five years from the date specified under Section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates.

(2) Where the registered person furnishes a valid return within thirty days of the service of the assessment order under sub-section (1), the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn but the liability for payment of interest under sub-section (1) of Section 50 or for payment of late fee under Section 47 shall continue.

Assessment of unregistered persons.

63. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 73 or Section 74,where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so or whose registration has been cancelled under sub-section (2) of Section 29 but who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment for the relevant tax periods and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under Section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates:

Provided that no such assessment order shall be passed without giving the

IndiaCode

person an opportunity of being heard.

Summary assessment in certain special cases.

64. (1) The proper officer may, on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice, with the previous permission of Additional Commissioner or Joint Commissioner, proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of revenue and issue an assessment order, if he has sufficient grounds to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of revenue:

Provided that where the taxable person to whom the liability pertains is not ascertainable and such liability pertains to supply of goods, the person in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person liable to be assessed and liable to pay tax and any other amount due under this section.

(2) On an application made by the taxable person within thirty days from the date of receipt of order passed under sub-section (1) or on his own motion, if the Additional Commissioner or Joint Commissioner considers that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in Section 73 or Section 74.

IndiaCode

CHAPTER XIII

AUDIT

Audit by tax authorities.

65. (1) The Commissioner or any officer authorised by him, by way of a general or a specific order, may undertake audit of any registered person for such period, at such frequency and in such manner as may be prescribed.

(2) The officers referred to in sub-section (1) may conduct audit at the place of business of the registered person or in their office.

IndiaCode

(3) The registered person shall be informed by way of a notice not less than fifteen working days prior to the conduct of audit in such manner as may be prescribed.

(4) The audit under sub-section (1) shall be completed within a period of three months from the date of commencement of the audit:

Provided that where the Commissioner is satisfied that audit in respect of such registered person cannot be completed within three months, he may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period by a further period not exceeding six months.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "commencement

of audit" shall mean the date on which the records and other documents, called for by the tax authorities, are made available by the registered person or the actual institution of audit at the place of business, whichever is later.

(5) During the course of audit, the authorised officer may require the registered person,–

(i) to afford him the necessary facility to verify the books of account or other documents as he may require;

(ii) to furnish such information as he may require and render assistance for timely completion of the audit.

(6) On conclusion of audit, the proper officer shall, within thirty days, inform the registered person, whose records are audited, about the findings, his rights and obligations and the reasons for such findings.

(7) Where the audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under Section 73 or Section 74.

66. (1) If at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceedings before him, any officer not below the rank of Assistant Commissioner, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, is of the opinion that the value has not been correctly declared or the credit availed is not within the normal limits, he may, with the prior approval of the Commissioner, direct such registered person by a communication in writing to get his records including books of account examined and audited by a chartered accountant or a cost accountant as may be nominated by the Commissioner. **Special audit.**

IndiaCode

(2) The chartered accountant or cost accountant so nominated shall, within the period of ninety days, submit a report of such audit duly signed and certified by him to the said Assistant Commissioner mentioning therein such other particulars as may be specified:

Provided that the Assistant Commissioner may, on an application made to him in this behalf by the registered person or the chartered accountant or cost accountant or for any material and sufficient reason, extend the said period by a further period of ninety days.

(3) The provisions of sub-section (1) shall have effect notwithstanding that the accounts of the registered person have been audited under any other provisions of this Act or any other law for the time being in force.

(4) The registered person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of special audit under sub-section (1) which is proposed to be used in any proceedings against him under this Act or the rules made thereunder.

IndiaCode

(5) The expenses of the examination and audit of records under sub-section (1), including the remuneration of such chartered accountant or cost accountant, shall be determined and paid by the Commissioner and such determination shall be final.

(6) Where the special audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under Section 73 or Section74.

CHAPTER XIV

INSPECTION, SEARCH, SEIZURE AND ARREST

Power of inspection, search and seizure.

67. (1) Where the proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, has reasons to believe that—

(a) a taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods or services or both or the stock of goods in hand, or has claimed input tax credit in excess of his entitlement under this Act or has indulged in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder to evade tax under this Act; or

(b) any person engaged in the business of transporting goods or an owner or operator of a warehouse or a godown or any other place is keeping goods which have escaped payment of tax or has kept his accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under this Act,

he may authorise in writing any other officer of State tax to inspect any places of business of the taxable person or the persons engaged in the business of transporting goods or the owner or the operator of warehouse or

godown or any other place.

(2) Where the proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, either pursuant to an inspection carried out under sub-section (1) or otherwise, has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any documents or books or things, which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceedings under this Act, are secreted in any place, he may authorise in writing any other officer of State tax to search and seize or may himself search and seize such goods, documents or books or things:

Provided that where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer, or any officer authorised by him, may serve on the owner or the custodian of the goods an order that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer:

Provided further that the documents or books or things so seized shall be retained by such officer only for so long as may be necessary for their examination and for any inquiry or proceedings under this Act.

(3) The documents, books or things referred to in sub-section (2) or any other documents, books or things produced by a

IndiaCode

taxable person or any other person, which have not been relied upon for the issue of notice under this Act or the rules made thereunder, shall be returned to such person within a period not exceeding thirty days of the issue of the said notice.

(4) The officer authorised under sub-section (2) shall have the power to seal or break open the door of any premises or to break open any *almirah*, electronic devices, box, receptacle in which any goods, accounts, registers or documents of the person are suspected to be concealed, where access to such premises, *almirah*, electronic devices, box or receptacle is denied.

Indiacode

(5) The person from whose custody any documents are seized under sub-section (2) shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of an authorised officer at such place and time as such officer may indicate in this behalf except where making such copies or taking such extracts may, in the opinion of the proper officer, prejudicially affect the investigation.

(6) The goods so seized under sub-section (2) shall be released, on a provisional basis, upon execution of a bond and furnishing of

a security, in such manner and of such quantum, respectively, as may be prescribed or on payment of applicable tax, interest and penalty payable, as the case may be.

(7) Where any goods are seized under sub-section (2) and no notice in respect thereof is given within six months of the seizure of the goods, the goods shall be returned to the person from whose possession they were seized:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the proper officer for a further period not exceeding six months.

IndiaCode

(8) The Government may, having regard to the perishable or hazardous nature of any goods, depreciation in the value of the goods with the passage of time, constraints of storage space for the goods or any other relevant considerations, by notification, specify the goods or class of goods which shall, as soon as may be after its seizure under sub-section (2), be disposed of by the proper officer in such manner as may be prescribed.

(9) Where any goods, being goods specified under sub-section (8), have been seized by

a proper officer, or any officer authorised by him under sub-section (2), he shall prepare an inventory of such goods in such manner as may be prescribed.

2 of 1974. (10) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure, shall, so far as may be, apply to search and seizure under this section subject to the modification that sub-section (5) of Section 165 of the said Code shall have effect as if for the word "Magistrate", wherever it occurs, the word "Commissioner" were substituted.

IndiaCode

(11) Where the proper officer has reasons to believe that any person has evaded or is attempting to evade the payment of any tax, he may, for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, registers or documents of such person produced before him and shall grant a receipt for the same, and shall retain the same for so long as may be necessary in connection with any proceedings under this Act or the rules made thereunder for prosecution.

(12) The Commissioner or an officer authorised by him may cause purchase of any goods or services or both by any person authorised by him from the business

premises of any taxable person, to check the issue of tax invoices or bills of supply by such taxable person, and on return of goods so purchased by such officer, such taxable person or any person in charge of the business premises shall refund the amount so paid towards the goods after cancelling any tax invoice or bill of supply issued earlier.

Inspection of goods in movement.

68. (1) The Government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed.

(2) The details of documents required to be carried under sub-section (1) shall be validated in such manner as may be prescribed.

(3) Where any conveyance referred to in sub-section (1) is intercepted by the proper officer at any place, he may require the person in charge of the said conveyance to produce the documents prescribed under the said sub-section and devices for verification, and the said person shall be liable to produce the documents and devices and also allow the inspection of

goods.

69. (1) Where the Commissioner has reasons to believe that a person has committed any offence specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of Section 132 which is punishable under clause (i) or (ii) of sub-section (1), or sub-section (2) of the said section, he may, by order, authorise any officer of State tax to arrest such person. **Power to arrest.**

(2) Where a person is arrested under sub-section (1) for an offence specified under sub-section (5) of Section 132, the officer authorised to arrest the person shall inform such person of the grounds of arrest and produce him before a Magistrate within twenty four hours.

2 of 1974. (3) Subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973,--

(a) where a person is arrested under sub-section (1) for any offence specified under sub-section (4) of Section 132, he shall be admitted to bail or in default of bail, forwarded to the custody of the Magistrate;

(b) in the case of a non-cognizable and bailable offence, the Deputy

Commissioner or the Assistant Commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer-in-charge of a police station

Power to summon persons to give evidence and produce documents.

70. (1) The proper officer under this Act shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908.

5 of 1908

(2) Every such inquiry referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a "judicial proceedings" within the meaning of Section 193 and Section 228 of the Indian Penal Code.

45 of 1860.

Access to business premises.

71. (1) Any officer under this Act, authorised by the proper officer not below the rank of Joint Commissioner, shall have access to any place of business of a registered person to inspect books of account, documents, computers, computer programs, computer software whether installed in a computer or otherwise and such other things as he may require and which may be available at such

IndiaCode

place, for the purposes of carrying out any audit, scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the interest of revenue.

(2) Every person in charge of place referred to in sub-section (1) shall, on demand, make available to the officer authorised under sub-section (1) or the audit party deputed by the proper officer or a cost accountant or chartered accountant nominated under Section 66—

(i) such records as prepared or maintained by the registered person and declared to the proper officer in such manner as may be prescribed;

(ii) trial balance or its equivalent;

(iii) statements of annual financial accounts, duly audited, wherever required;

18 of 2013. (iv) cost audit report, if any, under Section 148 of the Companies Act, 2013;

(v) the income-tax audit report, if

43 of 1961. any, under Section 44AB of the Income-tax Act, 1961; and

(vi) any other relevant record,

for the scrutiny by the officer or audit party or the chartered accountant or cost accountant within a period not exceeding fifteen working days from the day when such demand is

IndiaCode

made, or such further period as may be allowed by the said officer or the audit party or the chartered accountant or cost accountant.

Officers to assist proper officers.

72. (1) All officers of Police, Railways, Customs, and those officers engaged in the collection of land revenue, including village officers, officers of central tax and officers of the Union territory tax shall assist the proper officers in the implementation of this Act.

(2) The Government may, by notification, empower and require any other class of officers to assist the proper officers in the implementation of this Act when called upon to do so by the Commissioner.

indiaCode

CHAPTER XV
DEMANDS AND RECOVERY

Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason other than fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.

73. (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid

or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under Section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) at least three months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The person chargeable with tax may, before service of notice under sub-section (1) or, as the case may be, the statement under sub-section (3), pay the amount of tax along with interest payable thereon under Section 50 on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment.

(6) The proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1) or, as the case may be, the statement under sub-section (3), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

IndiaCode

(7) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under sub-section (5) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(8) Where any person chargeable with tax under sub-section (1) or sub-section (3) pays the said tax along with interest payable under Section 50 within thirty days

of issue of show cause notice, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and a penalty equivalent to ten per cent. of tax or ten thousand rupees, whichever is higher, due from such person and issue an order.

(10) The proper officer shall issue the order under sub-section (9) within three years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within three years from the date of erroneous refund.

(11) Notwithstanding anything contained in sub-section (6) or sub-section (8), penalty under sub-section (9) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts.

74. (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under Section 50 and a penalty equivalent to the tax specified in the notice.

IndiaCode

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) at least six months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of statement under sub-section (3) shall be deemed to be service of notice under sub-section (1) of Section 73, subject to the condition that the grounds relied upon in the said statement, except the ground of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, for periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The person chargeable with tax may, before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under Section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment.

(6) The proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(7) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under sub-

indiacode

section (5) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(8) Where any person chargeable with tax under sub-section (1) pays the said tax along with interest payable under Section 50 and a penalty equivalent to twenty five per cent. of such tax within thirty days of issue of the notice, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

IndiaCode

(9) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

(10) The proper officer shall issue the order under sub-section (9) within a period of five years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within five years from the date of erroneous refund.

(11) Where any person served with an order issued under sub-section (9) pays the tax along with interest payable thereon under Section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within thirty days of communication of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

***Explanation*1**.– For the purposes of Section 73 and this section, —

(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under Section 132;

(ii)where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under Section 73 or Section 74, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under Sections 122, 125, 129 and 130 are deemed to be concluded.

Explanation 2.—For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by

Indiacode

the proper officer.

General provisions relating to determination of tax.

75. (1) Where the service of notice or issuance of order is stayed by an order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of Section 73 or sub-sections (2) and (10) of Section 74, as the case may be.

(2) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the notice issued under sub-section (1) of Section 74 is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of Section 73.

(3) Where any order is required to be issued in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, such order shall be issued within two years from the date of communication of the said direction.

(4) An opportunity of hearing shall be

indiaCode

granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is contemplated against such person.

(5) The proper officer shall, if sufficient cause is shown by the person chargeable with tax, grant time to the said person and adjourn the hearing for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such adjournment shall be granted for more than three times to a person during the proceedings.

(6) The proper officer, in his order, shall set out the relevant facts and the basis of his decision.

(7) The amount of tax, interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of the amount specified in the notice and no demand shall be confirmed on the grounds other than the grounds specified in the notice.

(8) Where the Appellate Authority or Appellate Tribunal or court modifies the amount of tax determined by the proper officer, the amount of interest and penalty shall stand modified accordingly, taking into account the amount of tax so modified.

IndiaCode

(9) The interest on the tax short paid or not paid shall be payable whether or not specified in the order determining the tax liability.

(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within three years as provided for in sub-section (10) of Section 73 or within five years as provided for in sub-section (10) of Section 74.

(11) An issue on which the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision which is prejudicial to the interest of revenue in some other proceedings and an appeal to the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Authority and that of the Appellate Tribunal or the date of decision of the Appellate Tribunal and that of the High Court or the date of the decision of the High Court and that of the Supreme Court shall be excluded in computing the period referred to in sub-section (10) of Section 73 or sub-section (10) of Section 74 where proceedings are

initiated by way of issue of a show cause notice under the said sections.

(12) Notwithstanding anything contained in Section 73 or Section74, where any amount of self-assessed tax in accordance with a return furnished under Section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79.

(13) Where any penalty is imposed under Section 73 or Section 74, no penalty for the same act or omission shall be imposed on the same person under any other provision of this Act.

Tax collected but not paid to Government.

76. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any order or direction of any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court or in any other provisions of this Act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force, every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this Act, and has not paid the said amount to the Government, shall forthwith pay the said amount to the Government, irrespective of whether the supplies in respect

IndiaCode

of which such amount was collected are taxable or not.

(2) Where any amount is required to be paid to the Government under sub-section (1), and which has not been so paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such amount a notice requiring him to show cause as to why the said amount as specified in the notice, should not be paid by him to the Government and why a penalty equivalent to the amount specified in the notice should not be imposed on him under the provisions of this Act.

(3) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person on whom the notice is served under sub-section (2), determine the amount due from such person and thereupon such person shall pay the amount so determined.

(4) The person referred to in sub-section (1) shall in addition to paying the amount referred to in sub-section (1) or sub-section (3) also be liable to pay interest thereon at the rate specified under Section 50 from the date such amount was collected by him to the date such amount is paid by him to the

IndiaCode

Government.

(5) An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person to whom the notice was issued to show cause.

(6) The proper officer shall issue an order within one year from the date of issue of the notice.

(7) Where the issuance of order is stayed by an order of the court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of one year.

(8) The proper officer, in his order, shall set out the relevant facts and the basis of his decision.

(9) The amount paid to the Government under sub-section (1) or sub-section (3) shall be adjusted against the tax payable, if any, by the person in relation to the supplies referred to in sub-section (1).

(10) Where any surplus is left after the adjustment under sub-section (9), the amount of such surplus shall either be credited to the Fund or refunded to the person who has borne the incidence of such

amount.

(11) The person who has borne the incidence of the amount, may apply for the refund of the same in accordance with the provisions of Section 54.

Tax wrongfully collected and paid to Central Government or State Government.

77. (1) A registered person who has paid the central tax and State tax on a transaction considered by him to be an intra-State supply, but which is subsequently held to be an inter-State supply, shall be refunded the amount of taxes so paid in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(2) A registered person who has paid integrated tax on a transaction considered by him to be an inter-State supply, but which is subsequently held to be an intra-State supply, shall not be required to pay any interest on the amount of State tax payable.

Initiation of recovery proceedings.

78. Any amount payable by a taxable person in pursuance of an order passed under this Act shall be paid by such person within a period of three months from the date of service of such order failing which recovery proceedings shall be initiated:

Provided that where the proper

IndiaCode

officer considers it expedient in the interest of revenue, he may, for reasons to be recorded in writing, require the said taxable person to make such payment within such period less than a period of three months as may be specified by him.

79. (1) Where any amount payable by a person to the Government under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer shall proceed to recover the amount by one or more of the following modes, namely:— **Recovery of tax.**

(a) the proper officer may deduct or may require any other specified officer to deduct the amount so payable from any money owing to such person which may be under the control of the proper officer or such other specified officer;

(b) the proper officer may recover or may require any other specified officer to recover the amount so payable by detaining and selling any goods belonging to such person which are under the control of the proper officer or such other specified officer;

(c) (i) the proper officer may, by a notice in writing, require any other person from whom money is due or may become due to such person or who holds or may subsequently hold money for or on

account of such person, to pay to the Government either forthwith upon the money becoming due or being held, or within the time specified in the notice not being before the money becomes due or is held, so much of the money as is sufficient to pay the amount due from such person or the whole of the money when it is equal to or less than that amount;

(ii) every person to whom the notice is issued under sub-clause (i) shall be bound to comply with such notice, and in particular, where any such notice is issued to a post office, banking company or an insurer, it shall not be necessary to produce any pass book, deposit receipt, policy or any other document for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before payment is made, notwithstanding any rule, practice or requirement to the contrary;

(iii) in case the person to whom a notice under sub-clause (i) has been issued, fails to make the payment in pursuance thereof to the Government, he shall be deemed to be a defaulter in respect of the amount specified in the notice and all the consequences of this Act or the rules made thereunder shall follow;

(iv) the officer issuing a notice under sub-clause (i) may, at any time, amend or

revoke such notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice;

(v) any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-clause (i) shall be deemed to have made the payment under the authority of the person in default and such payment being credited to the Government shall be deemed to constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the person in default to the extent of the amount specified in the receipt;

(vi) any person discharging any liability to the person in default after service on him of the notice issued under sub-clause (i) shall be personally liable to the Government to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the person in default for tax, interest and penalty, whichever is less;

(vii) where a person on whom a notice is served under sub-clause (i) proves to the satisfaction of the officer issuing the notice that the money demanded or any part thereof was not due to the person in default or that he did not hold any money for or on account of the person in default, at the time the notice was served on him, nor is the money demanded or any part thereof, likely to become due to the said person or

be held for or on account of such person, nothing contained in this section shall be deemed to require the person on whom the notice has been served to pay to the Government any such money or part thereof;

(d) the proper officer may, in accordance with the rules to be made in this behalf, distrain any movable or immovable property belonging to or under the control of such person, and detain the same until the amount payable is paid; and in case, any part of the said amount payable or of the cost of the distress or keeping of the property, remains unpaid for a period of thirty days next after any such distress, may cause the said property to be sold and with the proceeds of such sale, may satisfy the amount payable and the costs including cost of sale remaining unpaid and shall render the surplus amount, if any, to such person;

(e) the proper officer may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such person and send it to the Collector of the district in which such person owns any property or resides or carries on his business or to any officer authorised by the Government and the said Collector or the said officer, on receipt of such certificate, shall

proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue;

2 of 1974. (f) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the proper officer may file an application to the appropriate Magistrate and such Magistrate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him.

IndiaCode

(2) Where the terms of any bond or other instrument executed under this Act or any rules or regulations made thereunder provide that any amount due under such instrument may be recovered in the manner laid down in sub-section (1), the amount may, without prejudice to any other mode of recovery, be recovered in accordance with the provisions of that sub-section.

(3) Where any amount of tax, interest or penalty is payable by a person to the Government under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and which remains unpaid, the proper officer of central tax, during the course of recovery of said tax arrears, may recover the amount from the said person as if it were an arrear of central tax and credit the amount so

recovered to the account of the Government.

(4) Where the amount recovered under sub-section (3) is less than the amount due to the Central Government and State Government, the amount to be credited to the account of the respective Governments shall be in proportion to the amount due to each such Government.

Payment of tax and other amount in instalments.

80. On an application filed by a taxable person, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, extend the time for payment or allow payment of any amount due under this Act, other than the amount due as per the liability self-assessed in any return, by such person in monthly instalments not exceeding twenty four, subject to payment of interest under Section 50 and subject to such conditions and limitations as may be prescribed:

Provided that where there is default in payment of any one instalment on its due date, the whole outstanding balance payable on such date shall become due and payable forthwith and shall, without any further notice being served on the person, be liable for recovery.

indiacode

Transfer of property to be void in certain cases.

81. Where a person, after any amount has become due from him, creates a charge on or parts with the property belonging to him or in his possession by way of sale, mortgage, exchange, or any other mode of transfer whatsoever of any of his properties in favour of any other person with the intention of defrauding the Government revenue, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax or any other sum payable by the said person:

Provided that, such charge or transfer shall not be void if it is made for adequate consideration, in good faith and without notice of the pendency of such proceedings under this Act or without notice of such tax or other sum payable by the said person, or with the previous permission of the proper officer.

Tax to be first charge on property.

82. Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, any amount payable by a taxable person or any other person on account of tax, interest or penalty which he is liable to pay to the Government shall be a first charge on the property of such taxable person or such person.

31 of 2016

Provisional attachment to protect revenue in certain cases.

83. (1) Where during the pendency of any proceedings under Section 62 or Section 63 or Section 64 or Section 67 or Section 73 or Section 74, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue, it is necessary so to do, he may, by order in writing attach provisionally any property, including bank account, belonging to the taxable person in such manner as may be prescribed.

(2) Every such provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of the order made under sub-section (1).

IndiaCode

Continuation and validation of certain recovery proceedings.

84. Where any notice of demand in respect of any tax, penalty, interest or any other amount payable under this Act, (hereafter in this section referred to as "Government dues"), is served upon any taxable person or any other person and any appeal or revision application is filed or any other proceedings is initiated in respect of such Government dues, then—

(a) where such Government dues are enhanced in such appeal, revision or other proceedings, the Commissioner shall serve upon the taxable person or any other person

another notice of demand in respect of the amount by which such Government dues are enhanced and any recovery proceedings in relation to such Government dues as are covered by the notice of demand served upon him before the disposal of such appeal, revision or other proceedings may, without the service of any fresh notice of demand, be continued from the stage at which such proceedings stood immediately before such disposal;

(b) where such Government dues are reduced in such appeal, revision or in other proceedings—

(i) it shall not be necessary for the Commissioner to serve upon the taxable person a fresh notice of demand;

(ii) the Commissioner shall give intimation of such reduction to him and to the appropriate authority with whom recovery proceedings is pending;

(iii) any recovery proceedings initiated on the basis of the demand served upon him prior to the disposal of such appeal, revision or other proceedings may be continued in relation to the amount so reduced from the stage at which such

IndiaCode

proceedings stood immediately before such disposal.

CHAPTER XVI
LIABILITY TO PAY IN CERTAIN CASES

Liability in case of transfer of business.

85. (1) Where a taxable person, liable to pay tax under this Act, transfers his business in whole or in part, by sale, gift, lease, leave and license, hire or in any other manner whatsoever, the taxable person and the person to whom the business is so transferred shall, jointly and severally, be liable wholly or to the extent of such transfer, to pay the tax, interest or any penalty due from the taxable person upto the time of such transfer, whether such tax, interest or penalty has been determined before such transfer, but has remained unpaid or is determined thereafter.

(2) Where the transferee of a business referred to in sub-section (1) carries on such business either in his own name or in some other name, he shall be liable to pay tax on the supply of goods or services or both effected by him with effect from the date of such transfer and shall, if he is a registered person under this Act, apply within the prescribed time for amendment of his certificate of registration.

IndiaCode

86. Where an agent supplies or receives any taxable goods on behalf of his principal, such agent and his principal shall, jointly and severally, be liable to pay the tax payable on such goods under this Act.

Liability of agent and principal.

87. (1) When two or more companies are amalgamated or merged in pursuance of an order of court or of Tribunal or otherwise and the order is to take effect from a date earlier to the date of the order and any two or more of such companies have supplied or received any goods or services or both to or from each other during the period commencing on the date from which the order takes effect till the date of the order, then such transactions of supply and receipt shall be included in the turnover of supply or receipt of the respective companies and they shall be liable to pay tax accordingly.

Liability in case of amalgamation or merger of companies.

(2) Notwithstanding anything contained in the said order, for the purposes of this Act, the said two or more companies shall be treated as distinct companies for the period up to the date of the said order and the registration certificates of the said companies shall be cancelled with effect from the date of the said order.

31 of 2016

88. (1) When any company is being wound up whether under the orders of a court or Tribunal or otherwise, every person appointed as receiver of any assets of a company (hereafter in this section referred to as the "liquidator"), shall, within thirty days after his appointment, give intimation of his appointment to the Commissioner.

Liability in case of company in liquidation.

(2) The Commissioner shall, after making such inquiry or calling for such information as he may deem fit, notify the liquidator within three months from the date on which he receives intimation of the appointment of the liquidator, the amount which in the opinion of the Commissioner would be sufficient to provide for any tax, interest or penalty which is then, or is likely thereafter to become, payable by the company.

(3) When any private company is wound up and any tax, interest or penalty determined under this Act on the company for any period, whether before or in the course of or after its liquidation, cannot be recovered, then every person who was a director of such company at any time during the period for which the tax was due shall, jointly and severally, be liable for the payment of such tax, interest or penalty, unless he proves to the satisfaction of the Commissioner that

IndiaCode

such non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company.

18 of 2013. **89.** (1) Notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013, where any tax, interest or penalty due from a private company in respect of any supply of goods or services or both for any period cannot be recovered, then, every person who was a director of the private company during such period shall, jointly and severally, be liable for the payment of such tax, interest or penalty unless he proves that the non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company.

Liability of directors of private company.

IndiaCode

(2) Where a private company is converted into a public company and the tax, interest or penalty in respect of any supply of goods or services or both for any period during which such company was a private company cannot be recovered before such conversion, then, nothing contained in sub-section (1) shall apply to any person who was a director of such private company in relation to any tax, interest or penalty in respect of such supply of goods or services

or both of such private company:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any personal penalty imposed on such director.

Liability of partners of firm to pay tax.

90. Notwithstanding any contract to the contrary and any other law for the time being in force, where any firm is liable to pay any tax, interest or penalty under this Act, the firm and each of the partners of the firm shall, jointly and severally, be liable for such payment:

Provided that where any partner retires from the firm, he or the firm, shall intimate the date of retirement of the said partner to the Commissioner by a notice in that behalf in writing and such partner shall be liable to pay tax, interest or penalty due upto the date of his retirement whether determined or not, on that date:

Provided further that if no such intimation is given within one month from the date of retirement, the liability of such partner under the first proviso shall continue until the date on which such intimation is received by the Commissioner.

Liability of guardians, trustees etc.

91. Where the business in respect of which any tax, interest or penalty is payable under

indiaCode

this Act is carried on by any guardian, trustee or agent of a minor or other incapacitated person on behalf of and for the benefit of such minor or other incapacitated person, the tax, interest or penalty shall be levied upon and recoverable from such guardian, trustee or agent in like manner and to the same extent as it would be determined and recoverable from any such minor or other incapacitated person, as if he were a major or capacitated person and as if he were conducting the business himself, and all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply accordingly.

IndiaCode

Liability of Court of Wards, etc.

92. Where the estate or any portion of the estate of a taxable person owning a business in respect of which any tax, interest or penalty is payable under this Act is under the control of the Court of Wards, the Administrator General, the Official Trustee or any receiver or manager (including any person, whatever be his designation, who in fact manages the business) appointed by or under any order of a court, the tax, interest or penalty shall be levied upon and be recoverable from such Court of Wards, Administrator General, Official Trustee, receiver or manager in like manner and to the same extent as it would be determined and be recoverable from the taxable person as if he were conducting the

business himself, and all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply accordingly.

Special provisions regarding liability to pay tax, interest or penalty in certain cases.

31 of 2016 **93.** (1) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016,where a person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, dies, then—

(a) if a business carried on by the person is continued after his death by his legal representative or any other person, such legal representative or other person, shall be liable to pay tax, interest or penalty due from such person under this Act; and

(b) if the business carried on by the person is discontinued, whether before or after his death, his legal representative shall be liable to pay, out of the estate of the deceased, to the extent to which the estate is capable of meeting the charge, the tax, interest or penalty due from such person under this Act,

whether such tax, interest or penalty has been determined before his death but has remained unpaid or is determined after his death.

(2) Save as otherwise provided in the
31 of 2016 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, where a taxable person, liable to pay tax,

interest or penalty under this Act, is a Hindu Undivided Family or an association of persons and the property of the Hindu Undivided Family or the association of persons is partitioned amongst the various members or groups of members, then, each member or group of members shall, jointly and severally, be liable to pay the tax, interest or penalty due from the taxable person under this Act upto the time of the partition whether such tax, penalty or interest has been determined before partition but has remained unpaid or is determined after the partition.

IndiaCode

31 of 2016 (3) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, where a taxable person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, is a firm, and the firm is dissolved, then, every person who was a partner shall, jointly and severally, be liable to pay the tax, interest or penalty due from the firm under this Act upto the time of dissolution whether such tax, interest or penalty has been determined before the dissolution, but has remained unpaid or is determined after dissolution.

31 of 2016 (4) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, where a taxable person liable to pay tax,

interest or penalty under this Act,—

(a) is the guardian of a ward on whose behalf the business is carried on by the guardian; or

(b) is a trustee who carries on the business under a trust for a beneficiary,

then, if the guardianship or trust is terminated, the ward or the beneficiary shall be liable to pay the tax, interest or penalty due from the taxable person upto the time of the termination of the guardianship or trust, whether such tax, interest or penalty has been determined before the termination of guardianship or trust but has remained unpaid or is determined thereafter.

Liability in other cases.

94. (1) Where a taxable person is a firm or an association of persons or a Hindu Undivided Family and such firm, association or family has discontinued business—

(a) the tax, interest or penalty payable under this Act by such firm, association or family upto the date of such discontinuance may be determined as if no such discontinuance had taken place; and

(b) every person who, at the time of such discontinuance, was a partner of such firm, or a member of such association or family, shall, notwithstanding such discontinuance, jointly and severally, be liable for the payment of tax and interest determined and penalty imposed and payable by such firm, association or

family, whether such tax and interest has been determined or penalty imposed prior to or after such discontinuance and subject as aforesaid, the provisions of this Act shall, so far as may be, apply as if every such person or partner or member were himself a taxable person.

(2) Where a change has occurred in the constitution of a firm or an association of persons, the partners of the firm or members of association, as it existed before and as it exists after the reconstitution, shall, without prejudice to the provisions of Section 90, jointly and severally, be liable to pay tax, interest or penalty due from such firm or association for any period before its reconstitution.

Indiacode

(3) The provisions of sub-section (1) shall, so far as may be, apply where the taxable person, being a firm or association of persons is dissolved or where the taxable person, being a Hindu Undivided Family, has effected partition with respect to the business carried on by it and accordingly references in that sub-section to discontinuance shall be construed as reference to dissolution or to partition.

Explanation.—For the purposes of this Chapter,—

(i) a "Limited Liability Partnership"

formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 shall also be considered as a firm; 6of 2009.

(ii) "court" means the District Court, High Court or Supreme Court.

CHAPTER XVII
ADVANCE RULING

95. In this Chapter, unless the context otherwise requires,— **Definitions.**

(a) "**advance ruling**" means a decision provided by the Authority or the Appellate Authority to an applicant on matters or on questions specified in sub-section (2) of Section 97 or sub-section (1) of Section 100, in relation to the supply of goods or services or both being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant;

(b) "**Appellate Authority**" means the Appellate Authority for Advance Ruling constituted under Section 99;

(c) "**applicant**" means any person registered or desirous of obtaining registration under this Act;

(d) "**application**" means an application made to the Authority under sub-section (1) of Section 97;

(e) "**Authority**" means the Authority for Advance Ruling, constituted under Section 96.

Constitution of Authority for Advance Ruling.

96. (1) The Government shall, by notification, constitute an Authority to be known as the Chhattisgarh Authority for Advance Ruling:

Provided that the Government may, on the recommendation of the Council, notify any Authority located in another State to act as the Authority for the State.

(2) The Authority shall consist of-

(i) one member from amongst the officers of central tax; and

(ii) one member from amongst the officers of State tax,

to be appointed by the Central Government and the State Government respectively.

(3) The qualifications, the method of appointment of the members and the terms and conditions of their services shall be such as may be prescribed.

Application for advance ruling.

97. (1) An applicant desirous of obtaining an advance ruling under this Chapter may make

an application in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed, stating the question on which the advance ruling is sought.

(2) The question on which the advance ruling is sought under this Act, shall be in respect of, -

(a) classification of any goods or services or both;

(b) applicability of a notification issued under the provisions of this Act;

(c) determination of time and value of supply of goods or services or both;

(d) admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid;

(e) determination of the liability to pay tax on any goods or services or both;

(f) whether applicant is required to be registered;

(g) whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods or services or both amounts to or results in a supply of goods or services or both, within the meaning of that term.

98. (1) On receipt of an application, the Authority shall cause a copy thereof to be forwarded to the concerned officer and, if necessary, call upon him to furnish the relevant records: **Procedure on receipt of application.**

Provided that where any records have been called for by the Authority in any case, such records shall, as soon as possible, be returned to the said concerned officer.

(2) The Authority may, after examining the application and the records called for and after hearing the applicant or his authorised representative and the concerned officer or his authorised representative, by order, either admit or reject the application:

Provided that the Authority shall not admit the application where the question raised in the application is already pending or decided in any proceedings in the case of an applicant under any of the provisions of this Act:

Provided further that no application shall be rejected under this sub-section unless an opportunity of hearing has been given to the applicant:

Provided also that where the application is rejected, the reasons for such rejection shall be specified in the order.

(3) A copy of every order made under sub-section (2) shall be sent to the applicant and to the concerned officer.

(4) Where an application is admitted under sub-section (2), the Authority shall, after

IndiaCode

examining such further material as may be placed before it by the applicant or obtained by the Authority and after providing an opportunity of being heard to the applicant or his authorised representative as well as to the concerned officer or his authorised representative, pronounce its advance ruling on the question specified in the application.

(5) Where the members of the Authority differ on any question on which the advance ruling is sought, they shall state the point or points on which they differ and make a reference to the Appellate Authority for hearing and decision on such question.

(6) The Authority shall pronounce its advance ruling in writing within ninety days from the date of receipt of application.

(7) A copy of the advance ruling pronounced by the Authority duly signed by the members and certified in such manner as may be prescribed shall be sent to the applicant, the concerned officer and the jurisdictional officer after pronouncement.

99. The Government shall, by notific constitute an Authority to be know

Chhattisgarh Appellate Authority for Advance Ruling for Goods and Services Tax for hearing appeals against the advance ruling pronounced by the Advance Ruling Authority consisting of,- **Ruling.**

(i) the Chief Commissioner of central tax as designated by the Board; and

(ii) the Commissioner of State tax:

Provided that the Government may on recommendations of the Council, notify any Appellate Authority located in another State or Union Territory to act as the Appellate Authority for the State.

IndiaCode

Appeal to the Appellate Authority.

100. (1) The concerned officer, the jurisdictional officer or an applicant aggrieved by any advance ruling pronounced under sub-section (4) of Section 98, may appeal to the Appellate Authority.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer, the jurisdictional officer and the applicant:

Provided that the Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, allow it to be presented within a further period

not exceeding thirty days.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed.

Orders of Appellate Authority.

101. (1) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal or reference an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the ruling appealed against or referred to.

(2) The order referred to in sub-section (1) shall be passed within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under Section 100 or a reference under sub-section (5) of Section 98.

(3) Where the members of the Appellate Authority differ on any point or points referred to in appeal or reference, it shall be deemed that no advance ruling can be issued in respect of the question under the appeal or reference.

(4) A copy of the advance ruling pronounced by the Appellate Authority duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed shall be sent to the applicant, the concerned

IndiaCode

officer, the jurisdictional officer and to the Authority after such pronouncement.

Rectification of advance ruling.

102. The Authority or the Appellate Authority may amend any order passed by it under Section 98 or Section 101, so as to rectify any error apparent on the face of the record, if such error is noticed by the Authority or the Appellate Authority on its own accord, or is brought to its notice by the concerned officer, the jurisdictional officer, or the applicant or the appellant within a period of six months from the date of the order:

Provided that no rectification which has the effect of enhancing the tax liability or reducing the amount of admissible input tax credit shall be made unless the applicant or the appellant has been given an opportunity of being heard.

indiacode

Applicability of advance ruling.

103. (1) The advance ruling pronounced by the Authority or the Appellate Authority under this Chapter shall be binding only -

(a) on the applicant who had sought it in respect of any matter referred to in sub-section (2) of Section 97 for advance ruling;

(b) on the concerned officer or the jurisdictional officer in respect of the applicant.

(2) The advance ruling referred to in sub-section (1) shall be binding unless the law, facts or circumstances supporting the original advance ruling have changed.

Advance ruling to be void in certain circumstances.

104. (1) Where the Authority or the Appellate Authority finds that advance ruling pronounced by it under sub-section (4) of Section 98 or under sub-section (1) of Section 101 has been obtained by the applicant or the appellant by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts, it may, by order, declare such ruling to be void *ab-initio* and thereupon all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply to the applicant or the appellant as if such advance ruling had never been made:

Provided that no order shall be passed under this sub-section unless an opportunity of being heard has been given to the applicant or the appellant.

Explanation.—The period beginning with the date of such advance ruling and ending with the date of order under this sub-section shall be excluded while computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of Section 73 or sub-sections (2) and (10) of Section 74.

(2) A copy of the order made under sub-section (1) shall be sent to the applicant, the

concerned officer and the jurisdictional officer.

Powers of Authority and Appellate Authority.

105. (1) The Authority or the Appellate Authority shall, for the purpose of exercising its powers regarding –

(a) discovery and inspection;

(b) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(c) issuing commissions and compelling production of books of account and other records,

have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908.

5 of 1908.

(2) The Authority or the Appellate Authority shall be deemed to be a civil court for the purposes of Section 195, but not for the purposes of Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973, and every proceeding before the Authority or the Appellate Authority shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228, and for the purpose of Section 196 of the Indian Penal Code.

2 of 1974.

45 of 1860.

Procedure of Authority and Appellate Authority.

106. The Authority or the Appellate Authority shall, subject to the provisions of this Chapter, have power to regulate its own procedure.

IndiaCode

CHAPTER–XVIII

APPEALS AND REVISION

Appeals to Appellate Authority.

107. (1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act by an adjudicating authority may appeal to such Appellate Authority as may be prescribed within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.

(2) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any proceeding in which an adjudicating authority has passed any decision or order under this Act or the Central Goods and Services Tax Act, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said decision or order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Authority within six months from the date of communication of the said decision or order for the determination of such points arising out of the said decision or order as may be specified by the Commissioner in his order.

IndiaCode

(3) Where, in pursuance of an order under sub-section (2), the authorised officer makes an application to the Appellate Authority, such application shall be dealt with by the Appellate Authority as if it were an appeal made against the decision or order of the adjudicating authority and such authorised officer were an appellant and the provisions of this Act relating to appeals shall apply to such application.

(4) The Appellate Authority may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months or six months, as the case may be, allow it to be presented within a further period of one month.

(5) Every appeal under this section shall be in such form and shall be verified in such manner as may be prescribed.

(6) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid–

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and

(b) a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, in relation to which the

appeal has been filed.

(7) Where the appellant has paid the amount under sub-section (6), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed.

(8) The Appellate Authority shall give an opportunity to the appellant of being heard.

(9) The Appellate Authority may, if sufficient cause is shown at any stage of hearing of an appeal, grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such adjournment shall be granted more than three times to a party during hearing of the appeal.

(10) The Appellate Authority may, at the time of hearing of an appeal, allow an appellant to add any ground of appeal not specified in the grounds of appeal, if it is satisfied that the omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.

(11) The Appellate Authority shall, after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as it thinks just

IndiaCode

and proper, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against but shall not refer the case back to the adjudicating authority that passed the said decision or order:

Provided that an order enhancing any fee or penalty or fine in lieu of confiscation or confiscating goods of greater value or reducing the amount of refund or input tax credit shall not be passed unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order:

Provided further that where the Appellate Authority is of the opinion that any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, no order requiring the appellant to pay such tax or input tax credit shall be passed unless the appellant is given notice to show cause against the proposed order and the order is passed within the time limit specified under Section 73 or Section 74.

(12) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for such decision.

(13) The Appellate Authority shall, where it is possible to do so, hear and decide every appeal within a period of one year from the date on which it is filed:

Provided that where the issuance of order is stayed by an order of a court or Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of one year.

(14) On disposal of the appeal, the Appellate Authority shall communicate the order passed by it to the appellant, respondent and to the adjudicating authority.

(15) A copy of the order passed by the Appellate Authority shall also be sent to the Commissioner or the authority designated by him in this behalf and the jurisdictional Commissioner of central tax or an authority designated by him in this behalf.

(16) Every order passed under this section shall, subject to the provisions of Section 108 or Section 113 or Section 117 or Section 118 be final and binding on the parties.

Powers of Revisional Authority.

108. (1) Subject to the provisions of Section 121 and any rules made thereunder, the Revisional Authority may, on his own

motion, or upon information received by him or on request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any proceedings, and if he considers that any decision or order passed under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act by any officer subordinate to him is erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of revenue and is illegal or improper or has not taken into account certain material facts, whether available at the time of issuance of the said order or not or in consequence of an observation by the Comptroller and Auditor General of India, he may, if necessary, stay the operation of such decision or order for such period as he deems fit and after giving the person concerned an opportunity of being heard and after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as he thinks just and proper, including enhancing or modifying or annulling the said decision or order.

(2) The Revisional Authority shall not exercise any power under sub-section (1), if—

(a) the order has been subject to an appeal under Section 107 or Section 112 or Section 117 or Section 118; or

(b) the period specified under sub-section (2) of Section 107 has not yet expired or more

IndiaCode

than three years have expired after the passing of the decision or order sought to be revised; or

(c) the order has already been taken for revision under this section at an earlier stage; or

(d) the order has been passed in exercise of the powers under sub-section (1):

Provided that the Revisional Authority may pass an order under sub-section (1) on any point which has not been raised and decided in an appeal referred to in clause (a) of sub-section (2), before the expiry of a period of one year from the date of the order in such appeal or before the expiry of a period of three years referred to in clause (b) of that sub-section, whichever is later.

(3) Every order passed in revision under sub-section (1) shall, subject to the provisions of Section 113 or Section 117 or Section 118, be final and binding on the parties.

(4) If the said decision or order involves an issue on which the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision in some other proceedings and an appeal to the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the

period spent between the date of the decision of the Appellate Tribunal and the date of the decision of the High Court or the date of the decision of the High Court and the date of the decision of the Supreme Court shall be excluded in computing the period of limitation referred to in clause (b) of sub-section (2) where proceedings for revision have been initiated by way of issue of a notice under this section.

(5) Where the issuance of an order under sub-section (1) is stayed by the order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of limitation referred to in clause (b) of sub-section (2).

IndiaCode

(6) For the purposes of this section, the term,–

(i) "record" shall include all records relating to any proceedings under this Act available at the time of examination by the Revisional Authority;

(ii) "decision" shall include intimation given by any officer lower in rank than the Revisional Authority.

Appellate Tribunal and Benches thereof.

09. (1) Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and

Services Tax Act shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

(2) The constitution and jurisdiction of the State Bench and the Area Benches located in the State shall be in accordance with the provisions of Section 109 of the Central Goods and Services Tax Act or the rules made thereunder.

IndiaCode

President and Members of Appellate Tribunal, their qualification, appointment, conditions of service, etc.

110. The qualifications, appointment, salary and allowances, terms of office, resignation and removal of the President and Members of the State Bench and Area Benches shall be in accordance with the provisions of Section 110 of the Central Goods and Services Tax Act.

Procedure before Appellate Tribunal.

111. (1) The Appellate Tribunal shall not, while disposing of any proceedings before it or an appeal before it, be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908, but shall be guided by the principles of natural justice and subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Appellate Tribunal shall have power to regulate its own procedure.

5 of 1908.

(2) The Appellate Tribunal shall, for the purposes of discharging its functions under
5 of 1908. this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) subject to the provisions of Sections
1 of 1872. 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, requisitioning any public record or document or a copy of such record or document from any office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(f) dismissing a representation for default or deciding it *ex parte*;

(g) setting aside any order of dismissal of any representation for default or any order passed by it *ex parte*; and

(h) any other matter which may be prescribed.

(3) Any order made by the Appellate Tribunal may be enforced by it in the same manner as if it were a decree made by a court in a suit pending therein, and it shall

IndiaCode

be lawful for the Appellate Tribunal to send for execution of its orders to the court within the local limits of whose jurisdiction,—

(a) in the case of an order against a company, the registered office of the company is situated; or

(b) in the case of an order against any other person, the person concerned voluntarily resides or carries on business or personally works for gain.

(4) All proceedings before the Appellate Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228, and for the purposes of Section 196 of the Indian Penal Code, and
45 of 1860. the Appellate Tribunal shall be deemed to be civil court for the purposes of Section 195 and Chapter XXVI of the Code of
2 of 1974. Criminal Procedure, 1973.

Appeals to Appellate Tribunal.

112. (1) Any person aggrieved by an order passed against him under Section 107 or Section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is

IndiaCode

communicated to the person preferring the appeal.

(2) The Appellate Tribunal may, in its discretion, refuse to admit any such appeal where the tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined by such order, does not exceed fifty thousand rupees.

(3) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order.

(4) Where in pursuance of an order under sub-section (3) the authorised officer makes an application to the Appellate Tribunal,

such application shall be dealt with by the Appellate Tribunal as if it were an appeal made against the order under sub-section (11) of Section 107 or under sub-section (1) of Section 108 and the provisions of this Act shall apply to such application, as they apply in relation to appeals filed under sub-section (1).

(5) On receipt of notice that an appeal has been preferred under this section, the party against whom the appeal has been preferred may, notwithstanding that he may not have appealed against such order or any part thereof, file, within forty-five days of the receipt of notice, a memorandum of cross-objections, verified in the prescribed manner, against any part of the order appealed against and such memorandum shall be disposed of by the Appellate Tribunal, as if it were an appeal presented within the time specified in sub-section (1).

(6) The Appellate Tribunal may admit an appeal within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (1), or permit the filing of a memorandum of cross-objections within forty-five days after the expiry of the period referred to in sub-section (5), if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within

IndiaCode

that period.

(7) An appeal to the Appellate Tribunal shall be in such form, verified in such manner and shall be accompanied by such fee, as may be prescribed.

(8) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid—

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him, and

(b) a sum equal to twenty per cent. of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under sub-section (6) of the Section 107, arising from the said order, in relation to which the appeal has been filed.

(9) Where the appellant has paid the amount as per sub-section (8), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed till the disposal of the appeal.

(10) Every application made before the Appellate Tribunal, —

(a) in an appeal for rectification of error or for any other purpose; or

(b) for restoration of an appeal or an application,

shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

IndiaCode

Orders of Appellate Tribunal.

113. (1) The Appellate Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against or may refer the case back to the Appellate Authority, or the Revisional Authority or to the original adjudicating authority, with such directions as it may think fit, for a fresh adjudication or decision after taking additional evidence, if necessary.

(2) The Appellate Tribunal may, if sufficient cause is shown, at any stage of hearing of an appeal, grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such adjournment shall be granted more than three times to a party during hearing of the appeal.

(3) The Appellate Tribunal may amend any order passed by it under sub-section (1) so as to rectify any error apparent on the face of the record, if such error is noticed by it on its own accord, or is brought to its notice by the Commissioner or the Commissioner of central tax or the other party to the appeal within a period of three months from the date of the order:

IndiaCode

Provided that no amendment which has the effect of enhancing an assessment or reducing a refund or input tax credit or otherwise increasing the liability of the other party, shall be made under this sub-section, unless the party has been given an opportunity of being heard.

(4) The Appellate Tribunal shall, as far as possible, hear and decide every appeal within a period of one year from the date on which it is filed.

(5) The Appellate Tribunal shall send a copy of every order passed under this section to the Appellate Authority or the Revisional Authority, or the original adjudicating authority, as the case may be, the appellant and the Commissioner or the jurisdictional Commissioner of central tax.

(6) Save as provided in Section 117 or Section 118, orders passed by the Appellate Tribunal on an appeal shall be final and binding on the parties.

Financial and administrative powers of State President.

114. The State President shall exercise such financial and administrative powers over the State Bench and Area Benches of the Appellate Tribunal in a State, as may be prescribed:

IndiaCode

Provided that the State President shall have the authority to delegate such of his financial and administrative powers as he may think fit to any other Member or any officer of the State Bench or Area Benches, subject to the condition that such Member or officer shall, while exercising such delegated powers, continue to act under the direction, control and supervision of the State President.

Interest on refund of amount paid for admission of appeal.

115. Where an amount paid by the appellant under sub-section (6) of Section 107 or sub-section (8) of Section 112 is required to be refunded consequent to any order of the Appellate Authority or of the Appellate Tribunal, interest at the rate specified under Section 56 shall be payable in respect of such refund from the date of payment of the amount till the date of refund of such amount.

Appearance by authorised representative.

116. (1) Any person who is entitled or required to appear before an officer appointed under this Act, or the Appellate Authority or the Appellate Tribunal in connection with any proceedings under this Act, may, otherwise than when required under this Act to appear personally for examination on oath or affirmation, subject to the other provisions of this section, appear by an authorised representative.

IndiaCode

(2) For the purposes of this Act, the expression "authorised representative" shall mean a person authorised by the person referred to in sub-section (1) to appear on his behalf, being —

(a) his relative or regular employee; or

(b) an advocate who is entitled to practice in any court in India, and who has not been debarred from practicing before any court in India; or

(c) any chartered accountant, a cost accountant or a company secretary, who holds a certificate of practice and who has not been debarred from practice; or

(d) a retired officer of the Commercial Tax Department of any State Government or Union territory or of the Board who, during his service under the Government, had worked in a post not below the rank than that of a Group-B Gazetted officer for a period of not less than two years:

Provided that such officer shall not be entitled to appear before any proceedings under this Act for a period of one year from the date of his retirement or resignation; or

(e) any person who has been authorised to act as a goods and services tax practitioner on behalf of the concerned registered person.

(3) No person, —

(a) who has been dismissed or removed

IndiaCode

from Government service; or

(b) who is convicted of an offence connected with any proceedings under this Act, the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, or under the existing law or under any of the Acts passed by a State Legislature dealing with the imposition of taxes on sale of goods or supply of goods or services or both; or

(c) who is found guilty of misconduct by the prescribed authority;

(d) who has been adjudged as an insolvent,

shall be qualified to represent any person under sub-section (1)—

(i) for all times in case of persons referred to in clauses (a),(b) and (c); and

(ii) for the period during which the insolvency continues in the case of a person referred to in clause (d).

(4) Any person who has been disqualified under the provisions of the Central Goods and Services Tax Act or the Goods and Services Tax Act of any other State or the Union Territory Goods and Services Tax Act shall be deemed to be disqualified under this Act.

IndiaCode

117. (1) Any person aggrieved by any order passed by the State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal may file an appeal to the High Court and the High Court may admit such appeal, if it is satisfied that the case involves a substantial question of law. **Appeal to High Court.**

(2) An appeal under sub-section (1) shall be filed within a period of one hundred and eighty days from the date on which the order appealed against is received by the aggrieved person and it shall be in such form, verified in such manner as may be prescribed:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within such period.

(3) Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question and the appeal shall be heard only on the question so formulated, and the respondents shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question:

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear, for

IndiaCode

reasons to be recorded, the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question.

(4) The High Court shall decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded and may award such cost as it deems fit.

(5) The High Court may determine any issue which–

(a) has not been determined by the State Bench or Area Benches; or

(b) has been wrongly determined by the State Bench or Area Benches, by reason of a decision on such question of law as herein referred to in sub-section (3).

(6) Where an appeal has been filed before the High Court, it shall be heard by a Bench of not less than two Judges of the High Court, and shall be decided in accordance with the opinion of such Judges or of the majority, if any, of such Judges.

(7) Where there is no such majority, the Judges shall state the point of law upon which they differ and the case shall, then,

IndiaCode

be heard upon that point only, by one or more of the other Judges of the High Court and such point shall be decided according to the opinion of the majority of the Judges who have heard the case including those who first heard it.

(8) Where the High Court delivers a judgment in an appeal filed before it under this section, effect shall be given to such judgment by either side on the basis of a certified copy of the judgment.

(9) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, relating to appeals to the High Court shall, as far as may be, apply in the case of appeals under this section. 5 of 1908

IndiaCode

118. (1) An appeal shall lie to the Supreme Court- **Appeal to Supreme Court.**

(a) from any order passed by the National Bench or Regional Benches of the Appellate Tribunal; or

(b) from any judgment or order passed by the High Court in an appeal made under Section 117 in any case which, on its own motion or on an application made by or on behalf of the party aggrieved, immediately after passing of the judgment or order, the High

Court certifies to be a fit one for appeal to the Supreme Court.

5 of 1908 (2) The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, relating to appeals to the Supreme Court shall, so far as may be, apply in the case of appeals under this section as they apply in the case of appeals from decrees of a High Court.

(3) Where the judgment of the High Court is varied or reversed in the appeal, effect shall be given to the order of the Supreme Court in the manner provided in Section 117 in the case of a judgment of the High Court.

IndiaCode

Sums due to be paid notwithstanding appeal etc.

119. Notwithstanding that an appeal has been preferred to the High Court or the Supreme Court, sums due to the Government as a result of an order passed by the National or Regional Benches of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of Section 113 or an order passed by the State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of Section 113 or an order passed by the High Court under Section 117, as the case may be, shall be payable in accordance with the order so passed.

Appeal not to be filed in

120. (1) The Commissioner may, on the

recommendations of the Council, from time to time, issue orders or instructions or directions fixing such monetary limits, as he may deem fit, for the purposes of regulating the filing of appeal or application by the officer of the State tax under the provisions of this Chapter.

(2) Where, in pursuance of the orders or instructions or directions issued under sub-section (1), the officer of the State tax has not filed an appeal or application against any decision or order passed under the provisions of this Act, it shall not preclude such officer of the State tax from filing appeal or application in any other case involving the same or similar issues or questions of law.

(3) Notwithstanding the fact that no appeal or application has been filed by the officer of the State tax pursuant to the orders or instructions or directions issued under sub-section (1), no person, being a party in appeal or application shall contend that the officer of the State tax has acquiesced in the decision on the disputed issue by not filing an appeal or application.

(4) The Appellate Tribunal or court hearing such appeal or application shall have regard to the circumstances under which appeal or

IndiaCode

application was not filed by the officer of the State tax in pursuance of the orders or instructions or directions issued under sub-section (1).

Non appealable decisions and orders.

121. Notwithstanding anything to the contrary in any provisions of this Act, no appeal shall lie against any decision taken or order passed by an officer of State tax if such decision taken or order passed relates to any one or more of the following matters, namely:–

(a) an order of the Commissioner or other authority empowered to direct transfer of proceedings from one officer to another officer; or

(b) an order pertaining to the seizure or retention of books of account, register and other documents; or

(c) an order sanctioning prosecution under this Act; or

(d) an order passed under Section 80.

CHAPTER XIX
OFFENCES AND PENALTIES

Penalty for certain offences.

122. (1) Where a taxable person who—

(i) supplies any goods or services or both without issue of any invoice or issues an incorrect or false invoice with regard to any such supply;

(ii) issues any invoice or bill without

IndiaCode

supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(iii) collects any amount as tax but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;

(iv) collects any tax in contravention of the provisions of this Act but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;

(v) fails to deduct the tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 51, or deducts an amount which is less than the amount required to be deducted under the said sub-section, or where he fails to pay to the Government under sub-section (2) thereof, the amount deducted as tax;

(vi) fails to collect tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 52, or collects an amount which is less than the amount required to be collected under the said sub-section or where he fails to pay to the Government the amount collected as tax under sub-section (3) of Section 52;

(vii) takes or utilises input tax credit without actual receipt of goods or

services or both either fully or partially, in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(viii) fraudulently obtains refund of tax under this Act;

(ix) takes or distributes input tax credit in contravention of Section 20, or the rules made thereunder;

(x) falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax due under this Act;

(xi) is liable to be registered under this Act but fails to obtain registration;

(xii) furnishes any false information with regard to registration particulars, either at the time of applying for registration, or subsequently;

(xiii) obstructs or prevents any officer in discharge of his duties under this Act;

(xiv) transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified in this behalf;

(xv) suppresses his turnover leading to evasion of tax under this Act;

(xvi) fails to keep, maintain or retain books of account and other documents in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(xvii) fails to furnish information or

IndiaCode

documents called for by an officer in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder or furnishes false information or documents during any proceedings under this Act;

(xviii) supplies, transports or stores any goods which he has reasons to believe are liable to confiscation under this Act;

(xix) issues any invoice or document by using the registration number of another registered person;

(xx) tampers with, or destroys any material evidence or documents;

(xxi) disposes off or tampers with any goods that have been detained, seized, or attached under this Act,

he shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees or an amount equivalent to the tax evaded or the tax not deducted under Section 51 or short deducted or deducted but not paid to the Government or tax not collected under Section 52 or short collected or collected but not paid to the Government or input tax credit availed of or passed on or distributed irregularly, or the refund claimed fraudulently, whichever is higher.

(2) Any registered person who supplies any goods or services or both on which any tax has not been paid or short-paid or

IndiaCode

erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized,-

(a) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty of ten thousand rupees or ten per cent. of the tax due from such person, whichever is higher;

(b) for reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty equal to ten thousand rupees or the tax due from such person, whichever is higher.

IndiaCode

(3) Any person who—

(a) aids or abets any of the offences specified in clauses (i) to (xxi) of sub-section (1);

(b) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, or purchasing or in any other manner deals with any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made thereunder;

(c) receives or is in any way

concerned with the supply of, or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;

(d) fails to appear before the officer of State tax, when issued with a summon for appearance to give evidence or produce a document in an inquiry;

(e) fails to issue invoice in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder or fails to account for an invoice in his books of account,

shall be liable to a penalty which may extend to twenty five thousand rupees.

Penalty for failure to furnish information return.

123. If a person who is required to furnish an information return under Section 150 fails to do so within the period specified in the notice issued under sub-section (3) thereof, the proper officer may direct, that such person shall be liable to pay a penalty of one hundred rupees for each day of the period during which the failure to furnish such return continues:

Provided that the penalty imposed under this section shall not exceed five thousand rupees.

297

Fine for failure to furnish statistics.

124. If any person required to furnish any information or return under Section 151,—

(a) without reasonable cause fails to furnish such information or return as may be required under that section, or

(b) wilfully furnishes or causes to furnish any information or return which he knows to be false,

he shall be punishable with a fine which may extend to ten thousand rupees and in case of a continuing offence to a further fine which may extend to one hundred rupees for each day after the first day during which the offence continues subject to a maximum limit of twenty five thousand rupees.

IndiaCode

General penalty.

125. Any person, who contravenes any of the provisions of this Act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided for in this Act, shall be liable to a penalty which may extend to twenty five thousand rupees.

General disciplines related to penalty.

126. (1) No officer under this Act shall impose any penalty for minor breaches of tax regulations or procedural requirements and in particular, any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence.

Explanation.—For the purpose of this sub-section,—

(a) a breach shall be considered a 'minor breach' if the amount of tax involved is less than five thousand rupees;

(b) an omission or mistake in documentation shall be considered to be easily rectifiable if the same is an error apparent on the face of record.

(2) The penalty imposed under this Act shall depend on the facts and circumstances of each case and shall commensurate with the degree and severity of the breach.

(3) No penalty shall be imposed on any person without giving him an opportunity of being heard.

(4) The officer under this Act shall while imposing penalty in an order for a breach of any law, regulation or procedural requirement, specify the nature of the breach and the applicable law, regulation or procedure under which the amount of penalty for the breach has been specified.

(5) When a person voluntarily discloses to an officer under this Act the circumstances of a breach of the tax law, regulation or procedural requirement prior to the

IndiaCode

discovery of the breach by the officer under this Act, the proper officer may consider this fact as a mitigating factor when quantifying a penalty for that person.

(6) The provisions of this shall not apply in such cases where the penalty specified under this Act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage.

Power to impose penalty in certain cases.

127. Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under Section 62 or Section 63 or Section 64 or Section 73 or Section 74 or Section 129 or Section 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person.

Power to waive penalty or fee or both.

128. The Government may, by notification, waive in part or full, any penalty referred to in Section 122 or Section 123 or Section 125 or any late fee referred to in Section 47 for such class of taxpayers and under such mitigating circumstances as may be specified therein on the recommendations of the Council.

Detention, seizure and release of goods and conveyances in transit.

129. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person transports any goods or stores any goods while they are in

transit in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, all such goods and conveyance used as a means of transport for carrying the said goods and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure and after detention or seizure, shall be released,—

(a) on payment of the applicable tax and penalty equal to one hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such tax and penalty;

(b) on payment of the applicable tax and penalty equal to the fifty per cent. of the value of the goods reduced by the tax amount paid thereon and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such tax and penalty;

(c) upon furnishing a security equivalent to the amount payable under clause (a) or clause (b)in such form and manner as may be prescribed:

IndiaCode

Provided that no such goods or conveyance shall be detained or seized without serving an order of detention or seizure on the person transporting the goods.

(2) The provisions of sub-section (6) of Section 67 shall, *mutatis mutandis*, apply for detention and seizure of goods and conveyances.

(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyances shall issue a notice specifying the tax and penalty payable and thereafter, pass an order for payment of tax and penalty under clause (a) or clause (b) or clause (c).

IndiaCode

(4) No tax, interest or penalty shall be determined under sub-section (3) without giving the person concerned an opportunity of being heard.

(5) On payment of amount referred in sub-section (1), all proceedings in respect of the notice specified in sub-section (3) shall be deemed to be concluded.

(6) Where the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of tax and penalty as provided in sub-section (1) within seven days of such detention or seizure, further proceedings shall be initiated in accordance with the provisions of Section 130:

Provided that where the

detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of seven days may be reduced by the proper officer.

Confiscation of goods or conveyances and levy of penalty.

130. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if any person –

(i) supplies or receives any goods in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or
(ii) does not account for any goods on which he is liable to pay tax under this Act; or
(iii) supplies any goods liable to tax under this Act without having applied for registration; or
(iv) contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or

(v) uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder unless the owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the

IndiaCode

person in charge of the conveyance,

then, all such goods or conveyances shall be liable to confiscation and the person shall be liable to penalty under Section 122.

(2) Whenever confiscation of any goods or conveyance is authorised by this Act, the officer adjudging it shall give to the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation, such fine as the said officer thinks fit:

Provided that such fine leviable shall not exceed the market value of the goods confiscated, less the tax chargeable thereon:

Provided further that the aggregate of such fine and penalty leviable shall not be less than the amount of penalty leviable under sub-section (1) of Section 129:

Provided also that where any such conveyance is used for the carriage of the goods or passengers for hire, the owner of the conveyance shall be given an option to pay in lieu of the confiscation of the conveyance a fine equal to the tax payable on the goods being transported thereon.

(3) Where any fine in lieu of confiscation of goods or conveyance is imposed under sub-section (2), the owner of such goods or conveyance or the person referred to in sub-section (1), shall, in addition, be liable to any

IndiaCode

tax, penalty and charges payable in respect of such goods or conveyance.

(4) No order for confiscation of goods or conveyance or for imposition of penalty shall be issued without giving the person an opportunity of being heard.

(5) Where any goods or conveyance are confiscated under this Act, the title of such goods or conveyance shall thereupon vest in the Government.

(6) The proper officer adjudging confiscation shall take and hold possession of the things confiscated and every officer of Police, on the requisition of such proper officer, shall assist him in taking and holding such possession.

(7) The proper officer may, after satisfying himself that the confiscated goods or conveyance are not required in any other proceedings under this Act and after giving reasonable time not exceeding three months to pay fine in lieu of confiscation, dispose of such goods or conveyance and deposit the sale proceeds thereof with the Government.

Confiscation or penalty not to interfere with other punishments.

131. Without prejudice to the provisions contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, no confiscation made or penalty

2 of 1974.

imposed under the provisions of this Act or the rules made thereunder shall prevent the infliction of any other punishment to which the person affected thereby is liable under the provisions of this Act or under any other law for the time being in force.

Punishment for certain offences.

132. (1) Whoever commits any of the following offences, namely:—

(a) supplies any goods or services or both without issue of any invoice, in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder, with the intention to evade tax;

(b) issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder leading to wrongful availment or utilisation of input tax credit or refund of tax;

(c) avails input tax credit using such invoice or bill referred to in clause (b);

(d) collects any amount as tax but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;

(e) evades tax, fraudulently avails input tax credit or fraudulently obtains refund and where such offence is not covered under clauses (a) to (d);

IndiaCode

(f) falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information with an intention to evade payment of tax due under this Act;

(g) obstructs or prevents any officer in the discharge of his duties under this Act;

(h) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, purchasing or in any other manner deals with, any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made thereunder;

(i) receives or is in any way concerned with the supply of, or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;

(j) tampers with or destroys any material evidence or documents;

(k) fails to supply any information which he is required to supply under this Act or the rules made thereunder or (unless with a reasonable belief, the burden of proving which shall be upon him, that the information supplied by him is true)

IndiaCode

supplies false information; or

(l) attempts to commit, or abets the commission of any of the offences mentioned in clauses (a) to (k) of this section,

shall be punishable—

(i) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine;

(ii) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds two hundred lakh rupees but does not exceed five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine;

(iii) in the case of any other offence where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;

(iv) in cases where he commits or abets the commission of an offence specified in clause (f) or clause (g) or clause (j), he shall be punishable with imprisonment for a term

which may extend to six months or with fine or with both.

(2) Where any person convicted of an offence under this section is again convicted of an offence under this section, then, he shall be punishable for the second and for every subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine.

(3) The imprisonment referred to in clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (1) and sub-section (2) shall, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Court, be for a term not less than six months.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all offences under this Act, except the offences referred to in sub-section (5) shall be non-cognizable and bailable.

(5) The offences specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) and punishable under clause (i) of that sub-section shall be cognizable and non-bailable.

IndiaCode

(6) A person shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Commissioner.

Explanation.- For the purposes of this section, the term "tax" shall include the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or refund wrongly taken under the provisions of this Act, the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and cess levied under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act.

IndiaCode

Liability of officers and certain other persons.

133.(1) Where any person engaged in connection with the collection of statistics under Section 151 or compilation or computerisation thereof or if any officer of State tax having access to information specified under sub-section (1) of Section 150, or if any person engaged in connection with the provision of service on the common portal or the agent of common portal, wilfully discloses any information or the contents of any return furnished under this Act or rules made thereunder otherwise than in execution of his duties under the said sections or for the purposes of prosecution for an offence under this Act or under any other Act for the time being in force, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine

which may extend to twenty five thousand rupees, or with both.

(2) Any person –

(a) who is a Government servant shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Government;

(b) who is not a Government servant shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Commissioner.

IndiaCode

134. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or the rules made thereunder except with the previous sanction of the Commissioner, and no court inferior to that of a Magistrate of the First Class, shall try any such offence.

Cognizance of offences.

135. In any prosecution for an offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defence for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

Presumption of culpable mental state.

Explanation.—For the purposes of this section,–

(i) the expression "culpable mental state" includes intention, motive, knowledge of a fact, and belief in, or reason to believe, a fact;

(ii) a fact is said to be proved only when the court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability.

Relevancy of statements under certain circumstances.

136. A statement made and signed by a person on appearance in response to any summons issued under Section 70 during the course of any inquiry or proceedings under this Act shall be relevant, for the purpose of proving, in any prosecution for an offence under this Act, the truth of the facts which it contains,—

(a) when the person who made the statement is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or whose presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the court considers unreasonable; or

(b) when the person who made the statement is examined as a witness in the case before the court and the court is of the opinion that, having regard to the circumstances of the case, the statement should be admitted in evidence in the interest of justice.

IndiaCode

137. (1) Where an offence committed by a person under this Act is a company, every person who, at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Offences by Companies.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(3) Where an offence under this Act has been committed by a taxable person being a partnership firm or a Limited Liability Partnership or a Hindu Undivided Family or a trust, the partner or *karta* or managing trustee shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly and the

Indiacode

provisions of sub-section (2) shall *mutatis mutandis* apply to such persons.

(4) Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Explanation.—For the purposes of this section,–

(i) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(ii) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Compounding of offences.

138. (1) Any offence under this Act may, either before or after the institution of prosecution, be compounded by the Commissioner on payment, by the person accused of the offence, to the Central Government or the State Government, as the case may be, of such compounding amount in such manner as may be prescribed: 2 of 1974.

Provided that nothing contained in this section shall apply to –

(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the

offences specified in clauses(a) to (f) of sub-section (1) of Section 132 and the offences specified in clause (l) which are relatable to offences specified in clauses (a) to (f) of the said sub-section;

(b) a person who has been allowed to compound once in respect of any offence, other than those in clause (a), under this Act or under the provisions of any State Goods and Services Tax Act or the Central Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act in respect of supplies of value exceeding one crore rupees;

(c) a person who has been accused of committing an offence under this Act which is also an offence under any other law for the time being in force;

(d) a person who has been convicted for an offence under this Act by a court;

(e) a person who has been accused of committing an offence specified in clause (g) or clause (j) or clause (k) of sub-section (1) of Section 132; and

(f) any other class of persons or offences as may be prescribed:

Provided further that any compounding allowed under the provisions of this section shall not affect the proceedings, if any, instituted under any other law:

Provided also that compounding shall be allowed only after making payment of tax, interest and penalty involved in such offences.

(2) The amount for compounding of offences under this section shall be such as may be prescribed, subject to the minimum amount not being less than ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher.

(3) On payment of such compounding amount as may be determined by the Commissioner, no further proceedings shall be initiated under this Act against the accused person in respect of the same offence and any criminal proceedings, if already initiated in respect of the said offence, shall stand abated.

CHAPTER XX
TRANSITIONAL PROVISIONS

Migration of existing taxpayers.

139. (1) On and from the appointed day, every person registered under any of the existing laws and having a valid Permanent Account Number shall be issued a certificate of registration on provisional basis, subject to

such conditions and in such form and manner as may be prescribed, which unless replaced by a final certificate of registration under sub-section (2), shall be liable to be cancelled if the conditions so prescribed are not complied with.

(2) The final certificate of registration shall be granted in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) The certificate of registration issued to a person under sub-section (1) shall be deemed to have not been issued if the said registration is cancelled in pursuance of an application filed by such person that he was not liable to registration under Section 22 or Section 24.

IndiaCode

Transitional arrangements for input tax credit.

140. (1) A registered person, other than a person opting to pay tax under Section 10, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the amount of Value Added Tax, if any, carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day, furnished by him under the existing law in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit in

the following circumstances, namely: –

(i) where the said amount of credit is not admissible as input tax credit under this Act; or

(ii) where he has not furnished all the returns required under the existing law for the period of six months immediately preceding the appointed date; or

Provided further that so much of the said credit as is attributable to any claim related to Section 3, sub-section (3) of Section 5, Section 6, Section 6A or sub-section (8) of

74 of 1956 Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 which is not substantiated in the manner, and within the period, prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 shall not be eligible to be credited to the electronic credit ledger:

Provided also that an amount equivalent to the credit specified in the second proviso shall be refunded under the existing law when the said claims are substantiated in the manner prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957.

(2) A registered person, other than a person opting to pay tax under Section 10, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the unavailed input tax credit in respect of capital goods, not

carried forward in a return, furnished under the existing law by him, for the period ending with the day immediately preceding the appointed day in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit unless the said credit was admissible as input tax credit under the existing law and is also admissible as input tax credit under this Act.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "unavailed input tax credit" means the amount that remains after subtracting the amount of input tax credit already availed in respect of capital goods by the taxable person under the existing law from the aggregate amount of input tax credit to which the said person was entitled in respect of the said capital goods under the existing law.

(3) A registered person, who was not liable to be registered under the existing law or who was engaged in the sale of exempted goods or tax free goods, by whatever name called, or goods which have suffered tax at the first point of their sale in the State and the subsequent sales of which are not subject to tax in the State under the existing law but which are liable to tax under this Act or where the person was entitled to the

indiacode

credit of input tax at the time of sale of goods, if any, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the value added tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions namely:—

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;

(ii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;

(iii) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of ***tax*** under the existing law in respect of such inputs; and

(iv) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day:

Provided that where a registered person, other than a manufacturer or a supplier of services, is not in possession of an invoice or any other documents evidencing payment of tax in respect of inputs, then, such registered person shall, subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed, including that the said taxable person shall pass on the benefit of such credit by way of reduced prices to the recipient, be

allowed to take credit at such rate and in such manner as may be prescribed.

(4) A registered person, who was engaged in the sale of taxable goods as well as exempted goods or tax free goods, by whatever name called, under the existing law but which are liable to tax under this Act, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger,-

(a) the amount of credit of the value added tax, if any, carried forward in a return furnished under the existing law by him in accordance with the provisions of sub-section (1); and

(b) the amount of credit of the value added tax, if any, in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day, relating to such exempted goods or tax free goods, by whatever name called, in accordance with the provisions of sub-section (3).

(5) A registered person shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax, if any, in respect of inputs received on or after the appointed day but the tax in respect of which has been paid by the supplier under the existing law, subject to the condition that the invoice or any other tax paying document of the same

was recorded in the books of account of such person within a period of thirty days from the appointed day:

Provided that the period of thirty days may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding thirty days:

Provided further that the said registered person shall furnish a statement, in such manner as may be prescribed, in respect of credit that has been taken under this sub-section.

IndiaCode

(6) A registered person, who was either paying tax at a fixed rate or paying a fixed amount in lieu of the tax payable under the existing law shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions, namely:–

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;

(ii) the said registered person is not paying tax under Section 10;

(iii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;

(iv) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of tax under the existing law in respect of inputs; and

(v) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day.

(7) The amount of credit under sub-sections (3), (4) and (6) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

Transitional provisions relating to job work.

141. (1)Where any inputs received at a place of business had been despatched as such or despatched after being partially processed to a job worker for further processing, testing, repair, reconditioning or any other purpose in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such inputs are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if such inputs, after completion of the job work or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

IndiaCode

Provided further that if such inputs are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of Section 142.

(2) Where any semi-finished goods had been despatched from the place of business to any other premises for carrying out certain manufacturing processes in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods (hereafter in this sub-section referred to as "the said goods") are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if the said goods, after undergoing manufacturing processes or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within a period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a)

of sub-section (8) of Section 142:

Provided also that the person despatching the goods may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods to the premises of any registered person for the purpose of supplying therefrom on payment of tax in India or without payment of tax for exports within the period specified in this sub-section.

(3) Where any goods had been despatched from the place of business without payment of tax for carrying out tests or any other process, to any other premises, whether registered or not, in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods, are returned to the said place of business on or after the appointed day, no tax shall be payable if the said goods, after undergoing tests or any other process, are returned to such place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax

credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of Section 142:

Provided also that the person despatching the goods may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods from the said other premises on payment of tax in India or without payment of tax for exports within the period specified in this sub-section.

(4) The tax under sub-sections (1), (2) and (3) shall not be payable, only if the person despatching the goods and the job worker declare the details of the inputs or goods held in stock by the job worker on behalf of the said person on the appointed day in such form and manner and within such time as may be prescribed.

IndiaCode

Miscellaneous transitional provisions.

142. (1)Where any goods on which tax, if any, had been paid under the existing law at the time of sale thereof, not being earlier than six months prior to the appointed day, are returned to any place of business on or after the appointed day, the registered person shall be eligible for refund of the tax paid under the existing law where such goods are returned by a person, other than a registered person, to the said place of business within a period

of six months from the appointed day and such goods are identifiable to the satisfaction of the proper officer:

Provided that if the said goods are returned by a registered person, the return of such goods shall be deemed to be a supply.

(2) (a)where, in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day, the price of any goods is revised upwards on or after the appointed day, the registered person who had sold such goods shall issue to the recipient a supplementary invoice or debit note, containing such particulars as may be prescribed, within thirty days of such price revision and for the purposes of this Act, such supplementary invoice or debit note shall be deemed to have been issued in respect of an outward supply made under this Act;

(b) where, in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day, the price of any goods is revised downwards on or after the appointed day, the registered person who had sold such goods may issue to the recipient a credit note, containing such particulars as may be prescribed, within thirty days of such price revision and for the purposes of this Act such credit note shall be deemed to have been issued in

respect of an outward supply made under this Act:

Provided that the registered person shall be allowed to reduce his tax liability on account of issue of the credit note only if the recipient of the credit note has reduced his input tax credit corresponding to such reduction of tax liability.

(3) Every claim for refund filed by any person before, on or after the appointed day for refund of any amount of input tax credit, tax, interest or any other amount paid under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of existing law and any amount eventually accruing to him shall be refunded to him in cash in accordance with the provisions of the said law:

Provided that where any claim for refund of the amount of input tax credit is fully or partially rejected, the amount so rejected shall lapse:

Provided further that no refund shall be allowed of any amount of input tax credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act.

(4) Every claim for refund filed after the appointed day for refund of any tax paid under the existing law in respect of the goods exported before or after the appointed day, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law:

Provided that where any claim for refund of input tax credit is fully or partially rejected, the amount so rejected shall lapse:

Provided further that no refund shall be allowed of any amount of input tax credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act.

IndiaCode

(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, any amount of input tax credit reversed prior to the appointed day shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(6) (a) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to a claim for input tax credit initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and any amount of credit found to be admissible to the claimant shall

be refunded to him in cash in accordance with the provisions of the existing law, and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act:

Provided that no refund shall be allowed of any amount of input tax credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act;

(b) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to recovery of input tax credit initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and if any amount of credit becomes recoverable as a result of such appeal, revision, review or reference, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(7) (a) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to any output tax liability initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law, shall be disposed of in accordance

with the provisions of the existing law, and if any amount becomes recoverable as a result of such appeal, revision, review or reference, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(b) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to any output tax liability initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and any amount found to be admissible to the claimant shall be refunded to him in cash in accordance with the provisions of the existing law and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(8) (a) where in pursuance of an assessment or adjudication proceedings instituted, whether before, on or after the appointed day under the existing law, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes recoverable from the person, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall

not be admissible as input tax credit under this Act;

(b) where in pursuance of an assessment or adjudication proceedings instituted, whether before, on or after the appointed day under the existing law, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes refundable to the taxable person, the same shall be refunded to him in cash under the said law, and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

IndiaCode

(9) (a) where any return, furnished under the existing law, is revised after the appointed day and if, pursuant to such revision, any amount is found to be recoverable or any amount of input tax credit is found to be inadmissible, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act;

(b) where any return, furnished under the existing law, is revised after the appointed day but within the time limit specified for such revision under the existing law and if, pursuant to such revision, any amount is found to be refundable or input tax credit

is found to be admissible to any taxable person, the same shall be refunded to him in cash under the existing law, and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(10) Save as otherwise provided in this Chapter, the goods or services or both supplied on or after the appointed day in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day shall be liable to tax under the provisions of this Act.

IndiaCode

(11) (a) notwithstanding anything contained in Section 12, no tax shall be payable on goods under this Act to the extent the tax was leviable on the said goods under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005; 2 of 2005

(b) notwithstanding anything contained in Section 13, no tax shall be payable on services under this Act to the extent the tax was leviable on the said services under Chapter V of the Finance Act, 1994; 32 of 1994

(c) where tax was paid on any supply, both under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and under Chapter V of the Finance Act, 1994, tax shall be leviable under this Act and

2 of 2005
32 of 1994

the taxable person shall be entitled to take credit of value added tax or service tax paid under the existing law to the extent of supplies made after the appointed day and such credit shall be calculated in such manner as may be prescribed.

(12) Where any goods sent on approval basis, not earlier than six months before the appointed day, are rejected or not approved by the buyer and returned to the seller on or after the appointed day, no tax shall be payable thereon if such goods are returned within six months from the appointed day:

Provided that the said period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that the tax shall be payable by the person returning the goods if such goods are liable to tax under this Act, and are returned after the period specified in this sub-section:

Provided also that tax shall be payable by the person who has sent the goods on approval basis if such goods are liable to tax under this Act, and are not returned within the period specified in this sub-section.

IndiaCode

(13) Where a supplier has made any sale of goods in respect of which tax was required to be deducted at source under the
2 of 2005 Chhattisgarh Value Added Tax, 2005 and has also issued an invoice for the same before the appointed day, no deduction of tax at source under Section 51 shall be made by the deductor under the said section where payment to the said supplier is made on or after the appointed day.

(14) Where any goods or capital goods belonging to the principal are lying at the premises of the agent on the appointed day, the agent shall be entitled to take credit of the tax paid on such goods or capital goods subject to fulfilment of the following conditions:

(i) the agent is a registered taxable person under this Act;

(ii) both the principal and the agent declare the details of stock of goods or capital goods lying with such agent on the day immediately preceding the appointed day in such form and manner and within such time as may be prescribed in this behalf;

(iii) the invoices for such goods or capital goods had been issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day; and

IndiaCode

(iv) the principal has either reversed or not availed of the input tax credit in respect of such,-

(a) goods; or

(b) capital goods or, having availed of such credit, has reversed the said credit, to the extent availed of by him.

Explanation.- For the purposes of this Chapter, the expression "capital goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Chhattisgarh Value Added Tax, 2005. 2 of 2005

IndiaCode

CHAPTER XXI
MISCELLANEOUS

143. (1) A registered person (hereafter in this section referred to as the "principal") may, under intimation and subject to such conditions as may be prescribed, send any inputs or capital goods, without payment of tax, to a job worker for job work and from there subsequently send to another job worker and likewise, and shall,— **Job work procedure.**

(a) bring back inputs, after completion of job work or otherwise, or capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, within one year and three years, respectively, of their being sent out, to any of

his place of business, without payment of tax;

(b) supply such inputs, after completion of job work or otherwise, or capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, within one year and three years, respectively, of their being sent out from the place of business of a job worker on payment of tax within India, or with or without payment of tax for export, as the case may be:

Provided that the principal shall not supply the goods from the place of business of a job worker in accordance with the provisions of this clause unless the said principal declares the place of business of the job worker as his additional place of business except in a case-

(i) where the job worker is registered under Section 25; or

(ii) where the principal is engaged in the supply of such goods as may be notified by the Commissioner.

(2) The responsibility for keeping proper accounts for the inputs or capital goods shall lie with the principal.

(3) Where the inputs sent for job work are not received back by the principal after completion of job work or otherwise in accordance with the provisions of clause (a)

of sub-section (1) or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) within a period of one year of their being sent out, it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs were sent out.

(4) Where the capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, sent for job work are not received back by the principal in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) within a period of three years of their being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), any waste and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax, if such job worker is registered, or by the principal, if the job worker is not registered.

Explanation. - For the purposes of job work, input includes intermediate goods arising from any treatment or process carried out on the inputs by the principal or the job worker.

Presumption as to documents in certain cases.

144. Where any document-

(i) is produced by any person under this Act or any other law for the time being in force; or

(ii) has been seized from the custody or control of any person under this Act or any other law for the time being in force; or

(iii) has been received from any place outside India in the course of any proceedings under this Act or any other law for the time being in force,

and such document is tendered by the prosecution in evidence against him or any other person who is tried jointly with him, the court shall--

(a) unless the contrary is proved by such person, presume —

(i) the truth of the contents of such document;

IndiaCode

(ii) that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person or which the court may reasonably assume to have been signed by, or to be in the handwriting of, any particular person, is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, that it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so executed or attested;

(b) admit the document in evidence notwithstanding that it is not duly stamped, if such document is otherwise admissible in evidence.

Admissibility of micro films, facsimile copies of documents and computer printouts as documents and as evidence.

145. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, —

(a) a micro film of a document or the reproduction of the image or images embodied in such micro film (whether enlarged or not); or

(b) a facsimile copy of a document; or

IndiaCode

(c) a statement contained in a document and included in a printed material produced by a computer, subject to such conditions as may be prescribed; or

(d) any information stored electronically in any device or media, including any hard copies made of such information,

shall be deemed to be a document for the purposes of this Act and the rules made thereunder and shall be admissible in any proceedings thereunder, without further proof or production of the original, as evidence of any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.

indiacode

(2) In any proceedings under this Act and or the rules made thereunder, where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate, —

(a) identifying the document containing the statement and describing the manner in which it was produced;

(b) giving such particulars of any device involved in the production of that document as may be appropriate for the purpose of showing that the document was produced by a computer,

shall be evidence of any matter stated in the

certificate and for the purposes of this sub-section it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it.

Common Portal.

146. The Government may, on the recommendations of the Council, notify the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax, electronic way bill and for carrying out such other functions and for such purposes as may be prescribed.

IndiaCode

Deemed Exports.

147. The Government may, on the recommendations of the Council, notify certain supplies of goods as "deemed exports", where goods supplied do not leave India, and payment for such supplies is received either in Indian rupees or in convertible foreign exchange, if such goods are manufactured in India.

Special procedure for certain processes.

148. The Government may, on the recommendations of the Council, and subject to such conditions and safe guards as may be prescribed, notify certain classes of registered persons, and the special procedures to be followed by such persons including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax and administration of such persons.

Goods and services tax compliance rating.

149. (1) Every registered person may be assigned a goods and services tax compliance rating score by the Government based on his record of compliance with the provisions of this Act.

(2) The goods and services tax compliance rating score may be determined on the basis of such parameters as may be prescribed.

(3) The goods and services tax compliance rating score may be updated at periodic intervals and intimated to the registered person and also placed in the public domain in such manner as may be prescribed.

IndiaCode

Obligation to furnish information return.

150. (1) Any person, being—

(a) a taxable person; or

(b) a local authority or other public body or association; or

(c) any authority of the State Government responsible for the collection of value added tax or sales tax or State excise duty or an authority of the Central Government responsible for the collection of excise duty or customs duty; or

43 of 1961. (d) an income tax authority appointed under the provisions of the Income-tax Act, 1961; or

(e) a banking company within the meaning

2 of 1934. of clause (a) of Section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934; or

(f) a State Electricity Board or an
36 of 2003. electricity distribution or transmission licensee under the Electricity Act, 2003, or any other entity entrusted with such functions by the Central Government or the State Government; or

(g) the Registrar or Sub-Registrar
16 of 1908. appointed under Section 6 of the Registration Act, 1908; or

(h) a Registrar within the meaning of the
18 of 2013. Companies Act, 2013; or

(i) the registering authority empowered to
59 of 1988. register motor vehicles under the Motor Vehicles Act, 1988; or

(j) the Collector referred to in clause (c) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,
30 of 2013. Rehabilitation and Resettlement Act, 2013; or

(k) the recognised stock exchange referred to in clause (f) of Section 2 of the Securities
42 of 1956. Contracts (Regulation) Act, 1956; or

(l) a depository referred to in clause (e) of
22 of 1996. sub-section (1) of Section 2 of the Depositories Act, 1996; or

(m) an officer of the Reserve Bank of India
2 of 1934. as constituted under Section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934; or

(n) the Goods and Services Tax Network, a
18 of 2013. company registered under the Companies Act,

IndiaCode

2013; or

(o) a person to whom a Unique Identity Number has been granted under sub-section (9) of Section 25; or

(p) any other person as may be specified, on the recommendations of the Council, by the Government,

who is responsible for maintaining record of registration or statement of accounts or any periodic return or document containing details of payment of tax and other details of transaction of goods or services or both or transactions related to a bank account or consumption of electricity or transaction of purchase, sale or exchange of goods or property or right or interest in a property under any law for the time being in force, shall furnish an information return of the same in respect of such periods, within such time, in such form and manner and to such authority or agency as may be prescribed.

(2) Where the Commissioner, or an officer authorised by him in this behalf, considers that the information furnished in the information return is defective, he may intimate the defect to the person who has furnished such information return and give him an opportunity of rectifying the defect within a period of thirty days from the date of such intimation or within such further

period which, on an application made in this behalf, the said authority may allow and if the defect is not rectified within the said period of thirty days or, the further period so allowed, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, such information return shall be treated as not furnished and the provisions of this Act shall apply.

(3) Where a person who is required to furnish information return has not furnished the same within the time specified in sub-section (1) or sub-section (2), the said authority may serve upon him a notice requiring furnishing of such information return within a period not exceeding ninety days from the date of service of the notice and such person shall furnish the information return.

Power to collect statistics.

151. (1) The Commissioner may, if he considers that it is necessary so to do, by notification, direct that statistics may be collected relating to any matter dealt with by or in connection with this Act.

(2) Upon such notification being issued, the Commissioner, or any person authorised by him in this behalf, may call upon the concerned persons to furnish such information or returns, in such form and

manner as may be prescribed, relating to any matter in respect of which statistics is to be collected.

Bar on disclosure of information.

152. (1) No information of any individual return or part thereof with respect to any matter given for the purposes of Section 150 or Section 151 shall, without the previous consent in writing of the concerned person or his authorised representative, be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as referring to a particular person and no such information shall be used for the purpose of any proceedings under this Act.

(2) Except for the purposes of prosecution under this Act or any other Act for the time being in force, no person who is not engaged in the collection of statistics under this Act or compilation or computerisation thereof for the purposes of this Act, shall be permitted to see or have access to any information or any individual return referred to in Section 151.

(3) Nothing in this section shall apply to the publication of any information relating to a class of taxable persons or class of transactions, if in the opinion of the Commissioner, it is desirable in the public interest to publish such information.

IndiaCode

153. Any officer not below the rank of Assistant Commissioner may, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, take assistance of any expert at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceedings before him.

Taking assistance from an expert.

154. The Commissioner or an officer authorised by him may take samples of goods from the possession of any taxable person, where he considers it necessary, and provide a receipt for any samples so taken.

Power to take samples.

IndiaCode

155. Where any person claims that he is eligible for input tax credit under this Act, the burden of proving such claim shall lie on such person.

Burden of Proof.

156. All persons discharging functions under this Act shall be deemed to be public servants
45 of 1860. within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

Persons deemed to be public servants.

157. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the President, State President, Members, officers or other employees of the Appellate Tribunal or any other person authorised by the said Appellate Tribunal for anything which is in good faith

Protection of action taken under this Act.

done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

(2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer appointed or authorised under this Act for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder.

Disclosure of information by a public servant.

158. (1) All particulars contained in any statement made, return furnished or accounts or documents produced in accordance with this Act, or in any record of evidence given in the course of any proceedings under this Act (other than proceedings before a criminal court), or in any record of any proceedings under this Act shall, save as provided in sub-section (3), not be disclosed.

1 of 1872.

(2) Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872, no court shall, save as otherwise provided in sub-section (3), require any officer appointed or authorised under this Act to produce before it or to give evidence before it in respect of particulars referred to in sub-section (1).

(3) Nothing contained in this section shall apply to the disclosure of,—

IndiaCode

(a) any particulars in respect of any statement, return, accounts, documents, evidence, affidavit or deposition, for the
45 of 1860. purpose of any prosecution under the
49 of 1988. Indian Penal Code or the Prevention of Corruption Act, 1988, or any other law for the time being in force; or

(b) any particulars to the Central Government or the State Government or to any person acting in the implementation of this Act, for the purposes of carrying out the objects of this Act; or

(c) any particulars when such disclosure is occasioned by the lawful exercise under this Act of any process for the service of any notice or recovery of any demand; or

(d) any particulars to a civil court in any suit or proceedings, to which the Government or any authority under this Act is a party, which relates to any matter arising out of any proceedings under this Act or under any other law for the time being in force authorising any such authority to exercise any powers thereunder; or

IndiaCode

(e) any particulars to any officer appointed for the purpose of audit of tax receipts or refunds of the tax imposed by this Act; or

(f) any particulars where such particulars are relevant for the purposes of any inquiry into the conduct of any officer appointed or authorised under this Act, to any person or persons appointed as an inquiry officer under any law for the time being in force; or

(g) any such particulars to an officer of the Central Government or of any State Government, as may be necessary for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax or duty; or

(h) any particulars when such disclosure is occasioned by the lawful exercise by a public servant or any other statutory authority, of his or its powers under any law for the time being in force; or

(i) any particulars relevant to any inquiry into a charge of misconduct in connection with any proceedings under this Act against a practising advocate, a tax practitioner, a practising cost

accountant, a practising chartered accountant, a practising company secretary to the authority empowered to take disciplinary action against the members practising the profession of a legal practitioner, a cost accountant, a chartered accountant or a company secretary, as the case may be; or

(j) any particulars to any agency appointed for the purposes of data entry on any automated system or for the purpose of operating, upgrading or maintaining any automated system where such agency is contractually bound not to use or disclose such particulars except for the aforesaid purposes; or

(k) any such particulars to an officer of the Government as may be necessary for the purposes of any other law for the time being in force; and

(l) any information relating to any class of taxable persons or class of transactions for publication, if, in the opinion of the Commissioner, it is desirable in the public interest, to publish such information.

Publication of information in respect of persons in certain cases.

159. (1) If the Commissioner, or any other officer authorised by him in this behalf, is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to publish the name of any person and any other particulars relating to any proceedings or prosecution under this Act in respect of such person, it may cause to be published such name and particulars in such manner as it thinks fit.

(2) No publication under this section shall be made in relation to any penalty imposed under this Act until the time for presenting an appeal to the Appellate Authority under Section 107 has expired without an appeal having been presented or the appeal, if presented, has been disposed of.

Explanation.—In the case of firm, company or other association of persons, the names of the partners of the firm, directors, managing agents, secretaries and treasurers or managers of the company, or the members of the association, as the case may be, may also be published if, in the opinion of the Commissioner, or any other officer authorised by him in this behalf, circumstances of the case justify it.

Assessment proceedings, etc. not to be invalid on certain grounds.

160. (1) No assessment, re-assessment, adjudication, review, revision, appeal, rectification, notice, summons or other proceedings done, accepted, made, issued, initiated, or purported to have been done, accepted, made, issued, initiated in pursuance of any of the provisions of this Act shall be invalid or deemed to be invalid merely by reason of any mistake, defect or omission therein, if such assessment, re-assessment, adjudication, review, revision, appeal, rectification, notice, summons or other proceedings are in substance and effect in conformity with or according to the intents, purposes and requirements of this Act or any existing law.

(2) The service of any notice, order or communication shall not be called in question, if the notice, order or communication, as the case may be, has already been acted upon by the person to whom it is issued or where such service has not been called in question at or in the earlier proceedings commenced, continued or finalised pursuant to such notice, order or communication.

IndiaCode

Rectification of errors apparent on the face of record.

161. Without prejudice to the provisions of Section 160, and notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any authority, who has passed or issued any decision or order or notice or certificate or any other document, may rectify any error which is apparent on the face of record in such decision or order or notice or certificate or any other document, either on its own motion or where such error is brought to its notice by any officer appointed under this Act or an officer appointed under the Central Goods and Services Tax Act or by the affected person within a period of three months from the date of issue of such decision or order or notice or certificate or any other document, as the case may be:

Provided that no such rectification shall be done after a period of six months from the date of issue of such decision or order or notice or certificate or any other document:

Provided further that the said period of six months shall not apply in such cases where the rectification is purely in the nature of correction of a clerical or arithmetical error, arising from any accidental slip or omission:

Provided also that where such rectification adversely affects any person, the principles of natural justice shall be followed

IndiaCode

by the authority carrying out such rectification.

162. Save as provided in Sections 117 and 118, no civil court shall have jurisdiction to deal with or decide any question arising from or relating to anything done or purported to be done under this Act.

Bar on jurisdiction of civil courts.

163. Wherever a copy of any order or document is to be provided to any person on an application made by him for that purpose, there shall be paid such fee as may be prescribed.

Levy of fee.

164. (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Power of Government to make rules.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Government may make rules for all or any of the matters which by this Act are required to be, or may be, prescribed or in respect of which provisions are to be or may be made by rules.

(3) The power to make rules conferred by this section shall include the power to give

IndiaCode

retrospective effect to the rules or any of them from a date not earlier than the date on which the provisions of this Act come into force.

(4) Any rules made under sub-section (1) or sub-section (2) may provide that a contravention thereof shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees.

Power to make regulations.

165. The Government may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

Laying of rules, regulations and notifications.

166. Every rule made by the Government, every regulation made by the Government and every notification issued by the Government under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the State Legislature agrees in making any modification in the rule or regulation or in the notification, as the case

IndiaCode

may be, or the State Legislature agrees that the rule or regulation or the notification should not be made, the rule or regulation or notification, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation or notification, as the case may be.

Delegation of powers.

167. The Commissioner may, by notification, direct that subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, any power exercisable by any authority or officer under this Act may be exercisable also by another authority or officer as may be specified in such notification.

Power to issue instructions or directions.

168. The Commissioner may, if he considers it necessary or expedient so to do for the purpose of uniformity in the implementation of this Act, issue such orders, instructions or directions to the State tax officers as it may deem fit, and thereupon all such officers and all other persons employed in the implementation of this Act shall observe and follow such orders, instructions or directions.

indiaCode

Service of notice in certain circumstances.

169. (1) Any decision, order, summons, notice or other communication under this Act or the rules made thereunder shall be served by any one of the following methods, namely:--

(a) by giving or tendering it directly or by a messenger including a courier to the addressee or the taxable person or to his manager or authorised representative or an advocate or a tax practitioner holding authority to appear in the proceedings on behalf of the taxable person or to a person regularly employed by him in connection with the business, or to any adult member of family residing with the taxable person; or

(b) by registered post or speed post or courier with acknowledgement due, to the person for whom it is intended or his authorised representative, if any, at his last known place of business or residence; or

(c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or

(d) by making it available on the common portal; or

(e) by publication in a newspaper circulating in the locality in which the taxable person or the person to whom it is issued is last known to have resided, carried on business or personally worked for gain; or

(f) if none of the modes aforesaid is

practicable, by affixing it in some conspicuous place at his last known place of business or residence and if such mode is not practicable for any reason, then by affixing a copy thereof on the notice board of the office of the concerned officer or authority who or which passed such decision or order or issued such summons or notice.

(2) Every decision, order, summons, notice or any communication shall be deemed to have been served on the date on which it is tendered or published or a copy thereof is affixed in the manner provided in sub-section (1).

(3) When such decision, order, summons, notice or any communication is sent by registered post or speed post, it shall be deemed to have been received by the addressee at the expiry of the period normally taken by such post in transit unless the contrary is proved.

Rounding off of tax etc.

170. The amount of tax, interest, penalty, fine or any other sum payable, and the amount of refund or any other sum due, under the provisions of this Act shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty

Indiacode

paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise it shall be ignored.

Anti-profiteering Measure.

171. (1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.

(2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

indiacode

(3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed.

Removal of difficulties.

172. (1) If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Act, the Government may, on the recommendations of the Council,

by a general or a special order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

IndiaCode

Amendment of certain Acts.

173. Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act, the Chhattisgarh Municipal
23 of 1956 Corporation Act, 1956 and the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961
37 of 1961 shall be deemed to be amended in respect of Entry 62 of List II- State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

Repeal and saving.

174. (1) Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act,

2 of 2005 (a) (i) the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 shall apply only in respect of goods included in the Entry

54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.

52 of 1976 (b) (i) the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976;

13 of 1988 (ii) the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988; and

30 of 1936 (iii) the Chhattisgarh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936,

(hereafter referred to as the repealed Acts) are hereby repealed.

(2) The repeal of the said Acts and the amendment of the Acts specified in Section 173 (hereafter referred to as "such amendment" or "amended Act", as the case may be) to the extent mentioned in sub-section (1) or Section 173 shall not—

(a) revive anything not in force or existing at the time of such amendment or repeal; or

(b) affect the previous operation of the amended Acts or repealed Acts and orders or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the amended Acts or repealed Acts or orders under such repealed or amended Acts:

Provided that any tax exemption granted as an incentive against

investment through a notification shall not continue as privilege if the said notification is rescinded on or after the appointed day; or

(d) affect any tax, surcharge, penalty, fine, interest as are due or may become due or any forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed against the provisions of the amended Acts or repealed Acts; or

(e) affect any investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and any other legal proceedings or recovery of arrears or remedy in respect of any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment, as aforesaid, and any such investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and other legal proceedings or recovery of arrears or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, forfeiture or punishment may be levied or imposed as if these Acts had not been so amended or repealed; or

(f) affect any proceedings including that relating to an appeal, revision, review or reference, instituted before, on or after the appointed day under the said amended Acts or repealed Acts and such proceedings shall

be continued under the said amended Acts or repealed Acts as if this Act had not come into force and the said Acts had not been amended or repealed.

10 of 1897. (3) The mention of the particular matters referred to in Section 173 and sub-section (1) shall not be held to prejudice or affect the general application of Section 6 of the General Clauses Act, 1897 with regard to the effect of repeal.

IndiaCode

SCHEDULE I

[*See Section 7*]

ACTIVITIES TO BE TREATED AS SUPPLY EVEN IF MADE WITHOUT CONSIDERATION

1. Permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets.

2. Supply of goods or services or both between related persons or between distinct persons as specified in Section 25, when made in the course or furtherance of business:

Provided that gifts not exceeding fifty thousand rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both.

3. Supply of goods—

(a) by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal; or

(b) by an agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal.

4. Import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishments outside India, in the course or furtherance of business.

SCHEDULE II

[*See Section*7]

ACTIVITIES TO BE TREATED AS SUPPLY OF GOODS OR SUPPLY OF SERVICES

1. Transfer

(a) any transfer of the title in goods is a supply of goods;
(b) any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof, is a supply of services;
(c) any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed, is a supply of goods.

2. Land and Building

(a) any lease, tenancy, easement, licence to occupy land is a supply of services;

(b) any lease or letting out of the building including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce, either wholly or partly, is a supply of services.

3. Treatment or process

Any treatment or process which is applied to another person's goods is a supply of services.

4. Transfer of business assets

(a) where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by or under the directions of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets, whether or not for a consideration, such transfer or disposal is a supply of goods by the person;

(b) where, by or under the direction of a person carrying on a business, goods held or used for the purposes of the business are put to any private use or are used, or made available to any person for use, for any purpose other than a purpose of the business, whether or not for a consideration, the usage or making available of such goods is a supply of services;

(c) where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless—

(i) the business is transferred as a going concern to another person; or

IndiaCode

(ii) the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person.

5. Supply of services

The following shall be treated as supply of services, namely:--

(a) renting of immovable property;

(b) construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier.

Explanation.—For the purposes of this clause—

(1) the expression "competent authority" means the Government or any authority authorised to issue completion certificate under any law for the time being in force and in case of non-requirement of such certificate from such authority, from any of the following, namely:–

20 of 1972 (i) an architect registered with the Council of Architecture constituted under the Architects Act, 1972; or

(ii) a chartered engineer registered with the Institution of Engineers (India); or

(iii) a licensed surveyor of the respective local body of the city or town or village or development or planning authority;

(2) the expression "construction" includes additions, alterations, replacements or remodeling of any existing civil structure;

(c) temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right;

(d)development, design, programming, customisation, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of information technology software;

(e)agreeing to the obligation to refrain from an act, or to tolerate an act or a situation, or to do an act; and

(f) transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.

6. Composite supply

The following composite supplies shall be treated as a supply of services, namely:—

(a) works contract as defined in clause (119) of Section 2; and

(b) supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (other than alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.

7. Supply of Goods

The following shall be treated as supply of goods, namely:--

Supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration.

IndiaCode

SCHEDULE III

[*See Section*7]

ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

1. Services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment.

2. Services by any court or Tribunal established under any law for the time being in force.

3.(a) the functions performed by the Members of Parliament, Members of State Legislature, Members of Panchayats, Members of Municipalities and Members of other local authorities;

(b) the duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution in that capacity; or

(c) the duties performed by any person as a Chairperson or a Member or a Director in a body established by the Central Government or a State Government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause.

4. Services of funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation of the deceased.

5. Sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.

6. Actionable claims, other than lottery, betting and gambling.

Explanation.—For the purposes of paragraph 2, the term "court" includes District Court, High Court and Supreme Court.

IndiaCode

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 — आश्विन 13, शक 1940

IndiaCode

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्रमांक 9855/डी. 184/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-09-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. त्रिपाठी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 25 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधो के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क. 7 सन् 2017), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 में, –

(क) खंड (4) में, शब्द ''अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक ''अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा 171 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) खंड (16) में शब्द ''केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड'' के स्थान पर, शब्द ''केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) खंड (17) में, उप–खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर को सेवाएं या किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की ऐसे क्लब को सेवाएं; और''

(घ) खंड (18) का लोप किया जाये;

(ङ) खंड (35) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खंड (ग)'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खंड (ख)'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(च) खंड (69) में, उप–खंड (च) में, शब्द एवं अंक ''अनुच्छेद 371'' के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर ''और अनुच्छेद 371ञ'' अंतःस्थापित किया जाये;

(छ) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''**स्पष्टीकरण**– शंकाओं के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति ''सेवा'' में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सरल बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है;''

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से, – **धारा 7 का संशोधन.**

(क) उप–धारा (1) में, –

(एक) खंड (ख) में, शब्द एवं चिन्ह ''या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं;'' के पश्चात्, शब्द ''और'' अंतःस्थापित किया जाये तथा सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाये;

(दो) खंड (ग) में, शब्द ''क्रियाकलाप '' के पश्चात्, शब्द ''और'' का लोप किया जाये और सदैव लोप किया गया समझा जाये;

(तीन) खंड (घ) का लोप किया जाये और सदैव लोप किया गया समझा जाये ।

(ख) उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाये, अर्थात् :–

''(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार, उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई प्रदाय है, उन्हें अनुसूची 2 में यथा निर्दिष्ट माल का प्रदाय या सेवा का प्रदाय माना जाएगा।''

(ग) उप–धारा (3) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''उपधारा (1) और उपधारा (2)'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक एवं अक्षर ''उप–धारा (1), (1क) और (2)'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में, उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :– **धारा 9 का संशोधन.**

''(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रदाय के संबंध में, माल या सेवा या दोनों के ऐसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे, मानो वह माल या सेवा या दोनों के ऐसे प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है।''

धारा 10 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 10 में, –

(क) उप–धारा (1) में, –

(एक) शब्द ''उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर ऐसी दर पर'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) परंतुक में, शब्द ''एक करोड़ रूपए'' के स्थान पर, शब्द ''एक करोड़ पचास लाख रूपए'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(तीन) परंतुक में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(चार) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आवर्त के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपए, जो भी अधिक हो, का प्रदाय कर सकेगा।''

(ख) उप–धारा (2) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(क) उप–धारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;''

धारा 12 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उप–धारा (2) में, खंड (क) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''की उपधारा (1)'' का लोप किया जाये।

धारा 13 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उप–धारा (2) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''की उपधारा (2)'' जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये।

धारा 16 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उप–धारा (2) में, –

(क) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''**स्पष्टीकरण**– इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है–

(एक) जहां माल का प्रदाय किसी प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा, कार्य कर रहा हो;

(दो) जहां सेवा का प्रदाय, प्रदायकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर और उसके मद्दे किया जाता है।''

(ख) खंड (ग) में, शब्द और अंक ''धारा 41'' के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर ''धारा 41 या धारा 43क'' प्रतिस्थापित किया जाये।

9. मूल अधिनियम की धारा 17 में, – **धारा 17 का संशोधन.**

(क) उप–धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''**स्पष्टीकरण**– इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''छूट–प्राप्त प्रदाय का मूल्य'' में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।''

(ख) उप–धारा (5) में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(क) व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, जो तेरह से अनधिक व्यक्तियों (चालक सहित) बैठने की क्षमता वाला हो, सिवाय तब, जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय प्रदाय करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :–

(अ) ऐसे मोटरयान का आगे और प्रदाय; या
(आ) यात्रियों का परिवहन; या
(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग–

(एक) निम्नलिखित कराधेय प्रदाय करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:–

(अ) ऐसे जलयान और वायुयान का आगे और प्रदाय; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे जलयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(दो) माल के परिवहन के लिए किया जाता है ;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या

वायुयान से है:

परंतु ऐसी सेवाओं के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा–

(एक) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग, उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(दो) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो –

(अ) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(आ) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनों का निम्नलिखित प्रदाय–

(एक) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान को पट्टे पर लेने या किराये पर लेने, सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदाय का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित प्रदाय के एक तत्व के रूप में किया जाता है;

(दो) ऐसे क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता; और

(तीन) अवकाश या गृह यात्रा रियायत, जैसे अवकाश पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा लाभ :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो।''

धारा 20 का संशोधन. 10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) में, शब्द और अंक ''प्रविष्टि 84'' के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर ''प्रविष्टि 84

और 92क'' प्रतिस्थापित किया जाये।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में, – धारा 22 का संशोधन.

(क) उप–धारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु यह और कि जहां ऐसा व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य से, जिसके संबंध में केन्द्र सरकार ने इस परंतुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को बढ़ाया हो, माल या सेवा या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा यदि वित्तीय वर्ष में उसका समग्र आवर्त, ऐसे बढ़ाई गई आवर्त की समतुल्य राशि से अधिक हो ।''

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, शब्द ''राज्य'' के पश्चात् शब्द ''जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर और अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य'' अंतःस्थापित किया जाये ।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 में, खंड (x) में, शब्द ''वाणिज्य आपरेटर'' के पश्चात्, शब्द एवं अंक ''जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है'' अंतःस्थापित किया जाये। धारा 24 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 25 में, – धारा 25 का संशोधन.

(क) उप–धारा (1) में, परंतुक में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप–धारा (1) में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथा परिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है।''

(ग) उप–धारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित गया जाये, अर्थात् :–

''परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य में कारबार के बहु स्थान है, विहित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।''

14. मूल अधिनियम की धारा 29 में, – धारा 29 का संशोधन.

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''रद्दकरण'' के पश्चात्, शब्द ''या निलंबन'' अंतःस्थापित किया जाये;

(ख) उप–धारा (1) में, खंड (ग) में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) उप–धारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में फाईल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।''

(घ) उप–धारा (2) में, परंतुक में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ड.) उप–धारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, निलंबित कर सकेगा।''

धारा 34 का संशोधन. 15. मूल अधिनियम की धारा 34 में,–

(क) उप–धारा (1) में, –

(एक) शब्द ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' के स्थान पर, शब्द ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) शब्द ''जमापत्र जारी'' के स्थान पर, शब्द ''किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

(ख) उप–धारा (3) में, –

(एक) शब्द ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' के स्थान पर, शब्द ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) शब्द ''नामे पत्र जारी'' के स्थान पर, शब्द ''किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के लिए एक या अधिक नामे पत्र जारी'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

16. मूल अधिनियम की धारा 35 में,– **धारा 35 का संशोधन.**

(क) उप–धारा (5) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप–धारा (5) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु इस उप–धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अध्यधीन है।"

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में, – **धारा 39 का संशोधन.**

(क) उप–धारा (1) में, –

(एक) शब्द "ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए "के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) शब्द "ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व" का लोप किया जाये;

(ख) उप–धारा (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।"

(घ) उप–धारा (7) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ङ.) उप–धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।"

IndiaCode

(च) उप–धारा (9) में, –

(एक) शब्द ''उस मास या तिमाही जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि विहित की जाए'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) परंतुक में, शब्द ''वित्तीय वर्ष की समाप्ति'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

नवीन धारा 43क का जोड़ा जाना.

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''43क. **विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए प्रक्रिया.**–(1) धारा 16 की उप–धारा (2), धारा 37 या धारा 38 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, प्रदायकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदायों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय लेने के प्रयोजनों के लिए, कॉमन पोर्टल पर प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(4) उप–धारा (3) के अधीन प्रस्तुत न किये गये जावक प्रदायों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसे इस प्रकार लिया जा सकता है, जो उक्त उप–धारा के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसे जावक प्रदायों, जिसके लिए प्रदायकर्ता द्वारा उप–धारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, में विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।

(6) किसी प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक प्रदायों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु उसकी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(7) उप–धारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जैसा कि विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रुपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के

लिए उपबंध हो सकेगा।

(8) ऐसे जावक प्रदायों, जिनके ब्यौरे उप–धारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षा उपाय और कर की रकम की अवसीमा,—

(एक) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छः मास के भीतर;

(दो) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया हो और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,

वही होगी जैसा कि विहित की जाए।''

19. मूल अधिनियम की धारा 48 में, उप–धारा (2) में, शब्द 'प्रस्तुत करने के लिए'' के पश्चात्, शब्द ''और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए'' अंतःस्थापित किया जाये। **धारा 48 का संशोधन.**

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में, — **धारा 49 का संशोधन.**

(क) उप–धारा (2) में, शब्द और अंक ''धारा 41'' के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर ''धारा 41 या धारा 43क'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप–धारा (5) में,–

(एक) खंड (ग) में, अर्द्ध विराम चिन्ह '';'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खंड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;''

(तीन) खंड (घ) में, अर्द्ध विराम चिन्ह '';'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(चार) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''परंतु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;''

21. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– **नवीन धारा 49क और 49ख का जोड़ा जाना.**

''49क. धारा 49 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या राज्य कर के संदाय के लिये केवल तब

IndiaCode

किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

49ख. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उप–धारा (5) के खंड (ङ) और खंड (च) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों से, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी।''

धारा 52 का संशोधन. 22. मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप–धारा (9) में, शब्द और अंक ''धारा 37'' के स्थान पर, शब्द और अंक ''धारा 37 या धारा 39'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 54 का संशोधन. 23. मूल अधिनियम की धारा 54 में, ––

(क) उप–धारा (8) में, खंड (क) में, शब्द ''शून्य अंकित'' और ''शून्य अंकित प्रदायों'' के स्थान पर, कमशः शब्द ''निर्यात'' और ''निर्यातों'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (2) में, ––

(एक) उप–खंड (ग) में, मद (एक) में, शब्द ''विदेशी मुद्रा में'' के पश्चात्, शब्द ''या भारतीय रुपये में, जहां कही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञप्त हो,'' अंतःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः–

''(ङ) उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें प्रतिदाय के लिए ऐसा दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;''

धारा 79 का संशोधन. 24. मूल अधिनियम की धारा 79 में, उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द 'व्यक्ति' में, यथास्थिति, धारा 25 की उप–धारा (4) या उप–धारा (5) में यथा निर्दिष्ट ''सुभिन्न व्यक्ति'' सम्मिलित होंगे।''

धारा 107 का संशोधन. 25. मूल अधिनियम की धारा 107 में, उप–धारा (6) में, खंड (ख) में, शब्द ''बराबर राशि'' के पश्चात्, शब्द'',अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यधीन रहते हुए'' अंतःस्थापित किया जाये ।

धारा 112 का संशोधन. 26. मूल अधिनियम की धारा 112 में, उप–धारा (8) में, खंड (ख) में, शब्द ''बराबर राशि,'' के पश्चात्, शब्द ''अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अध्यधीन रहते हुए,'' अंतःस्थापित किया जाये।

27. मूल अधिनियम की धारा 129 में, उप–धारा (6) में, शब्द ''सात दिन'' जहां कही भी आया हो के स्थान पर, शब्द ''चौदह दिन'' प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 129 का संशोधन.**

28. मूल अधिनियम की धारा 143 में, उप–धारा (1) में, खंड (ख) में,– **धारा 143 का संशोधन.**

(एक) परंतुक में, प्रविष्टि (ii) में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक अग्रतर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।''

29. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 में, पैरा 4 में, शब्द ''कराधेय व्यक्ति'' के स्थान पर, शब्द ''व्यक्ति'' प्रतिस्थापित किया जाये । **अनुसूची 1 का संशोधन.**

30. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, शीर्षक में, शब्द ''क्रियाकलापों'' के पश्चात्, शब्द ''या संव्यवहारों'' अंतःस्थापित किया जाये और 1 जुलाई, 2017 से सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाये। **अनुसूची 2 का संशोधन.**

31. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,—– **अनुसूची 3 का संशोधन.**

(एक) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

'7. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल का, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना, प्रदाय ।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल का प्रदाय;

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का, भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात्, किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व, माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा, प्रदाय।''

(दो) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**स्पष्टीकरण 1**– पैरा 2 के प्रयोजन के लिये, शब्द ''न्यायालय'' जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण 2– पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, शब्द ''भांडागार में रखे गए माल'' का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में उसके लिये समनुदेशित है।''

अटल नगर, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्रमांक 9855/डी. 184/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-10-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. त्रिपाठी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 25 of 2018)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2018.

An Act to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty- ninth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(a) in clause (4), for the words "the Appellate Authority and the Appellate Tribunal", the words, brackets and figures "the Appellate Authority, the Appellate Tribunal and the Authority referred to in sub-section (2) of Section 171" shall be substituted;

(b) in(b) in clause (16) for the words "Central Board of Excise and Customs" the words "Central Board of Indirect Taxes and Customs" shall be substituted;

(c) in clause (17), for sub-clause (h), the following shall be substituted, namely:—

"(h) activities of a race club including by way of totalisator or a license to book maker or activities of a licensed book maker in such club; and"

(d) clause (18) shall be omitted;

(e) in clause (35), for the word, brackets and letter "clause (c)", the word, brackets and letter "clause (b)" shall be substituted;

(f) in clause (69), in sub-clause (f), after the word and figures "Article 371", the words, figures and letter "and Article 371J" shall be inserted;

(g) after clause (102), the following shall be inserted, namely:—

"**Explanation**.—For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "services" includes facilitating or arranging transactions in securities;"

Amendment of Section 7.

3. In Section 7 of the Principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,—

(a) in sub-section (1), —

(i) in clause (b), after the words and symbol "or furtherance of business;", the word "and" shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted;

(ii) in clause (c), after the words "a consideration", the word "and" shall be omitted and shall always be deemed to have been omitted;

(iii) clause (d) shall be omitted and shall always be deemed to have been omitted.

(b) after sub-section (1), the following shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted, namely:—

"(1A) where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of sub-section (1), they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II."

(c) in sub-section (3), for the words, brackets and figures "sub-sections (1) and (2)", the words, brackets, figures and letter "sub-sections (1), (1A) and (2)" shall be substituted.

Amendment of Section 9.

4. In Section 9 of the Principal Act, for sub-section (4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify a class of registered persons who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both."

Amendment of Section 10.

5. In Section 10 of the Principal Act,—

(a) in sub-section (1) —

(i) for the words "in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate", the words, brackets and figures "in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of Section 9, an amount of tax calculated at such rate" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "one crore rupees", the words "one crore and fifty lakh rupees" shall be substituted;

(iii) in the proviso, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(iv) after the proviso, the following shall be inserted, namely:–

"Provided further that a person who opts to pay tax under clause (a) or clause (b) or clause (c) may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II), of value not exceeding ten per cent of turnover in the State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher."

(b) in sub-section (2), for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) save as provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;"

Amendment of Section 12. 6. In Section 12 of the Principal Act, in sub-section (2), in clause (a), the words, brackets and figure "sub-section (1) of" shall be omitted.

Amendment of Section 13. 7. In Section 13 of the Principal Act, in sub-section (2), the words, brackets and figure "sub-section (2) of" wherever they occur, shall be omitted.

Amendment of Section 16. 8. In Section 16 of the Principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (b), for the Explanation, the following shall be substituted, namely:—

"**Explanation.**—For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services—

(i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

(ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person."

(b) in clause (c), for the word and figures "Section 41", the words, figures and letter "Section 41 or Section 43A" shall be substituted.

Amendment of Section 17. 9. In Section 17 of the Principal Act,—

(a) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"**Explanation.**—For the purposes of this sub-section, the expression "value of exempt supply" shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except those specified in paragraph 5 of the said Schedule."

(b) in sub-section (5), for clauses (a) and (b), the following shall be substituted, namely:—

"(a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely:—

(A) further supply of such motor vehicles; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on driving such motor vehicles;

(aa) vessels and aircraft except when they are used—

(i) for making the following taxable supplies, namely:-

(A) further supply of such vessels or aircraft; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on navigating such vessels; or

(D) imparting training on flying such aircraft;

(ii) for transportation of goods;

(ab) services of general insurance, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa):

Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available—

(i) where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) are used for the purposes specified therein;

(ii) where received by a taxable person engaged—

(A) in the manufacture of such motor vehicles, vessels or aircraft; or

(B) in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircraft insured by him;

(b) the following supply of goods or services or both—

(i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) except when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

(ii) membership of a club, health and fitness centre; and

(iii) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force."

10. In Section 20 of the Principal Act, in Explanation, in clause (c), for the words and figures "under entry 84,", the words, figures and letter "under entries 84 and 92A" shall be substituted. **Amendment of Section 20.**

11. In Section 22 of the Principal Act,— **Amendment of Section 22.**

(a) in sub-section (1), after the proviso, the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from a special category State in respect of which the Central Government has enhanced the aggregate turnover referred to in the first proviso, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds the amount equivalent to such enhanced turnover."

(b) in the Explanation, in clause (iii), after the words "Constitution" the words "except the State of Jammu and Kashmir", and States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Uttarakhand" shall be inserted."

12. In Section 24 of the Principal Act, in clause (x), after the words "commerce operator", the words and figures "who is required to collect tax at source under Section 52" shall be inserted. **Amendment of Section 24.**

Amendment Section 25. 13. In Section 25 of the Principal Act,—

(a) in sub-section (1), in the proviso, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(b) in sub-section (1), after the proviso and before the Explanation, the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that a person having a unit, as defined in the Special Economic Zones Act, 2005, in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall have to apply for a separate registration, as distinct from his place of business located outside the Special Economic Zone in the same State."

(c) in sub-section (2), for the proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that a person having multiple places of business in the State may be granted a separate registration for each such place of business, subject to such conditions as may be prescribed."

Amendment of Section 29. 14. In Section 29 of the Principal Act,—

(a) in the marginal heading after the word "Cancellation", the words "or suspension" shall be inserted;

(b) in sub-section (1), in clause (c), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(c) in sub-section (1), after clause (c), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed."

(d) in sub-section (2), in the proviso, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(e) in sub-section (2), after the proviso, the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration, the proper officer may suspend the registration for such period and in such manner as may be prescribed."

Amendment of Section 34. 15. In Section 34 of the Principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words "Where a tax invoice has", the words "Where one or more tax invoices have" shall be substituted;

(ii) for the words "a credit note", the words "one or more credit notes for supplies made in a financial year" shall be substituted.

(b) in sub-section (3),—

(i) for the words "Where a tax invoice has", the words "Where one or more tax invoices have" shall be substituted;

(ii) for the words "a debit note", the words "one or more debit notes for supplies made in a financial year" shall be substituted.

Amendment of Section 35.

16. In Section 35 of the Principal Act,-

(a) in sub-section (5), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(b) after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force."

Amendment of Section 39.

17. In Section 39 of the Principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words "in such form and manner as may be prescribed", the words "in such form, manner and within such time as may be prescribed" shall be substituted;

(ii) the words "on or before the twentieth day of the month succeeding such calendar month or part thereof" shall be omitted; and

(b) in sub-section (1), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(c) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall furnish return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein."

(d) in sub-section (7), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(e) after sub-section (7), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall pay to the Government the tax due or part thereof as per the return on or before the last date on which he is required to furnish such return, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.";

(f) in sub-section (9),—

(i) for the words "in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed", the words "in such form and manner as may be prescribed" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "the end of the financial year", the words "the end of the financial year to which such details pertain" shall be substituted.

Addition of new Section 43A.

18. After Section 43 of the Principal Act, the following shall be added, namely:—

"43A. **Procedure for furnishing return and availing input tax credit.**

(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of Section 16, Section 37 or Section 38, every registered person shall in the returns furnished under sub-section(1) of Section 39 verify, validate, modify or

IndiaCode

delete the details of supplies furnished by the suppliers.

(2) Notwithstanding anything contained in Section 41, Section 42 or Section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient and verification thereof shall be such as may be prescribed.

(3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal, for the purposes of availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed.

(4) The procedure for availing input tax credit in respect of outward supplies not furnished under sub-section (3) shall be such as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which can be so availed, not exceeding twenty per cent. of the input tax credit available, on the basis of *details furnished by the suppliers under the said sub-*section.

(5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the Act.

(6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be, in relation to outward supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereof has not been furnished.

(7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not exceeding one thousand rupees.

(8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation to outward supplies, the details of which can be furnished under sub-section (3) by a registered person,—

(i) within six months of taking registration;

(ii) who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for more than two months from the due date of payment of such defaulted amount,

shall be such as may be prescribed."

Amendment of Section 48. 19. In Section 48 of the Principal Act, in sub-section (2), after the word and figures "Section 45", the words and punctuation "and to perform such other functions," shall be inserted.

Amendment of Section 49. 20. In Section 49 of the Principal Act,—

(a) in sub-section (2), for the word and figures "Section 41", the words, figures and letter "Section 41 or Section 43A" shall be substituted;

(b) in sub-section (5),—

(i) in clause (c), for the punctuation semi colon ";", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(ii) after clause (c), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;"

(iii) in clause (d), for the punctuation semi colon ";", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(iv) after clause (d), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that the input tax credit on account of Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;"

21. After Section 49 of the Principal Act, the following shall be added, namely- **Addition of new Sections 49A and 49B.**

"49A. Notwithstanding anything contained in Section 49, the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax or State tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised fully towards such payment.

49B. Notwithstanding anything contained in this Chapter and subject to the provisions of clause (e) and clause (f) of sub-section (5) of Section 49, the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe the order and manner of utilisation of the input tax credit on account of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, towards payment of any such tax."

22. In Section 52 of the Principal Act, in sub-section (9), for the word and figures "Section 37", the words and figures "Section 37 or Section 39" shall be substituted. **Amendment of Section 52.**

23. In Section 54 of the Principal Act,— **Amendment of Section 54.**

(a) in sub-section (8), in clause (a), for the words "zero-rated supplies" and "zero-rated supplies", the word "export" and "exports" shall respectively be substituted;

(b) in the Explanation, in clause (2),—

(i) in sub-clause (c), in item (i), after the words "foreign exchange", the words "or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India" shall be inserted;

(ii) for sub-clause (e), the following shall be substituted, namely:—

"(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3), the due date for furnishing of return under Section 39 for the period in which such claim for refund arises;"

24. In Section 79 of the Principal Act, after sub-section(4), the following shall be added, namely:— **Amendment of Section 79.**

"**Explanation.**—For the purposes of this Section, the word 'person' shall include "distinct persons" as referred to in sub-section (4) or, as

the case may be, sub-section (5) of Section 25."

Amendment of Section 107. 25. In Section 107 of the Principal Act, in sub-section (6), in clause (b), after the words "arising from the said order,", the words "subject to a maximum of twenty-five crore rupees," shall be inserted.

Amendment of Section 112. 26. In Section 112 of the Principal Act, in sub-section (8), in clause (b), after the words "arising from the said order," the words "subject to a maximum of fifty crore rupees," shall be inserted.

Amendment of Section 129. 27. In Section 129 of the Principal Act, in sub-section (6), for the words "seven days", wherever they occur the words "fourteen days" shall be substituted.

Amendment of Section 143. 28. In Section 143 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (b), -

(i) in the proviso, in entry (ii), for punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(ii) after first proviso, the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that the period of one year and three years may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding one year and two years respectively."

Amendment of Schedule I. 29. In Schedule I of the Principal Act, in paragraph 4, for the words "taxable person", the word "person" shall be substituted.

Amendment of Schedule II. 30. In Schedule II of the Principal Act, in the heading, after the word "ACTIVITIES", the words "OR TRANSACTIONS" shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017.

Amendment of Schedule III. 31. In Schedule III of the Principal Act, —

(i) after paragraph 6, the following shall be inserted, namely:—

"7. Supply of goods from a place outside India to another place outside India without such goods entering into India.

8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;

(b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption."

(ii) for the Explanation, the following shall be substituted, namely:-

"Explanation 1- For the purposes of paragraph 2, the term "court" includes District Court, High Court and Supreme Court.

Explanation 2.—For the purposes of paragraph 8, the expression "warehoused goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

IndiaCode

क्रमांक 204] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 अप्रैल 2020 — वैशाख 1, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2020

क्रमांक 3226/81/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./2020. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 5 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन)अधिनियम, 2020.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, खंड (4) में, शब्द "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी," के पश्चात्, शब्द "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी," अन्तःस्थापित किया जाये।

IndiaCode

धारा 10 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, धारा 10 में,–

(क) उपधारा (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**स्पष्टीकरण**– द्वितीय परंतुक के प्रयोजन के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दी गई छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।"

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खंड (ङ) में, शब्द "अधिसूचित किया जाये:" के स्थान पर, शब्द "अधिसूचित किया जाये; और" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:"

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

IndiaCode

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, यथा विहित दर पर, किन्तु जो राज्य में उसके आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,–

(क) किन्हीं ऐसे मालों या सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं के अंतर्राज्यीय जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसी प्रदाय में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का प्रदायकर्ता नही है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जायें; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का, आयकर अधिनियम, 1961 (क्र. 43 सन् 1961) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत

व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।''

(घ) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''उपधारा (1) के अधीन'' जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(ङ) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''उपधारा (1)'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(च) उपधारा (5) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''उपधारा (1) के अधीन'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''स्पष्टीकरण 1– इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के

प्रयोजनों के लिए, शब्द "सकल आवर्त" के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक के प्रदाय सम्मिलित होंगे, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दिए गए छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदाय का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2– इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, शब्द "राज्य में आवर्त" में निम्नलिखित प्रदायों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:–

(एक) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की प्रदायों, जिसको ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन

रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(दो) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दिए गए छूट प्राप्त सेवाओं का प्रदाय।''

धारा 22 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 22 में, उपधारा (1) में,–

(एक) द्वितीय परंतुक में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये, और

(दो) द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रुपये के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे प्रदायकर्ता की दशा में, जो माल के अनन्य प्रदाय में लगा है, चालीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा, जैसा कि अधिसूचित की जाये।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जायेगा

IndiaCode

कि वह माल के अनन्य प्रदाय में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दिए गए छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।"

धारा 25 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम में, धारा 25 में, उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाये, सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी रीति में, पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जायेगा, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा विहित की जाये :

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को

धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में, ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो कि ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचना की तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी रीति में, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः

परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यष्टि को, ऐसी रीति में, पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जैसा कि

परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये।

(6ग) अधिसूचना की तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी रीति में, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, सत्यापन करायेंगे या कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसी भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों के द्वारा आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेंगे :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग को, ऐसी रीति में, पहचान का कोई ऐसा

वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये,

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या किसी राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "आधार संख्यांक" का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (क्र. 18 सन् 2016) की धारा 2 के खंड (क) में उनके लिए समनुदेशित है।"

नवीन धारा 31क का अन्तःस्थापन.

6. मूल अधिनियम में, धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

IndiaCode

"31क. **प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा.**– सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक संदाय का विहित तरीका उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किए जाएं, तदनुसार, संदाय करने का विकल्प उपलब्ध करायेगा।"

IndiaCode

धारा 39 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम में, धारा 39 में,–

(क) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या 51 या 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त किए गए इनपुट कर

प्रत्यय, संदेय योग्य कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों, संदेय योग्य कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाये, इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।"

IndiaCode

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस अंतिम तारीख के पूर्व करेगा, जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य में आवर्त, माल या सेवाओं या दोंनों की आवक प्रदायों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।''

धारा 44 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम में, धारा 44 में,—

(एक) उपधारा (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

''परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय—सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

IndiaCode

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त के द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।''

9. मूल अधिनियम में, धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– **धारा 49 का संशोधन.**

''(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर संबंधी इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।''

10. मूल अधिनियम में, धारा 50 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– **धारा 50 का संशोधन.**

"परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई प्रदायों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्‌गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से राशि को निकाल कर किया गया है।"

धारा 52 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम में, धारा 52 में,–

(क) उपधारा (4) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तारण को

आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।''

(ग) उपधारा (5) में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये; और

(घ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।''

12. मूल अधिनियम में, धारा 53 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **नवीन धारा 53क का अन्तःस्थापन.**

''**53क. कतिपय रकमों का अन्तरण.**— जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम अथवा माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम

के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाते या एकीकृत कर खाते या उपकर खाते को, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, अंतरण करेगी। ''

धारा 54 का संशोधन. 13. मूल अधिनियम में, धारा 54 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''(8क) जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर के प्रतिदाय का वितरण किया गया है, सरकार, इस प्रकार प्रतिदाय की गई ऐसी राशि के बराबर राशि का, केन्द्र सरकार को अन्तरण करेगी।''

धारा 95 का संशोधन. 14. मूल अधिनियम में, धारा 95 में,—

(एक) खंड (क) में,—

(क) शब्द ''अपील प्राधिकरण'' के पश्चात्, शब्द ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(ख) शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''धारा 100 की उपधारा (1)'' के पश्चात्, शब्द एवं अंक ''या केन्द्रीय माल और सेवा कर

अधिनियम की धारा 101ग'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(दो) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''(च) ''राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।''

15. मूल अधिनियम में, धारा 101 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **नवीन धारा 101क का अन्तःस्थापन.**

''**101क. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण होगा.**— इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण मानी जायेगी।''

16. मूल अधिनियम में, धारा 103 में,— **धारा 103 का संशोधन.**

(एक) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

''(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस

अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही, आयकर अधिनियम, 1961 (क्र. 43 सन् 1961) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आयकर अधिनियम, 1961 (क्र. 43 सन् 1961) के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, के संबंध में, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।"

(दो) उपधारा (2) में, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "उपधारा (1)" के पश्चात्, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "और उपधारा (1क)" अंतःस्थापित किया जाये।"

17. मूल अधिनियम में, धारा 104 में,– **धारा 104 का संशोधन.**

(क) उपधारा (1) में, शब्द "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अन्तःस्थापित किया जाये; और

(ख) उपधारा (1) में, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन" के पश्चात् शब्द एवं अंक "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग के अधीन" अन्तःस्थापित किया जाये।

18. मूल अधिनियम में, धारा 105 में,– **धारा 105 का संशोधन.**

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां."

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अन्तःस्थापित किया जाये; और

(ग) उपधारा (2) में, शब्द "अपील प्राधिकरण" जहां कहीं भी आया हो के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अन्तःस्थापित किया जाये।

19. मूल अधिनियम में, धारा 106 में,– **धारा 106 का संशोधन.**

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया."

(ख) शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 171 का संशोधन. 20. मूल अधिनियम में, धारा 171 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात्, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति, उदग्रहणीय नहीं होगी, यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "मुनाफाखोरी" से अभिप्रेत है ऐसी रकम, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के

माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित है।''

21. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्र. 4 सन् 2019) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । **निरसन.**

IndiaCode

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2020

क्रमांक 3226/81/21–अ/प्रारूपण/छ.ग./2020. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 21–4–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2020)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT 2020.

An Act to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 2.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in clause (4), after the words "the Appellate Authority for Advance Ruling,", the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted.

3. In the Principal Act, in Section 10,- **Amendment of Section 10.**

(a) in sub-section (1), after the second proviso, the following shall be inserted, namely:—

"**Explanation.**—For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in the State."

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (e), for the word "Council:", the words "Council; and" shall be substituted;

(ii) after clause (e), the following shall be inserted, namely:—

"(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";

(c) after sub-section (2), the following shall be added, namely:—

"(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of Section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-

section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of Section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three percent of the turnover in State, if he is not—

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under Section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

indiacode

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (No. 43 of 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section."

(d) in sub-section (3), for the words, brackets and figure "under sub-section (1)", wherever they occur, the words, brackets and figure "under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted.

(e) in sub-section (4), for the words, brackets and figure "of sub-section (1)", the words, brackets and figure "of sub-section (1) or, as the case may be, sub-section (2A)" shall be substituted.

(f) in sub-section (5), for the words, brackets and figure "under sub-section (1)", the

words, brackets and figure "under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted.

(g) after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

"**Explanation 1**.—For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.—For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:—

(i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for

registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount."

4. In the Principal Act, in Section 22, in sub-section (1),- **Amendment of Section 22.**

(i) in second proviso, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(ii) after the second proviso, the following shall be added, namely:—

"Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount."

Amendment of Section 25.

5. In the Principal Act, in Section 25, after sub-section (6), the following shall be added, namely:-

"(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such

IndiaCode

manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of

persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or (6B) or (6C) shall not apply to such person or class of persons or part of the state, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of Section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016)."

Insertion of new Section 31A.

6. In the Principal Act, after Section 31, the following shall be inserted, namely:—

"**31A. Facility of digital payment to recipient.**-The Government may, on the recommendations

of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed."

Amendment of Section 39.

7. In the Principal Act, in Section 39,-

(a) for sub-section (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of Section 10 or 51 or 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the

Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of Section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed."

(b) for sub-section (7), the following shall be substituted, namely:—

"(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under

the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed."

8. In the Principal Act, in Section 44,- **Amendment of Section 44.**

(i) in sub-section (1), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (1), the following shall be added, namely:—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in

writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner."

Amendment of Section 49.

9. In the Principal Act, in Section 49, after sub-section (9), the following shall be added, namely:—

"(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1)."

Amendment of Section 50.

10. In the Principal Act, in Section 50, after sub-section (1), the following shall be added, namely:—

IndiaCode

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of Section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under Section 73 or 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger."

11. In the Principal Act, in Section 52,- **Amendment of Section 52.**

(a) in sub-section (4), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(b) after sub-section (4), the following shall be added, namely:–

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner."

(c) in sub-section (5), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(d) after sub-section (5), the following shall be added, namely:—

IndiaCode

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner."

Insertion of new Section 53A.

12. In the Principal Act, after Section 53, the following shall be inserted, namely:—

"**53A. Transfer of certain amounts.**- Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Service Tax Act or under the Integrated Goods and Service Tax Act or under the Goods and Service Tax (Compensation to States) Act, the Government shall, transfer to the Central tax account or Integrated Tax Account or Cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed."

Amendment of Section 54.

13. In the Principal Act, in Section 54, after sub-section (8), the following shall be added, namely:—

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State Tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government."

14. In the Principal Act, in Section 95,- **Amendment of Section 95.**

(i) in clause (*a*),—

(a) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(b) after the words and figures "of Section 100", the words and figures "or of Section 101C of the Central Goods and Service Tax Act" shall be inserted;

(ii) after clause (e), the following shall be added, namely:—

"(f) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in Section 101A."

15. In the Principal Act, after Section 101, the following shall be inserted, namely:— **Insertion of new Section 101A.**

"**101A. National Appellate Authority for Advance Ruling under Central Goods and Service Tax Act, shall be Appellate Authority under this Act.**- Subject to the provisions of this Chapter, for the purpose of

this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under Section 101A of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act."

Amendment of Section 103.

16. In the Principal Act, in Section 103,-

(i) after sub-section (1), the following shall be added, namely:-

"(1A) The Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on—

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of Section 101B of Central Goods and Service Tax Act and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (No. 43 of 1961);

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred

IndiaCode

to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961(No. 43 of 1961)."

(ii) in sub-section (*2*), after the words, brackets and figure "in sub-section (1)", the words, brackets and figure "and sub-Section (1A)" shall be inserted.

17. In the Principal Act, in Section 104, in sub-section (*1*),— **Amendment of Section 104.**

(a) after the words "Authority or the Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(b) after the words and figures "of Section 101", the words and figures "or under Section 101C of the Central Goods and Service Tax Act" shall be inserted.

18. In the Principal Act, in Section 105,- **Amendment of Section 105.**

(a) for the marginal heading, the following shall be substituted, namely:—

"Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority."

(b) in sub-section (1), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(c) in sub-section (2), after the words "Appellate Authority", wherever they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

Amendment of Section 106.

19. In the Principal Act, in Section 106,-

(a) for the marginal heading, the following shall be substituted, namely:—

"Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority."

(b) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

Amendment of Section 171.

20. In the Principal Act, in Section 171, after sub-section (3), the following shall be added, namely:—

"(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten percent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both."

21. The Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2019 (No.4 of 2019) is hereby repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2020 — आश्विन 8, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2020

क्रमांक 7402/डी. 150/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 21-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

IndiaCode

छत्तीसगढ़ अधिनियम
क्रमांक (17 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (114) के उप-खण्ड (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव;

(घ) लद्दाख;"

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), (ग) तथा (घ) में, शब्द "माल" के पश्चात्, शब्द "या सेवाओं" अंतःस्थापित किया जाये। धारा 10 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, शब्द "से संबंधित बीजक" का लोप किया जाये। धारा 16 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:— धारा 29 का संशोधन.

"(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अब दायी न रहा हो या धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का त्याग करना चाहता हो।"

6. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:— धारा 30 का संशोधन.

"परंतु ऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए,—

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के द्वारा, तीस दिवस से अनधिक अवधि के लिये;

(ख) आयुक्त द्वारा, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे, आगे तीस दिवस से अनधिक अवधि के लिये,

बढ़ायी जा सकेगी।"

7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये; अर्थात्:— धारा 31 का संशोधन.

"परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसे समय में और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाये, सेवाओं या प्रदाय के प्रवर्गों को, जिनके संबंध में

IndiaCode

कर बीजक जारी किया जायेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ख) उसमें यथा उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन, सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में–

(एक) प्रदाय के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज, कर बीजक समझा जायेगा; या

(दो) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित न हो।"

धारा 51 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 51 में,–

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(3) ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाये, स्त्रोत पर की गई कर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाये।

धारा 122 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i), (ii), (vii) या खंड (ix) के अधीन आने वाले संव्यवहार से हुए लाभ का प्रतिधारण करता है और जिसके निर्देश पर ऐसा संव्यवहार हुआ है, अपवंचित कर या लिए गए या अग्रेषित इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य राशि की शास्ति का दायी होगा।"

धारा 132 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है" के स्थान पर, शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है या कारित करवाता है और उससे

IndiaCode

उत्पन्न लाभ का प्रतिधारण करता है" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या कपटपूर्वक, बिना किसी बीजक या बिल के, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है;"

(तीन) खंड (ङ) में, चिन्ह एवं शब्द ",कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति" का लोप किया जाये।

11. मूल अधिनियम की धारा 140 में,- धारा 140 का संशोधन.

(क) उपधारा (1) में, शब्द "ऐसी रीति में" के पूर्व, शब्द "ऐसे समय में और" अंतःस्थापित किया जाये;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "ऐसी रीति में" के पूर्व, शब्द "ऐसे समय में और" अंतःस्थापित किया जाये;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "नियत दिन को" के पश्चात्, शब्द "ऐसे समय में और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाये," अंतःस्थापित किया जाये;

(घ) उपधारा (5) में, शब्द "विद्यमान विधि के अधीन" के पश्चात्, शब्द "ऐसे समय में और ऐसी रीति में, जो कि विहित है," अंतःस्थापित किया जाये;

(ङ) उपधारा (6) में, शब्द "मूल्य संवर्धित कर का प्रत्यय" के पूर्व, शब्द "ऐसे समय में और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाये," अंतःस्थापित किया जाये;

(च) उपधारा (7) में, शब्द "ऐसी रीति में" के पूर्व, शब्द "ऐसे समय में और" अंतःस्थापित किया जाये।

जो कि जुलाई, 2017 के प्रथम दिवस से प्रभावी होगा।

नवीन धारा 168क का अन्तस्थापन.

12. मूल अधिनियम की धारा 168 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"168क. **विशेष परिस्थितियों में समय सीमा में विस्तार करने की सरकार की शक्ति.**— (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे कार्य, जो प्राकृतिक आपदा के कारण पूरे नहीं हो सके हों या जिनका अनुपालन नहीं किया जा सका हो, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय—सीमा को बढ़ा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति, ऐसी तारीख से सम्मिलित होगी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द "प्राकृतिक आपदा" से आशय है युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या कोई अन्य आपदा, जो प्राकृतिक या अन्य कारणों से उत्पन्न हो, जो इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के क्रियान्वयन को प्रभावित करती हो।"

13.	मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।	**धारा 172 का संशोधन.**
14.	मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 4 में, जहां कहीं भी शब्द "भले ही प्रतिफल के बदले हो या नहीं" आये हों का लोप किया जाये, जो कि जुलाई, 2017 के प्रथम दिवस से प्रभावी होगा।	**अनुसूची 2 का संशोधन.**

IndiaCode

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2020

क्रमांक 7402/डी. 150/21–अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 30–09–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2020)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2020.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 2.

2. The Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act), For sub-clause (c) and (d) of clause (114) of Section 2 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;"

IndiaCode

3. In clauses (b), (c) and (d) of sub-section (2) of Section 10 of the Principal Act, after the words "of goods", the words "or services" shall be inserted. **Amendment of Section 10.**

4. In sub-section (4) of Section 16 of the Principal Act, the words "invoice relating to such" shall be omitted. **Amendment of Section 16.**

5. For clause (c) of sub-section (1) of Section 29 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 29.**

"(c) the taxable person is no longer liable to be registered under Section 22 or Section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of Section 25."

IndiaCode

6. After sub-section (1) of Section 30 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 30.**

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,—

(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a)."

7. For the proviso of sub-section (2) of Section 31 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 31.**

"Provided that the Government may, on the

recommendations of the Council, by notification,—

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the conditions mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued."

Amendment of Section 51.

8. In Section 51 of the Principal Act,-

(a) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed."

(b) sub-section (4) shall be omitted.

IndiaCode

Amendment of Section 122.

9. After sub-section (1) of Section 122 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on."

10. In sub-section (1) of Section 132 of the Principal Act,— **Amendment of Section 132.**

(i) for the words "Whoever commits any of the following offences", the words "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences'' shall be substituted;

(ii) for clause (c), the following shall be substituted, namely:—

"(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;"

(iii) in clause (e), the punctuation and words ",fraudulently avails input tax credit" shall be omitted.

11. In Section 140 of the Principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,— **Amendment of Section 140.**

(a) in sub-section (1), before the words "in such manner", the words "within such time and" shall be inserted;

(b) in sub-section (2), before the words "in such manner", the words "within such time and" shall be inserted;

(c) in sub-section (3), before the words "subject to the following", the words " within such time and in such manner as may be prescribed," shall be inserted;

(d) in sub-section (5), after the words "existing law,", the words " within such time and in such manner as prescribed" shall be inserted;

(e) in sub-section (6), after the words "subject to the following", the words "within such time and in such manner as may be prescribed" shall be inserted;

(f) in sub-section (7), before the words "in such manner", the words "within such time and" shall be inserted;

Insertion of new Section 168A.

12. After Section 168 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**168A. Power of Government to extent time limit in special circumstances.**- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "*force majeure*" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by

nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

13. In the proviso of sub-section (1) of Section 172 of the Principal Act, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted. **Amendment of Section 172.**

14. In paragraph 4 of Schedule-II of the Principal Act, the words "whether or not for a consideration," wherever they occur, shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017. **Amendment to Schedule-II.**

IndiaCode

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 जनवरी 2022 — माघ 11, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जनवरी 2022

क्र. 912/डी. 03/21-अ/प्रारू./छ.ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-01-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

IndiaCode

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा ।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधो के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

धारा 7 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

"(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, के द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्यन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

IndiaCode

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया समझा जायेगा ।"

3. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :– धारा 16 का संशोधन.

"(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बर्हिगामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।"

4. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप किया जाए । धारा 35 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :– धारा 44 का संशोधन.

"(44) वार्षिक विवरणी.– किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जैसा कि विहित किया जाए, में संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक

वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा, संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।"

धारा 50 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए

संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रानिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।"

7. मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में, शब्द एवं अंक "तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "तो धारा 122 और धारा 125 के" प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 74 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (12) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— — धारा 75 का संशोधन.

"स्पष्टीकरण :— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द "स्वनिर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, शामिल होगा, किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में शामिल नहीं किया जायेगा।"

9. मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— — धारा 83 का संशोधन.

"(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में, आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।"

धारा 107 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जब तक कि शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का, अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।"

धारा 129 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 129 में,-

(एक) उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है ;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है ;"

(दो) उपधारा (2) का लोप किया जाये;

(तीन) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(3) माल या वाहनों को निरूद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।"

(चार) उपधारा (4) में, शब्द "ब्याज या शास्ति" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाये ;

(पांच) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथा उपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरूद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परंतु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रूपये, इनमें से जो भी

कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निरूद्ध या अभिगृहीत किया गया माल, नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास होने की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि, समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए, जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी।"

धारा 130 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 130 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम में किसी वात के होते हुए भी यदि कोई" के पूर्व, शब्द "जहां" अंतस्थापित किया जाये ;

(ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, शब्द, कोष्टक और अंक "धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम" के स्थान पर, शब्द "ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बरावर शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाये ;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाये।

धारा 151 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"151. सूचना मांगने की शक्ति.– आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के

संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा।"

14. मूल अधिनियम की धारा 152 में,– धारा 152 का संशोधन.

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की" का लोप किया जाये ;

(दो) शब्द "ऐसी सूचना" के पश्चात्, शब्द "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना" अंतःस्थापित किया जाये ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाये।

15. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 7 का लोप किया जाये और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा। अनुसूची 2 का संशोधन.

IndiaCode

अटल नगर, दिनांक 29 जनवरी 2022

क्र. 912/डी. 03/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2022)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Second Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

(2) It Shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 7.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act), after clause (a) of sub-section (1) of Section 7,

the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:–

"(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration;

Explanation:- For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another."

IndiaCode

Amendment of Section 16. 3. After clause (a) of sub-section (2) of Section 16 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:–

"(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under Section 37;"

IndiaCode

Amendment of Section 35. 4. Sub-section (5) of Section 35 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 44. 5. For Section 44 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:–

"**44. Annual return.-** Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under Section 51 or Section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual

return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this Section:

Provided further that nothing contained in this Section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a Local Authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-

IndiaCode

General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force."

Amendment of Section 50. **6.** For the proviso of sub-section (1) of Section 50 of the Principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:–

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of Section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under Section 73 or Section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger."

IndiaCode

7. In clause (ii) of Explanation 1 of Section 74 of the Principal Act, for the words and figures "Sections 122, 125, 129 and 130", the words and figures "Sections 122 and 125" shall be substituted. **Amendment of Section 74.**

8. After sub-section (12) of Section 75 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:– **Amendment of Section 75.**

"Explanation:– For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under Section 37, shall not included in the return furnished under Section 39."

IndiaCode

9. For sub-section (1) of Section 83 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:– **Amendment of Section 83.**

"(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting

the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of Section 122, in such manner as may be prescribed."

Amendment of Section 107.

10. After clause (b) of sub-section (6) of Section 107 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:–

"Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of Section 129, unless a sum equal to twenty-five percent of the penalty has been paid by the appellant."

IndiaCode

Amendment of Section 129.

11. In Section 129 of the Principal Act,–

(i) for clause (a) and (b) of sub-section (1), the following shall be substituted, namely:–

"(a) on payment of penalty equal to two hundred percent of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty percent of the value of the goods or two hundred percent of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;"

IndiaCode

(ii) sub-section (2) shall be omitted;

(iii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, as the case may be, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or (b) of sub-section (1)."

(iv) in sub-section (4), for the words "No tax, interest or penalty", the words "No penalty" shall be substituted;

(v) for sub-section (6), the following shall be substituted, namely:–

"(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty as provided under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized

India Code

goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer, for such period, as he think fit."

Amendment of Section 130.

12. In Section 130 of the Principal Act,–

(a) in sub-section (1), before the words "Notwithstanding anything contained in this Act, if", the word "Where" shall be inserted;

(b) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, brackets and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of Section 129", the words "penalty equal to hundred percent of the tax payable on such goods" shall be substituted;

IndiaCode

(c) sub-section (3) shall be omitted.

13. For Section 151 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:– **Amendment of Section 151.**

"**151. Power to call for information.**- The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein."

14. In Section 152 of the Principal Act,– **Amendment of Section 152.**

(a) in sub-section (1),–

(i) the words "of any individual return or part thereof" shall be omitted;

(ii) after the words "any proceedings under this Act",

the words "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be inserted;

(b) sub-section (2) shall be omitted.

Amendment to Schedule II. **15.** Paragraph 7 of Schedule II of the Principal Act shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

IndiaCode

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 मई 2023 — वैशाख 14, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 मई 2023

क्र. 5742/डी. 55/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 27–04–2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2023)
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधित करने हेतु **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ लगाया जायेगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 16 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(एक) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हो ;"

(दो) खंड (ग) में, शब्द तथा अंक "या धारा 43क" का लोप किया जाये।

(ख) उपधारा (4) में, शब्द तथा अंक "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द, "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 29 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,–

(क) खंड (ख) में, शब्द "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी" के स्थान पर, शब्द "उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) खंड (ग) में, शब्द "लगातार छः मास की अवधि तक" के स्थान पर, शब्द "ऐसी लगातार कर अवधि तक, जो विहित की जाएं," प्रतिस्थापित किया जाये ।

धारा 34 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, शब्द "सितंबर मास" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 37 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की की धारा 37 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "'इलैक्ट्रानिक रूप में" के स्थान पर, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में और" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) शब्द "उक्त प्रदायों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे:" के स्थान पर, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगें" प्रतिस्थापित किया जाये;

(तीन) प्रथम परंतुक का लोप किया जाए;

IndiaCode

(चार) द्वितीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु" प्रतिस्थापित किया जाये;

(पांच) तृतीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह भी कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह और कि" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाये;

(ग) उपधारा (3) में,–

(एक) शब्द तथा अंक "जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे–मिलान रह गए है," का लोप किया जाये;

(दो) पहले परंतुक में, शब्द "सितंबर मास" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(घ)उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाये, अर्थात् :–

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए है:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी, जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।"

धारा 38 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–

"38. **आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.**– (1) धारा 37 की उपधारा (1) के

IndiaCode

अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसी अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रुप से उपलब्ध करवाएं जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण में सम्मिलित होंगेः–

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके; तथा

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ, प्राप्तकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,–

(एक) रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ; या

(दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाये, निरंतर रहा है; या

(तीन) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के

दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है; या

(चार) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से, खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए ; या

(पांच) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है ; या

(छः) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं।"

IndiaCode

धारा 39 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(क) उपधारा (5) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "तेरह" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,—

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के

अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम,

का संदाय करेगा ।"

(ग) उपधारा (9) में,–

(एक) शब्द तथा अंक "धारा 34 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि" के स्थान पर, शब्द "जहाँ" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) परंतुक में, शब्द "सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(घ) उपधारा (10) में, शब्द "विवरणी नहीं दी गई है।" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परंतु सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों ।"

8. मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :– **धारा 41 का संशोधन.**

"**41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग.**–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, अपनी विवरणी में स्व–निर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, लागू ब्याज के साथ उत्क्रमित किया जायेगा :

परंतु जहाँ उक्त पूर्तिकर्ता, पूर्वोक्त पूर्ति के संबंध में संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा उत्क्रमित जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा ।"

धारा 42, 43 और 43क का लोप.

9. मूल अधिनियम की धारा 42, 43 और 43क का लोप किया जाये।

धारा 47 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "या अंतर्गामी" का लोप किया जाये;

(ख) शब्द तथा अंक "या धारा 38" का लोप किया जाये; तथा

(ग) शब्द तथा अंक "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 52" अंतःस्थापित किया जाये ।

धारा 48 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, शब्द तथा अंक "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे" का लोप किया जाये।

धारा 49 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द तथा अंक "या धारा 43क" का लोप किया जाये;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "ऐसी शर्तों" के पश्चात्,, शब्द "और निर्बंधनों" अंतःस्थापित किया जाये;

(ग) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाये, अर्थात् :——

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट

कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, इलेक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा ।"

धारा 50 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाये और जो भूतलक्षी प्रभाव से 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित समझी जायेगी, अर्थातः—

"(3) जहाँ इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, शासन द्वारा, परिषद् की अनुशंसाओं पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।"

धारा 52 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, शब्द "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये ।

धारा 54 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

(क) उपधारा (1) के परंतुक में, शब्द तथा अंक "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "छः मास" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) उपधारा (10) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "उपधारा (3) के अधीन" का लोप किया जाये;

(घ) उपधारा (14) के स्पष्टीकरण के सरल कमांक (2) की प्रविष्टि (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाये, अर्थातः—

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहाँ, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति

या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;"

IndiaCode

अटल नगर, दिनांक 4 मई 2023

क्र. 5742/डी. 55/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 04–05–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2023)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2023.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

IndiaCode

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 16.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 16,—

(a) in sub-section (2),—

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:–

"(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under Section 38 has not been restricted;"

IndiaCode

(ii) in clause (c), the words and figure "or Section 43A" shall be omitted.

(b) in sub-section (4), for the words and figures "due date of furnishing of the return under Section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

Amendment of Section 29. **3.** In sub-section (2) of Section 29 of the Principal Act, —

(a) in clause (b), for the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing

the said return" shall be substituted;

(b) in clause (c), for the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.

4. In sub-section (2) of Section 34 of the Principal Act, for the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted. **Amendment of Section 34.**

5. In Section 37 of the Principal Act,— **Amendment of Section 37.**

(a) in sub-section (1), —

(i) for the words "shall furnish, electronically,", the words "shall furnish, electronically, subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;

(ii) for the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words "shall, subject to such conditions and

IndiaCode

restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;

(iii) the first proviso shall be omitted;

(iv) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

(v) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted;

(b) sub-section (2) shall be omitted;

(c) in sub-section (3),—

(i) the words and figures "and which have remained unmatched under Section 42 or Section 43" shall be omitted;

(ii) in the first proviso, for the words and figure "the month of September", the words

"the thirtieth day of November" shall be substituted;

(d) after sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:–

"(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward

IndiaCode

supplies for one or more previous tax periods."

Amendment of Section 38.

6. For Section 38 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

"**38.Communication of details of inward supplies and input tax credit.**- (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of Section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of—

(a) details of inward supplies in respect of which credit of input

tax may be available to the recipient; and

(b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of Section 37,—

(i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or

(iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of

IndiaCode

outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or

(iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such

limit as may be prescribed; or

(v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of Section 49 subject

IndiaCode

to such conditions and restrictions as may be prescribed; or

(vi) by such other class of persons as may be prescribed."

7. In Section 39 of the Principal Act,— **Amendment of Section 39.**

(a) in sub-section (5), for the word "twenty", the word "thirteen" shall be substituted;

(b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

"Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—

(a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other

particulars during a month; or

(b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed."

(c) in sub-section (9),—

(i) for the words and figures "Subject to the provisions of Sections 37 and 38, if", the word "Where" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;

(d) in sub-section (10), for the words "has not been furnished by him", the following shall be substituted, namely:—

IndiaCode

"or the details of outward supplies under sub-section (1) of Section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of Section 37 for the said tax period."

8. For Section 41 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 41.**

"**41. Availment of input tax credit.**-(1)Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be

prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed."

Omission of Section 42, 43 and 43A.

9. Section 42, 43 and 43A of the Principal Act shall be omitted.

10. In sub-section (1) of Section 47 of the Principal Act,— **Amendment of Section 47.**

(a) the words "or inward" shall be omitted;

(b) the words and figures "or Section 38" shall be omitted; and

(c) after the words and figures "Section 39 or Section 45", the words and figures "or Section 52" shall be inserted.

IndiaCode

11. In sub-section (2) of Section 48 of the Principal Act, the words, and figure "the details of inward supplies under Section 38" shall be omitted. **Amendment of Section 48.**

12. In Section 49 of the Principal Act,— **Amendment of Section 49.**

(a) in sub-section (2), the words and figure "or Section 43A" shall be omitted;

(b) in sub-section (4), after the words "subject to such conditions", the word "and restrictions" shall be inserted;

(c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed."

IndiaCode

Amendment of Section 50.

13. For sub-section (3) of Section 50 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, retrospectively, namely:—

"(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent, as

may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed."

14. In proviso of sub-section (6) of Section 52 of the Principal Act, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted. **Amendment of Section 52.**

15. In Section 54 of the Principal Act, — **Amendment of Section 54.**

(a) in proviso of sub-section (1), for the words and figures "such refund in the return furnished under Section 39 in such manner", the words "such refund in such form and such manner" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted;

(c) in sub-section (10), the words, symbols and figure "under sub-section (3)" shall be omitted;

(d) after entry (b) of serial

number (2) of Explanation of sub-section (14), the following entry shall be inserted, namely:—

"(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under Section 39 in respect of such supplies;"

IndiaCode

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162] **रायपुर, गुरूवार, दिनांक 4 अप्रैल 2024 —— चैत्र 15, शक 1946**

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 अप्रैल 2024

क्र. 3586 / डी. 33 / 21–अ / प्रारू. / छ.ग. / 24. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 21–03–2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

IndiaCode

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) में अग्रतर संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि यह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,-

(1) खंड (80) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से अभिप्रेत है इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना और इसमें ऑनलाइन धन संबंधी गेम खेलना भी शामिल है;

(80ख) "ऑनलाईन धन संबंधी गेम खेलना" से अभिप्रेत है ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन सहित गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया में, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, का संदाय

IndiaCode

या जमा करता है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;"

(2) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से अभिप्रेत है–

(i)	दांव लगाने;
(ii)	कैसिनो;
(iii)	द्यूतक्रीड़ा;
(iv)	घुड़दौड़;
(v)	लाटरी; या
(vi)	ऑनलाइन धन संबंधी गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा;"

(3) खंड (105) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या प्रबंध करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जो ऐसे प्रदाय के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, को ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदायकर्ता समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावें, उसके द्वारा या उसके माध्यम से प्रदाय किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों के प्रदाय के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसके निवर्तन

के लिये रखे जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे प्रदायकर्ता को लागू होंगे, मानों वह ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदाय करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी प्रदायकर्ता हो।"

(4) खंड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जैसा कि आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (47क) में उसके लिये समनुदेशित है;"

धारा 10 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(1) उपधारा (2) के खंड (घ) में, शब्द "माल या" का लोप किया जाये; और

(2) उपधारा (2क) के खंड (ग) में, शब्द "माल या" का लोप किया जाये।

धारा 16 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में,-

(1) द्वितीय परन्तुक में, वाक्यांश "उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा" के स्थान पर, वाक्यांश "धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(2) तृतीय परन्तुक में, वाक्यांश "उसके द्वारा किए गए संदाय" के स्थान पर, वाक्यांश "उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(1) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्ति "छूट-प्राप्त प्रदाय का मूल्य" में,

(i) अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्य–कलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और

(ii) अनुसूची 3 के पैरा 8 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसे कार्य–कलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित की जाए,

के सिवाय अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।"

(2) उपधारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(च क) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;"

indiacode

6. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :– धारा 23 का संशोधन.

"(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी तद्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जाए, उन व्यक्तियों, जिन्हें इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दिया जा सकता हो, की श्रेणी विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

टीप– उपरोक्त उपधारा (2) को 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त किया गया समझा जायेगा।"

7. मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (xi) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– धारा 24 का संशोधन.

"(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत से बाहर के स्थान से भारत के व्यक्तियों को ऑनलाईन

सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवायें, प्रदान करता हो;

(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धन संबंधी गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और"

धारा 30 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में,-

(1) वाक्यांश "तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से" के स्थान पर, वाक्यांश "ऐसे तरीके एवं ऐसे समय और निर्बंधनों एवं शर्तों, जैसा कि विहित किया जाये, के अध्यधीन रहते हुये, ऐसे अधिकारी को" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) परंतुक का लोप किया जाये।

धारा 37 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी, अनुज्ञात कर सकेगी।"

धारा 39 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए, विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के

पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी, अनुज्ञात कर सकेगी।"

11. मूल अधिनियम की धारा 44 में,– धारा 44 का संशोधन.

(1) वाक्यांश "किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न" के पूर्व, अंक एवं चिन्ह "(1)" अन्तःस्थापित किया जाये; और

(2) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये, उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी, अनुज्ञात कर सकेगी।"

12. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :– धारा 52 का संशोधन.

"(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने

की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के लिये, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी, अनुज्ञात कर सकेगी।"

धारा 54 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में, वाक्यांश "जिसके अंतर्गत अनंतिम स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की एकम नहीं है," का लोप किया जाये।

धारा 56 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 56 में, वाक्यांश "आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक" के स्थान पर, वाक्यांश "आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक हुए विलम्ब की अवधि के लिए, ऐसी रीति से एवं ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन संगणना करते हुए, जैसा कि विहित किया जाये," प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 62 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 62,–

(1) उपधारा (2) में, शब्द "तीस दिन" के स्थान पर, शब्द "साठ दिन" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(2) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परंतु जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामिली के साठ दिनों के अन्दर वैध विवरणी दाखिल करने में विफल रहता हो, वहाँ वह उक्त विवरणी, उक्त निर्धारण आदेश की तामिली के साठ दिनों के पश्चात्, अगले साठ दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे विलम्ब की अवधि हेतु एक सौ रुपये प्रतिदिन के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क का भुगतान करते हुए, दाखिल कर सकेगा एवं यदि वह इस विस्तारित अवधि के भीतर वैध विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश को

वापस लिया जाना माना जाएगा, किन्तु अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान करने अथवा अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क का भुगतान करने का दायित्व निरन्तर बना रहेगा।"

16. मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-- धारा 109 का संशोधन.

"109. अपीलीय अधिकरणों और उनकी पीठों का गठन.-- इस अध्याय के प्रावधानों के अध्यधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 12 सन् 2017) के अंतर्गत गठित "माल और सेवा कर अधिकरण", इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये अपीलीय अधिकरण होगा।"

17. मूल अधिनियम की धारा 110 एवं 114 का लोप किया जाये। धारा 110 एवं 114 का लोप.

18. मूल अधिनियम की धारा 117 में,-- धारा 117 का संशोधन.

(1) उपधारा (1) में, वाक्यांश "राज्य पीठ या अपीलीय अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर, वाक्यांश "अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठों" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उपधारा (5) के खंड (क) एवं (ख) में, वाक्यांश "राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ" के स्थान पर, शब्द "राज्य पीठों" प्रतिस्थापित किया जाये।

19. मूल अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खंड (क) में, वाक्यांश "राष्ट्रीय पीठ या अपीलीय अधिकरण की प्रांतीय पीठों" के स्थान पर, वाक्यांश "अपीलीय अधिकरण की प्रधान पीठ" प्रतिस्थापित की जाये। धारा 118 का संशोधन.

20. मूल अधिनियम की धारा 119 में,-- धारा 119 का संशोधन.

(1) वाक्यांश "राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों" के स्थान पर, शब्द "प्रधान पीठ" प्रतिस्थापित की जाये।

(2) वाक्यांश "राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर, शब्द "राज्य

पीठों" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 122 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो –

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है;

(ii) इसके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है, के द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के सही ब्यौरे, धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में, प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

तो वह दस हजार रूपये या अंतर्वलित कर की रकम, यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।"

धारा 132 का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,—

(1) खंड (छ), (ञ) और (ट) का लोप किया जाये;

(2) खंड (ठ) में, शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर "खंड (क) से खंड (ट)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर "खंड (क) से (च) और खंड (ज) तथा (झ)" प्रतिस्थापित किया जाये;

(3) खंड (iii) में, वाक्यांश "जहां कर अपवंचन" के स्थान पर, वाक्यांश "खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन" प्रतिस्थापित किया जाये;

(4) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (छ) या खंड (ज)" का लोप किया जाएगा।

23. मूल अधिनियम की धारा 138 में,– धारा 138 का संशोधन.

(1) उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में,–

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(क) कोई व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज), खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है;",

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाये;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है;"

(iv) खंड (ङ) का लोप किया जाये;

(2) उपधारा (2) में, वाक्यांश "रकम अंतर्वलित कर के दस हजार रूपये या पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हों, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रूपये से अन्यून या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिकतम हो," के स्थान पर, वाक्यांश "न्यूनतम रकम, अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून और अधिकतम रकम, अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक" प्रतिस्थापित किया जाये।

24. मूल अधिनियम की धारा 138 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:– नवीन धारा 138क का

अंतःस्थापन.

"138क. संक्रमणकालीन उपबंध.– इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनों, द्यूत क्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।"

नवीन धारा 158क का अंतःस्थापन.

25. मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना–

(1) धारा 133, 152 और 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाये, सामान्य पोर्टल द्वारा, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या 44 के अधीन दाखिल की गई विवरणी में प्रस्तुत की गई विशिष्टियाँ;

(ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ;

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्यौरों के साझा करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि विहित किया जाये,

निम्नलिखित की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में, पूर्तिकर्ता; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) एवं (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में, प्राप्तिकर्ता, केवल जहां ऐसे ब्यौरों में प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी शामिल हो।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत पूर्ति मद या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।"

IndiaCode

26. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,— अनुसूची 3 का संशोधन.

(1) पैरा 8 में, वाक्यांश "लाटरी, दांव और जुआ" के स्थान पर, वाक्यांश "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" प्रतिस्थापित किया जावे; और

(2) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"टीप— (1) उपरोक्त पैरा 7, 8 तथा स्पष्टीकरण 2 को 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त किया गया समझा जायेगा।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है, किन्तु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता, यदि उपरोक्त टीप के उपबंध, सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

अटल नगर, दिनाक 4 अप्रैल 2024

क्र. 3586/डी. 33/21–अ/प्रारु./छ.ग./24. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 04–04–2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2024)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2024.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows: -

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act),-

(1) after clause (80), the following shall be inserted, namely:—

"(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;"

IndiaCode

(2) after clause (102), the following shall be inserted, namely:—

"(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of—

(i)	betting;
(ii)	casinos;
(iii)	gambling;
(iv)	horse racing;
(v)	lottery; or
(vi)	online money gaming;"

IndiaCode

(3) after clause (105), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid

or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"

(4) after clause (117), the following shall be inserted, namely:—

"(117A)"virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (No.43 of 1961);"

3. In Section 10 of the Principal Act,— **Amendment of Section 10.**

(1) in clause (d) of sub-section (2), the words "goods or" shall be omitted; and

(2) in clause (e) of sub-section (2A), the words "goods or" shall be omitted.

4. In sub-section (2) of Section 16 of the Principal Act, — **Amendment of Section 16.**

(1) in the second proviso, for the protasis "added to his

output tax liability, along with interest thereon in such manner as may be prescribed", the protasis "paid by him along with interest payable under Section 50 in such manner as may be prescribed" shall be substituted;

(2) in the third proviso, for the protasis "made by him", the protasis "made by him to the supplier" shall be substituted.

Amendment of Section 17.

5. In Section 17 of the Principal Act,—

(1) for Explanation of sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"Explanation- For the purposes of this sub-section, the expression "value of exempt supply" shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III,

except,—

(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the Schedule III; and

(ii) the value of such activities or

transactions as may be prescribed in clause (a) of paragraph 8 of the Schedule III."

(2) after clause (f) of sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to Section 135 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013);"

Amendment of Section 23.

6. For sub-section (2) of Section 23 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of Section 22 or Section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify

the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.

Note- Above sub-section (2) shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of July, 2017."

Amendment of Section 24.

7. For clause (xi) of Section 24 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"(xi) Every person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person;

(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and"

Amendment of Section 30.

8. In sub-section (1) of Section 30 of the Principal Act,—

(1) for the protasis "the prescribed manner within thirty days", the protasis "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted;

(2) the proviso shall be omitted.

9. After sub-section (4) of Section 37 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 37.**

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the period of three years from the due date of furnishing the said details."

10. After sub-section (10) of Section 39 of the Principal Act, the following shall be added, namely:— **Amendment of Section 39.**

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period

after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the period of three years from the due date of furnishing the said return."

Amendment of Section 44.

11. In Section 44 of the Principal Act,-

(1) before the protasis "Every registered person", the figure and symbol "(1)" shall be inserted; and

(2) after sub-section (1) the following shall be inserted, namely:—

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

12. After sub-section (14) of Section 52 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 52.**

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be

specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."

Amendment of Section 54.

13. In sub-section (6) of Section 54 of the Principal Act, the protasis "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.

Amendment of Section 56.

14. In Section 56 of the Principal Act, for the protasis "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the protasis "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application under the said sub-section till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.

Amendment of Section 62.

15. In Section 62 of the Principal Act,-

(1) in sub-section (2), for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted; and

(2) after sub-section (2), the following shall be added, namely:-

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of Section 50 or to pay late fee under Section 47 shall continue."

16. For Section 109 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 109.**

"**109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches Thereof.-** subject to provisions of this Chapter, the "Goods and Services Tax Tribunal"

IndiaCode

constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No.12 of 2017) shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under This Act."

Omission of Section 110 and 114.

17. Section 110 and 114 of the Principal Act will be omitted.

Amendment of Section 117.

18. In Section 117 of the Principal Act,—

(1) in sub-section (1), for the protasis "State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal", the protasis "State Benches of the Appellate Tribunal" shall be substituted;

(2) in clause (a) and (b) of sub-section (5), for the protasis "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.

Amendment of Section 118.

19. In clause (a) of sub-section (1) of Section 118 of the Principal Act, for the protasis "National Bench or Regional Benches of the Appellate Tribunal", the protasis "Principal Bench of the Appellate Tribunal" shall be substituted.

20. In Section 119 of the Principal Act,— **Amendment of Section 119.**

(1) for the protasis "National or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be substituted;

(2) for the protasis "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.

21. After sub-section (1A) of Section 122 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 122.**

"(1B) Any electronic commerce operator who—

(i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act;

(ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or

(iii) fails to furnish the correct details, in

the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52, of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."

Amendment of Section 132.

22. In sub-section (1) of Section 132 of the Principal Act,—

(1) clause (g), (j) and (k) shall be omitted;

(2) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;

(3) in clause (iii), for the protasis "any other offence", the protasis "an offence specified in clause (b)," shall be substituted;

(4) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be omitted.

23. In Section 138 of the Principal Act,— **Amendment of Section 138.**

(1) in the first proviso of sub-section (1), —

(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;"

(ii) clause (b) shall be omitted;

(iii) for clause (c), the following shall be substituted, namely:—

"(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;"

(iv) clause (c) shall be omitted;

Indiacode

(2) in sub-section (2), for the protasis "ten thousand rupees or fifty percent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty percent of the tax, whichever is higher", the protasis "twenty-five percent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred percent of the tax involved" shall be substituted.

Insertion of new Section 138A.

24. After Section 138 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**138A. Transitory Provision.-**

The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

Insertion of new Section 158A.

25. After Section 158 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"**158A. Consent based sharing of information**

furnished by taxable person.-

(1) Notwithstanding anything contained in Section 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

(a) particulars furnished in the application for registration under Section 25 or in the return filed under Section 39 or 44;

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation

of invoice, the details of outward supplies furnished under Section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under Section 68;

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity

IndiaCode

information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.".

IndiaCode

26. In Schedule III of the Principal Act,- **Amendment of Schedule-III.**

(1) in paragraph 6, for the protasis "lottery, betting and gambling" the protasis "specified actionable claims" shall be substituted; and

(2) after explanation 2, the following shall be added, namely:-

"**Note**-(1) paragraph 7, 8 and explanation 2

above shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times."

IndiaCode

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 12 सितम्बर 2024 — भाद्रपद 21, शक 1946

IndiaCode

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक 7742/डी. 61/21-अ/प्रारू./छ. ग./24. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 22-08-2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) में अग्रतर संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधो के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 के खण्ड (61) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्त्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओ की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;"

IndiaCode

3. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :— धारा 20 का संशोधन।

"20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.— (1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (आठ) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत होने की अपेक्षा होगी और ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन उसी राज्य में पंजीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उद्ग्रहण के अध्यधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में, ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, वितरण करेगा।

(3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का, एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, वितरण किया जाएगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाये, अर्थात् :— नवीन धारा 122क का अंतःस्थापन।

"122क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहाँ कोई व्यक्ति, जो माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के पंजीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे पंजीकृत नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे पंजीकृत नहीं है, उप–धारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहाँ-

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी मशीन का पंजीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ।"

IndiaCode

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक 7742/डी. 61/21-अ/प्रारू./छ. ग./24. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2024)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2024.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows: -

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 2.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), for clause (61) of Section 2, the following clause shall be substituted, namely:—

"(61)"**Input Service Distributor**" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input

IndiaCode

services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in Section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in Section 20;"

Amendment of Section 20.

3. For Section 20 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

"20. **Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.-** (1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in Section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of Section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of state tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of state or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9 paid by a distinct person

registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

(3) The credit of state tax shall be distributed as state tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or state tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed."

IndiaCode

4. After Section 122 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely:— **Insertion of New Section 122A.**

"**122A. Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure.** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under Section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter-XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every

machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where—

(a) the penalty so imposed is paid; and

(b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty."

IndiaCode

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

IndiaCode

क्रमांक 66] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी 2025 — माघ 1, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक 749/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 09-1-2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 5 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

IndiaCode

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलाएगा।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधो के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र 7 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 9 की उप–धारा (1) में, वाक्यांश "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान" के पश्चात्, वाक्यांश "और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है," अंतःस्थापित किया जाए। **धारा 9 का संशोधन।**

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, शब्द एवं अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए। **धारा 10 का संशोधन।**

4. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :— **धारा 11 का संशोधन।**

"11क. **साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहित नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति.**— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि–

(क) माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर राज्य कर के उद्गृहण (उसके गैर उद्गृहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और

(ख) ऐसी प्रदायों, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या हैं–

(i) उन मामलों में, जहाँ उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उद्गृहीत नहीं किया गया था या उद्गृहीत नही किया जा रहा है, राज्य कर; या

(ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उद्गृहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम हैं,

तो राज्य सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसे प्रदायों पर संदेय संपूर्ण राज्य कर

या ऐसे प्रदायों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, परंतु उक्त पद्धति हेतु उन प्रदायों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था या कम उदगृहीत किया जा रहा है या कम उद्गृहीत किया जा रहा था।"

धारा 13 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (3) में,–

(एक) खंड (ख) में, शब्द "प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए" के स्थान पर, शब्द "उन मामलों में, जहाँ बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए;" प्रतिस्थापित किया जाए;

(दो) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ग) उन मामलों में, जहाँ बीजक, पाप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख;"

(तीन) प्रथम परंतुक में, शब्द तथा चिन्ह "या खंड (ख) के पश्चात्, शब्द तथा चिन्ह "या खंड (ग)" अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 16 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :–

"(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और

तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहृत किया जाता है और जहाँ बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उप–धारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,–

(एक) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है; या

(दो) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहाँ ऐसी विवरणी, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, फाइल की जाती है :

परंतु यह कि भुगतान किये गये सभी कर या इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय नहीं लिया जाएगा जिसका इस प्रकार भुगतान नहीं किया गया होता या जो प्रत्यावर्तित नहीं किया गया होता, धारा 6 के अधीन सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त होगा।"

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (5) के खंड (झ) में, शब्द तथा अंक "धारा 74, धारा 129 और धारा 130" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक किसी के संबंध में धारा 74" प्रतिस्थापित किया जाए। **धारा 17 का संशोधन।**

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" **धारा 21 का संशोधन।**

अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 30 का संशोधन। 9. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (2) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाएं।"

धारा 31 का संशोधन। 10. मूल अधिनियम की धारा 31 में,–

(एक) उप–धारा (3) के खंड (च) में, शब्द "कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो" के पश्चात्, शब्द "ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए" अंतःस्थापित किया जाए ;

(दो) उप–धारा (3) के खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण.**– खंड (च) के प्रयोजनार्थ, "प्रदायकर्ता, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" पद में ऐसा प्रदायकर्ता सम्मिलित होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है।"

धारा 35 का संशोधन। 11. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा (6) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 39 का संशोधन। 12. मूल अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :––

"(3) धारा 51 के अधीन, स्त्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान

कोई कटौतियां की गई हों अथवा नहीं।"

13. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) के खंड (ग) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। **धारा 49 का संशोधन।**

14. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। **धारा 50 का संशोधन।**

15. मूल अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (7) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। **धारा 51 का संशोधन।**

16. मूल अधिनियम की धारा 54 में,- **धारा 54 का संशोधन।**

(एक) उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक का लोप किया जाए ;

(दो) उप-धारा (14) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल के प्रदाय की शून्य रेटेड के मद्दे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य रेटेड प्रदाय के मद्दे संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहाँ माल की ऐसी शून्य रेटेड प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यधीन है।"

IndiaCode

17. मूल अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (3) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। **धारा 61 का संशोधन।**

18. मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74 क" अंतःस्थापित की जाए। **धारा 62 का संशोधन।**

19. मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। **धारा 63 का संशोधन।**

20. मूल अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) में, शब्द तथा **धारा 64 का**

संशोधन। अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए।

धारा 65 का संशोधन। 21. मूल अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (7) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए।

धारा 66 का संशोधन। 22. मूल अधिनियम की धारा 66 की उप–धारा (6) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए।

धारा 70 का संशोधन। 23. मूल अधिनियम की धारा 70 की उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :–

"(1क) उप–धारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे और इस प्रकार उपस्थित हाने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।"

धारा 73 का संशोधन। 24. मूल अधिनियम की धारा 73 में,–

(एक) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "असंदत्त कर" के पूर्व, शब्द तथा अंक "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित" अंतःस्थापित किया जाए ;

(दो) उप–धारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :–

"(12) इस धारा के उपबंध, वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।"

धारा 74 का संशोधन। 25. मूल अधिनियम की धारा 74 में,–

(एक) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "असंदत्त कर" के पूर्व शब्द तथा अंक "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित" अंतःस्थापित किया जाए ;

(दो) उप–धारा (11) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:–

"(12) इस धारा के उपबंध, वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।";

(तीन) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाए।

26. मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :– **नवीन धारा 74क का अंतःस्थापन।**

"74क. **वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या कर से संबंधित किसी कारण से गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.**– (1) जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहाँ इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे, को सूचना की तामील करेगा :

परंतु यह कि कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर एक हजार रुपए से कम है, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए,

जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उप–धारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।

(3) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन किसी अवधि क लिए सूचना जारी की गई है, वहाँ समुचित अधिकारी, कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उप–धारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे कथन की तामील, उप–धारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उप–धारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न, ऐसी कर अवधियों के लिए विश्वास किए गए आधार, पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारा के समान ही हैं, सूचना की तामील समझी जाएगी।

(5) उस मामले में, जहाँ कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहाँ शास्ति,–

(एक) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपए, जो भी उच्चतर हो, होगी ;

(दो) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी।

(6) समुचित अधिकारी, कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति

द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी, उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उप–धारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगाः

परंतु यह कि, जहाँ समुचित अधिकारी, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आदश जारी करने में असमर्थ है, वहाँ आयुक्त या समुचित अधिकारी की श्रेणी में वरिष्ठ आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, परंतु जो राज्य कर संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न हो, उप–धारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, उक्त कालावधि को अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा ।

(8) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहाँ कर से प्रभार्य व्यक्ति,–

(एक) उप–धारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व–अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर की रकम का संदाय ब्याज सहित कर सकेगा और ऐसे संदाय के विषय में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उप–धारा (1) के अधीन किसी सूचना या उप–धारा (3) के

अधीन कथन की तामील नहीं करेगा ;

(दो) कारण बताओं सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(9) जहा कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों, जहाँ कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहाँ कर से प्रभार्य व्यक्ति,–

(एक) उप–धारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व–अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, उप–धारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा;

(दो) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी;

(तीन) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे

कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर, उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(10) जहाँ समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहाँ उप–धारा (8) के खंड (एक) या उप–धारा (9) के खंड (एक) के अधीन संदत्त रकम, वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहाँ ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, तो वह उप–धारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अग्रसर होगा।

(11) उप–धारा (8) के खंड (एक) या खंड (दो) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (5) के खंड (एक) के अधीन वहाँ शास्ति संदेय होगी, जहाँ स्व–निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संग्रहीत कोई रकम, ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है।

(12) वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(एक) ''उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां'' पद में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियाँ सम्मिलित नहीं होंगी;

(दो) जहाँ उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्ही अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियाँ, इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी।

स्पष्टीकरण 2.–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''छिपाना'' पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है जिसके द्वारा कराधेय

व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में, या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करे।

धारा 75 का संशोधन। 27. मूल अधिनियम की धारा 75 में,—

(एक) उप–धारा (1) में, शब्द तथा अंक "धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)" के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह "या 74क की उप–धारा (2) और (7)" अंतःस्थापित की जाए;

(दो) उप–धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(2क) जहाँ किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उप–धारा (5) के खंड (दो) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उप–धारा (5) के खंड (एक) के अधीन होगा।" ;

(तीन) उप–धारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(10) न्याय निर्णयन कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उप–धारा (10) या धारा 74 की उप–धारा (10) या धारा 74क की उप–धारा (7) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है।" ;

(चार) उप–धारा (11) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "धारा 74 की उपधारा (10) में" के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह "या धारा 74क की उप–धारा (7) में" अंतःस्थापित किया जाए;

(पाँच) उप–धारा (12) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए ;

(छः) उप–धारा (13) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए।

28. मूल अधिनियम की धारा 104 की उप–धारा (1) के स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)" के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह "या 74क की उप–धारा (2) और उप–धारा (7)" अंतःस्थापित किया जाए। **धारा 104 का संशोधन।**

29. मूल अधिनियम की धारा 107 में,– **धारा 107 का संशोधन।**

(एक) उप–धारा (6) के खंड (ख) के परंतुक में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जाए;

(दो) उप–धारा (11) के द्वितीय परंतुक में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए।

30. मूल अधिनियम की धारा 112 में,– **धारा 112 का संशोधन।**

(एक) उप–धारा (1) में, वाक्यांश "उस आदेश जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से," के पश्चात्, वाक्यांश "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो" अंतःस्थापित किया जाए;

(दो) उप–धारा (3) में, वाक्यांश "उक्त आदेश पारित किया गया है" के पश्चात्, वाक्यांश "या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो" अंतःस्थापित किया जाए;

(तीन) उप–धारा (6) में, वाक्यांश "अपील स्वीकार कर

सकेगा'' के पश्चात, वाक्यांश, चिन्ह तथा अंक ''या उप–धारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर आवदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा'' अंतःस्थापित किया जाए;

(चार) उप–धारा (8) के खंड (ख) में,–

(क) शब्द ''बीस प्रतिशत'' के स्थान पर, शब्द ''दस प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) शब्द ''पचास करोड़ रूपए'' के स्थान पर, शब्द ''बीस करोड़ रूपए'' प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 122 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 122 की उप–धारा (1ख) में, वाक्यांश ''कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक'' के स्थान पर, वाक्यांश तथा अंक ''कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है,'' प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 127 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 127 म, शब्द तथा अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात्, शब्द तथा अंक ''या धारा 74क'' अंतःस्थापित किया जाए।

नवीन धारा 128क का अंतःस्थापन।

33. मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:–

''**128क. कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.**– (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कोई रकम संदेय है,–

(क) धारा 73 की उप–धारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उप–धारा (3) के अधीन जारी कथन और जहाँ धारा 73 की उप–धारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा 73 की उप–धारा (9) के अधीन पारित आदेश और जहाँ धारा 107 की उप–धारा (11) या धारा 108 की उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उप–धारा (11) या धारा 108 की उप–धारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहाँ धारा 113 की उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है,

1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की कालावधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समाप्त हुई समझी जाएंगीः

परंतु यह कि जहाँ धारा 74 की उप–धारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उप–धारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगाः

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहाँ आवेदन धारा 107 की उप–धारा (3) या धारा 112 की उप–धारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उप–धारा (1) के अधीन या धारा 118 की उप–धारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहाँ खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध धारा 108 की उप–धारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही आरंभ की जाती हैं, वहाँ इस उप–धारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता हैः

परंतु यह भी कि जहाँ ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी।

(3) उप–धारा (1) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहा, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उप–धारा के अधीन कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहाँ धारा 107 की उप–धारा (1) या धारा 112 की उप–धारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उप–धारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।''

धारा 171 का संशोधन। 34. मूल अधिनियम की धारा 171 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक तथा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस विषय में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी, वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के परिणामस्वरूप है।

स्पष्टीकरण 1.–इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, ''परीक्षा के लिए अनुरोध'' से अभिप्रेत है कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा

फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''प्राधिकारी'' पद में ''अपील अधिकरण'' सम्मिलित होगा।''

35. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 पश्चात् एवं स्पष्टीकरण—1 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:— **अनुसूची 3 का संशोधन।**

''9. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए बीमाकर्ता को मुख्य बीमाकर्ता और सह—बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रदाय की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह—बीमाकर्ता को सह—बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप।

10. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि पुनःबीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन सहित संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुनः बीमाकर्ता की सेवाएं, जिसके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन, पुनःबीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम से कटौती की जाती है।''

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक 749/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./25.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2025)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2024.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

IndiaCode

Short title and commencement. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

(*2*) It shall come into force on such date the State Government may, by notification from the date of publication of Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 9. 2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017) (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1) of Section 9, after the protasis "alcoholic liquor for human consumption", the protasis ", un-denatured extra neutral alcohol and rectified spirit used for manufacture of

alcoholic liquor, for human consumption" shall be inserted.

3. In sub-section (5) of Section 10 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted. **Amendment of Section 10.**

4. After Section 11 of the Principal Act, the following Section shall be added, namely:— **Amendment of Section 11.**

"**11A. Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short-levied as a result of general practice.**- Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that—

(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of state tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and

(b) such supplies were, or are, liable to,—

(i) state tax, in cases where according to the said practice, state tax was not, or is not being, levied, or

(ii) a higher amount of state tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,

IndiaCode

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the state tax payable on such supplies, or, as the case may be, the state tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice."

Amendment of Section 13. **5.** In sub-section (3) of Section 13 of the Principal Act,–

(i) in clause (b), for the words "by the supplier:", the words "by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or" shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient;"

(iii) in the first proviso, after the words and symbol "or clause (b)", the words and symbol "or clause (c)" shall be inserted.

Amendment of Section 16.

6. After sub-section (4) of Section 16 of the Principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, the following sub-sections shall be added, namely:–

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under Section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.

(6) Where registration of a registered person is cancelled under Section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under Section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where a availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under Section 39,—

IndiaCode

(i) filed up to thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or

(ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration,

whichever is later:

Provided that no refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had Section 6 been in force at all material times."

Amendment of Section 17. 7. In clause (i) of sub-section (5) of Section 17 of the Principal Act, for the words and figures "Sections 74, 129 and 130", the words and figures "Section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24" shall be substituted.

Amendment of Section 21. 8. In Section 21 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or

Section 74", the words and figures "or Section 74A" shall be inserted.

Amendment of Section 30.

9. After the proviso of sub-section (2) of Section 30 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed."

Amendment of Section 31.

10. In Section 31 of the Principal Act,–

(i) in clause (f) of sub-section (3), after the words and figure "of Section 9 shall", the words, ", within the period as may be prescribed," shall be inserted;

(ii) after clause (g) of sub-section (3), the following Explanation shall be inserted, namely:–

"**Explanation.—**For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under Section 51."

Amendment of Section 35.

11. In sub-section (6) of Section 35 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figures "or Section 74A" shall be inserted.

Amendment of Section 39.

12. For sub-section (3) of Section 39 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) Every registered person required to deduct tax at source under Section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month."

Indiacode

Amendment of Section 49.

13. In clause (c) of sub-section (8) of Section 49 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figures "or Section 74A" shall be inserted.

Amendment of Section 50.

14. In the proviso of sub-section (1) of Section 50 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figures "or Section 74A" shall be inserted.

Amendment of Section 51.

15. In sub-section (7) of Section 51 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted.

Amendment of Section 54.

16. In Section 54 of the Principal Act,—

(i) second proviso of sub-section (3) shall be omitted;

(ii) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted, namely:–

"(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty."

IndiaCode

17. In sub-section (3) of Section 61 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted. **Amendment of Section 61.**

18. In sub-section (1) of Section 62 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted. **Amendment of Section 62.**

19. In Section 63 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted. **Amendment of Section 63.**

20. In sub-section (2) of Section 64 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted. **Amendment of Section 64.**

Amendment of Section 65.

21. In sub-section (7) of Section 65 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted.

Amendment of Section 66.

22. In sub-section (6) of Section 66 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted.

Amendment of Section 70.

23. After sub-section (1) of Section 70 of the Principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required."

Amendment of Section 73.

24. In Section 73 of the Principal Act,—

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the words and figures ", pertaining to the period up to Financial Year 2023-24," shall be inserted;

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be added, namely:—

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax

pertaining to the period up to Financial Year 2023-24."

Amendment of Section 74.

25. In Section 74 of the Principal Act,—

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the words and figures, "pertaining to the period up to Financial Year 2023-24," shall be inserted;

(ii) after sub-section (11) and before Explanation 1, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24."

(iii) the Explanation 2 shall be omitted.

Insertion of New Section 74A.

26. After Section 74 of the Principal Act, the following Section shall be added, namely :—

"**74A. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onward.-** (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so

paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under Section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer

may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,–

(i) For any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent. of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

(ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.

(6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

IndiaCode

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend

the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under Section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made there under;

(ii) pay the said tax along with interest payable under Section 50 within sixty

days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under Section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or

the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under Section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent. of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;

(iii) pay the tax along with interest payable thereon under Section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8),

penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

IndiaCode

Explanation 1.—For the purposes of this Section,–

(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under Section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under Sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2.—For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made there under, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer."

27. In Section 75 of the Principal Act,– **Amendment of Section 75.**

(i) in sub-section (1), after the word and figure "Section 74", the words, figures and symbol "or sub-section (2) and (7) of Section 74A" shall be inserted;

(ii) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:–

"(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of Section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause

(i) of sub-section (5) of Section 74A."

(iii) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of Section 73 or in sub-section (10) of Section 74 or in sub-section (7) of Section 74A.";

IndiaCode

(iv) in sub-section (11), after the word and figure "Section 74", the words, figures and symbol "or sub-section (7) of Section 74A" shall be inserted;

(v) in sub-section (12), after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted;

(vi) in sub-section (13), after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted.

28. In Explanation of sub-section (1) of Section 104 of the Principal Act, after the word and figure "Section 74", the words, figures and symbol "or sub-section (2) and (7) of Section 74A" shall be inserted.

Amendment of Section 104.

29. In Section 107 of the Principal Act,—

Amendment of Section 107.

(i) in proviso of clause (b) of sub-section (6), for the word "twenty-five", the word "twenty" shall be substituted;

(ii) in the second proviso of sub-section (11), after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figure "or Section 74A" shall be inserted.

30. In Section 112 of the Principal Act,—

Amendment of Section 112.

(i) in sub-section (1), after the protasis "from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal", the protasis "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later." shall be inserted;

(ii) in sub-section (3), after the protasis "from the date on which the said order has been passed", the protasis ";or the date, as may be notified by the Government, on the

recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later," shall be inserted;

(iii) in sub-section (6), after the protasis and figure "after the expiry of the period referred to in sub-section (1)", the protasis and figure "or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be inserted;

(iv) in clause (b) of sub-section (8),–

(a) for the words "twenty per cent.", the words "ten per cent." shall be substituted;

(b) for the words "fifty crore rupees", the words "twenty crore rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 122. **31.** In sub-section (1B) of Section 122 of the Principal Act, for the protasis "Any electronic commerce operator who", the protasis and figures "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under Section 52," shall be substituted.

Amendment of Section 127. **32.** In Section 127 of the Principal Act, after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words and figures "or Section 74A" shall be inserted.

33. After Section 128 of the Principal Act, the following Section shall be added, namely:–

Insertion of new Section 128A.

"**128A**.- **Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under Section 73, for certain tax periods.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,—

(a) a notice issued under sub-section (1) of Section 73 or a statement issued under sub-section (3) of Section 73, and where no order under sub-section (9) of Section 73 has been issued; or

(b) an order passed under sub-section (9) of Section 73, and where no order under sub-section (11) of Section 107 or sub-section (1) of Section 108 has been passed; or

(c) an order passed under sub-section (11) of Section 107 or sub-section (1) of Section 108, and where on order under sub-section (1) of Section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be,

IndiaCode

on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under Section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of Section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of Section 107 or under sub-section (3) of Section 112 or an appeal is filed by an officer of state tax under sub-section (1) of Section 117 or under sub-section (1) of Section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of Section 108, against an order referred to in clause (b) or

clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under

IndiaCode

sub-section (1) of Section 107 or sub-section (1) of Section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be."

Amendment of Section 171. **34.** After sub-section (2) of Section 171 of the Principal Act, the following proviso and Explanation shall be inserted, namely:–

"Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation 1.– For the purposes of this sub-section, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation 2.— For the purposes of this Section, the expression "Authority" shall include the "Appellate Tribunal"."

Amendment of Schedule-III.

35. After paragraph 8 and before Explanation-1 of Schedule-III of the Principal Act, the following paragraphs shall be inserted, namely:–

"9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.

10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission."

IndiaCode